



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052021-226985
CG-DL-E-12052021-226985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 2021/वैशाख 22, 1943

No. 148]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 12, 2021/VAISAKHA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 12 मई, 2021

मामला सं. एडीडी-(ओआई)-15/2020

विषय : चीन जन. गण., यूरोपीय संघ (ईयू), जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एफ्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर) के भारत में आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/18/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को अधिनियम और नियमावली के अनुसार मै० अपकोटेक्स इंडस्ट्रीज लि० (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) से चीन जन. गण., यूरोपीय संघ (ईयू), जापान और रूस (संबद्ध देश) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एफ्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पी यू सी कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदक अर्थात् मै० अपकोटेक्स इंडस्ट्रीज लि० ने आवेदन में विहित सूचना उपलब्ध करायी है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/18/2020-डीजीटीआर दिनांक 26 मई, 2020 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की गई ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क (ए डी डी) की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिससे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने में पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है।
- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरूआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 26 मई, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके तहत संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू की गई।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावासों, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए पतों के अनुसार संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 26 मई, 2020 की जांच शुरूआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को भी उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भी भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध करने पर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों की समय-सीमा बढ़ाई थी। 2 जुलाई, 2020 के पत्र द्वारा समय-सीमा 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाई गई थी और बाद में 29 जुलाई, 2020 के पत्र द्वारा समय-सीमा 14 अगस्त, 2020 तक बढ़ाई गई थी।
- छ. निम्नलिखित सरकारों ने लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए थे:
- मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ दि रूसिया फेडरेशन
 - यूरोपीय संघ
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों ने निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं थीं।
- मै० अर्लान्जियो इमुल्सन रबड़ फ्रांस एसएएस, फ्रांस;
 - मै० अर्लान्जियो ड्यूट्सलैंड जीएमबीएच, जर्मनी;
 - मै० अर्लान्जियो नीदरलैंड बी वी, नीदरलैंड;
 - मै० अर्लान्जियो ब्रांच ऑफिस इस्तांबुल, तुर्की;

- v. मै० इन्सा जीपीआरओ, चीन;
 - vi. मै० जेएसआर कारपोरेशन, जापान
 - vii. मै० नानटेक्स, ताईवान;
 - viii. मै० सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
 - ix. मै० सिबुर इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि० बीजिंग ब्रांच, चीन;
 - x. मै० सिबुर, रूस;
 - xi. मै० सिन्थॉस एस ए, पोलैंड;
 - xii. मै० वर्सालिस एस पी ए, इटली;
 - xiii. मै० जीओन कारपोरेशन जापान;
- झ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों तथा उनके संबंधित निर्यातकों/व्यापारियों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और/या विधिक अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
- i. मै० अलान्जियो इमुल्सन रबड़ फ्रांस एसएएस, फ्रांस;
 - ii. मै० गोको ट्रेडिंग कं. लि., जापान;
 - iii. जेएससी क्रासनोयारस्क सिंथेटिक रबड़ प्लांट, रूस;
 - iv. मै० जेएसआर कारपोरेशन, जापान;
 - v. मै० जेएसआर ट्रेडिंग कं. लि., जापान;
 - vi. मै० जेटीसी कारपोरेशन, जापान;
 - vii. मै० काटो संशो कं. लि., जापान;
 - viii. मै० पीजेएससी सिबुर होल्लिंग, रूस;
 - ix. मै० सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
 - x. मै० टोक्यो जैरयो कं. लि., जापान;
 - xi. मै० जीओन एशिया प्रा० लि०, सिंगापुर;
 - xii. मै० जीओन कारपोरेशन जापान;
- ञ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं।
- i. मै० अलास्का टायर्स प्रा० लि०;
 - ii. मै० आंध्रा पोलिमर्स (प्रा०) लि;
 - iii. मै० बान्को प्रोडक्ट (इंडिया) लि०;
 - iv. मै० भारत कोरब इंडस्ट्रीज;
 - v. मै० बोनी पोलिमर्स लि०;
 - vi. मै० चैंपियन ज्वाइंटिंग्स लि०;
 - vii. मै० एल्गी अल्ट्रा इंडस्ट्रीज लि०;
 - viii. मै० फेवोराइट सेफ्टी प्रोडक्ट;

- ix. मै० फेरोलाइट ज्वाइंटिंग्स लि०;
- x. मै० गैलेक्सी रबड़ प्रोडक्ट;
- xi. मै० गेट्स इंडिया प्रा० लि०;
- xii. मै० गोदावरी पेट्रो प्रोडक्ट (प्रा०) लि०;
- xiii. मै० ग्राइंडबैक;
- xiv. मै० हवासित इकोला प्रा० लि०;
- xv. मै० हिन्दुस्तान कंपोजिट लि०;
- xvi. मै० इंपीरियल रबड़ प्रोडक्ट;
- xvii. मै० इंपीरियल वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्रीज लि०;
- xviii. मै० इनारको लि०;
- xix. मै० इंडस्ट्रीयल रोलर कारपोरेशन;
- xx. मै० इंडस्ट्रीयल रबड़ प्रोडक्ट;
- xxi. मै० जयश्री पोलिमर प्रा० लि०;
- xxii. मै० के. डी. जोशी;
- xxiii. मै० लखानी रबड़ उद्योग लि०;
- xxiv. मै० लखानी मशीन वर्क्स लि०;
- xxv. मै० लाठिया इंडस्ट्रीयल सप्लायर्स कंपनी प्रा० लि०;
- xxvi. मै० लायलपुर रबड़ मिल्स;
- xxvii. मै० एम आर एफ लि०;
- xxviii. मै० नु-कोर्क प्रोडक्ट प्रा० लि०;
- xxix. मै० पार्कर मार्कवेल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०;
- xxx. मै० परफेक्ट ऑयल सील्स एंड आई आर पी;
- xxxi. मै० पोलिरब एक्सट्रक्शन (इंडिया);
- xxxii. मै० प्रीसीटेक्स रबड़ इंडिया प्रा० लि०;
- xxxiii. मै० राने ब्रेकलाइनिंग लि०;
- xxxiv. मै० रूप रबड़;
- xxxv. मै० शक्तिमान रब रोल्स प्रा० लि०;
- xxxvi. मै० सुजा रबड़ इंडस्ट्रीज प्रा० लि०;
- xxxvii. मै० सुंदरम आटो कंपोनेंट्स लि०;
- xxxviii. मै० सुंदरम ब्रेकलाइनिंग लि०;
- xxxix. मै० सुंदरम इंडस्ट्रीज लि०;
- xl. मै० सुपर सील्स (इंडिया) लि०;
- xli. मै० यूनिक रबड़ उद्योग

- ट. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों या प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है और आयातक/प्रयोक्ता के प्रश्नावली के उत्तर विधिक अनुरोध प्रस्तुत किए हैं और/या हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत हुए हैं।
- i. मै० इंपीरियल वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्रीज प्रा० लि०;
 - ii. मै० जे एम एफ सिंथेटिक्स इंडिया प्रा० लि०;
 - iii. मै० ओल्मेक इन्वेचर्स;
 - iv. मै० टोक्यो जैरयो (इंडिया) प्रा० लि०;
 - v. विस्टा बिजनेस वेंचर्स एल एल पी;
 - vi. मै० आरकेम कारपोरेशन;
 - vii. मै० अवनीश पोलिमर्स एल एल पी;
 - viii. मै० देवाशीष पोलिमर्स प्रा० लि०;
 - ix. मै० हाई-टेक अराय प्रा० लि०;
 - x. मै० जे.के. फेनर (इंडिया) लि०;
 - xi. मै० जयश्री पोलिमर प्रा० लि०;
 - xii. मै० के.डी. संस;
 - xiii. मै० निशिंगंधा पोलिमर्स प्रा० लि०;
 - xiv. मै० पार्कमैन इलैस्टोमीटर्स प्रा० लि०;
 - xv. मै० प्रिंसीजन रबड़ इंडस्ट्रीज प्रा० लि०;
 - xvi. मै० ऋषिरूप लि०;
 - xvii. मै० रूप रबड़ मिल्स प्रा० लि०;
 - xviii. मै० रबड़ केमिकल सेंटर;
 - xix. मै० एस आर पी सिंथेटिक रबड़ प्रोडक्ट प्रा० लि०;
 - xx. मै० टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०;
- ठ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को दिनांक 26 मई, 2020 की जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी।
- i. आल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन;
 - ii. इंडियन फुटवियर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएफसीओएमए);
- ड. उक्त अधिसूचना के उत्तर में आल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कानूनी अनुरोध किए हैं।
- ढ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 23 दिसंबर, 2020 को वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए हुई एक सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। तत्पश्चात आटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने के मद्देनजर 15 फरवरी, 2021 को एक अन्य सार्वजनिक सुनवाई की गई थी जिसमें वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न पक्षकारों ने भाग लिया था। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने और उनके खंडन यदि हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। पक्षकारों ने अपने अगोपनीय अनुरोधों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर किया और उनसे खंडन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

- ण. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों का अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई थी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थी।
- त. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2019 से 31 मार्च, 2020 (9 माह) की है। क्षति जांच अवधि पर 1 अप्रैल, 2016 – 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 – 30 जून, 2019 और पीओआई के रूप में विचार किया गया है।
- थ. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और प्रणाली तथा आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय (डीजीएस) से पीओआई सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु हेतु सौदावार आंकड़े प्राप्त किए थे और सौदों की आवश्यक जांच के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया था।
- द. आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- ध. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) ज्ञात की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- न. नियमावली के अनुसार प्राधिकारी ने इस जांच के आधार के रूप में मामले के आवश्यक तथ्यों का प्रकटन 22.3.2021 को एक प्रकटन विवरण के रूप में किया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी देने के लिए 30.3.2021 तक का समय दिया गया था। संगत समझी गई सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर प्राधिकारी ने विचार किया है और इस जांच परिणाम में उन्हें शामिल किया है।
- प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने की सीमा तक और वर्तमान जांच से संगत होने पर इन जांच परिणामों में विचार किया गया है।
- फ. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना जो इस जांच परिणाम का आधार है, की सत्यता से संभव सीमा तक स्वयं को संतुष्ट किया है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का संगत और संभव समझी गई सीमा तक सत्यापन किया है।
- ब. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से गोपनीय आधार प्रस्तुत सूचना के पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
- भ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये अंतिम जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- म. इस जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- य. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर 1 अमेरिकी डॉलर = 72.07 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :-

3. "विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) एक्कीलोनाइट्राइल बुटाडीन या एनबीआर है जिसमें विशिष्ट रूप से लेटेक्स एनबीआर, पाउडर एनबीआर और कार्बोक्सीलेटेड एनबीआर शामिल नहीं हैं। एनबीआर बुटाडीन और एक्कीलोनाइट्राइल के इमल्सन को पोलिमराइजेशन द्वारा उत्पादित एक कृत्रिम रबड़ है। एनबीआर रबड़ का प्रयोग ऐसी विभिन्न रबड़ वस्तुओं के विनिर्माण में होता है जिनमें तेल, घर्षण और ताप अनुप्रयोगों से प्रतिरोध की आवश्यकता हो जैसे ऑयल सील, होजेस, आटोमोटिव उत्पाद, गैस्केट, चावल डिहास्किंग रोल्ल्स, प्रिंटर, फैब्रिक्स, ऑयल फील्ड उत्पाद आदि। एनबीआर के लिए आवश्यक प्रमुख कच्ची सामग्री एक्कीलोनाइट्राइल और बुटाडीन हैं। एनबीआर के विभिन्न ग्रेडों की उनकी मूनी विस्कोसिटी और एक्कीलोनाइट्राइल मात्रा के अनुसार परिभाषित किया जाता है।

4. इस उत्पाद को सीमा शुल्क वर्गीकरण 40025900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. पीयूसी और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

- क. एनबीआर एक कृत्रिम रबड़ है जो एक्कीलोनाइट्राइल (एसीएन) और बुटाडीन (बीडी) का को-पोलिमर है। एनबीआर रबड़ का प्रयोग ऐसी विभिन्न रबड़ वस्तुओं के विनिर्माण में होता है जिनमें तेल, घर्षण और ताप अनुप्रयोगों से प्रतिरोध की आवश्यकता हो जैसे ऑयल सील, होजेस, आटोमोटिव उत्पाद, गैस्केट, चावल डिहास्किंग रोल्ल्स, प्रिंटर, फैब्रिक्स, ऑयल फील्ड उत्पाद आदि। एनबीआर का उत्पादन विभिन्न रूपों में होता है जिनमें मूनी विस्कोसिटी और एक्कीलोनाइट्राइल मात्रा के अनुसार अंतर किया जाता है।
- ख. यह उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष संख्या 40025900 के अंतर्गत वर्गीकृत है।
- ग. आवेदक ने आयातित वस्तुओं के समान वस्तु का उत्पादन किया है
- घ. रूसी फेडरेशन ने रूस के उत्पादकों द्वारा उत्पादित ऐसी किसी ग्रेड को सिद्ध या सूचीबद्ध नहीं किया है जो घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों से अलग हो।
- ड. विभिन्न ग्रेडों का अर्थ भिन्न-भिन्न उत्पाद नहीं है। संबद्ध वस्तु से संबंधित पूर्ववर्ती जांच में प्राधिकारी ने माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद आयातित उत्पादों के समान वस्तु है।
- च. उपभोक्ता घरेलू उद्योग और रूसी उत्पादकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं।
- छ. घरेलू उद्योग को तरल एनबीआर को उत्पाद के दायरे से बाहर रखने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. पीयूसी और समान वस्तु के संबंध में निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. रूसी उत्पाद भारतीय उत्पादों के ग्रेडों से बिल्कुल अलग हैं।
- ख. रूसी आयातों को समान उत्पाद नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, ईयू - एस्वेस्टस (डब्ल्यूटी/डीएस135/एबी/आर) में यथावर्णित "समानता" के आकलन हेतु चार मापदंड हैं जो भौतिक विशेष का अंतिम प्रयोग, उपभोक्ता की पसंद और आदत तथा टैरिफ वर्गीकरण। इनमें से कम से कम दो मापदंड अर्थात् अंतिम प्रयोग और उपभोक्ता की पसंद और आदत पूरे नहीं होते हैं। आवेदन में समानता के किसी संगत विश्लेषण के अभाव में आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और रूस में खपत वाले उत्पादों को समान उत्पाद नहीं माना जा सकता है।

- ग. आवेदक समान उत्पाद की बिक्री कीमत संबंधी सूचना प्राप्त करने में विफल रहा है जबकि ये निर्यातक देश अर्थात् रूस में खपत के लिए थे। चूंकि उत्पाद आवेदक द्वारा उत्पादित हैं और रूस द्वारा खपत के लिए लक्षित उत्पाद समान उत्पाद नहीं हैं।
- घ. आवेदक ने तरल एनबीआर या किसी विशेषज्ञ ग्रेड के लिए ए डी डी हेतु आवेदन किया है जबकि वे उनका उत्पादन नहीं करते हैं।
- ङ. समानता का आवेदन में कोई संगत विश्लेषण नहीं किया गया है।
- च. रूस से निर्यातक द्वारा यह बताया गया है कि प्राधिकारी ने अनेक मामलों में जांच शुरूआत के बाद पी सी एन वार सूचना मांगी है और इसलिए पी सी एन को सूचना प्रदान करने हेतु पर्याप्त समय देने के बाद प्रस्तावित और अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 6 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार उचित तुलना की मांग के अधिकार की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- छ. प्रतिवादियों ने शुरूआत से ही पी सी एन वार सूचना प्रस्तुत की है और उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। चीन के ज्वेलर उत्पादों का संदर्भ दिया गया है जहां पैनल ने स्पष्ट किया था कि कीमत तुलनीयता सुनिश्चित करना जांचकर्ता प्राधिकारी का दायित्व है। कोरिया न्यूमैटिक वाल्व (जापान) का संदर्भ भी दिया गया है जिसमें पैनल ने कीमत तुलनीयता सुनिश्चित करने का दायित्व जांचकर्ता प्राधिकारियों पर लागू किया था जबकि संगत मॉडलों की औसत कीमतों के साथ व्यक्तिगत सौदा कीमत की तुलना की जाए। प्राधिकारी को उचित तुलनीयता की कीमत सुनिश्चित करनी चाहिए और यह भी नोट करना चाहिए कि औसत से औसत सौदे कीमत तुलनीयता को संभव नहीं बनाते हैं। अतः पी सी एन प्रश्नावली के उत्तर में यथा-प्रस्तावित एक्सीलोनाइट्राइल मात्रा और एनबीआर की मूनी विस्कॉसिटी पर आधारित होना चाहिए।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एक्सीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ या एनबीआर है जिसमें विशिष्ट रूप से लेटेक्स एनबीआर, पाउडर एनबीआर और कार्बोक्सीलेटेड एनबीआर शामिल नहीं हैं।
8. एनबीआर एक कृत्रिम रबड़ है जो एसीएन और बीडी का को-पोलिमर है। इस उत्पाद का प्रयोग ऐसी विभिन्न रबड़ वस्तुओं के विनिर्माण में होता है जिनमें तेल, घर्षण और ताप अनुप्रयोगों से प्रतिरोध की आवश्यकता हो जैसे ऑयल सील, होजेस, आटोमोटिव उत्पाद, गैस्केट, चावल डिहास्किंग रोलर्स, प्रिंटर, फैब्रिक्स, ऑयल फील्ड उत्पाद आदि। एनबीआर का उत्पादन विभिन्न रूपों में होता है जिनमें मूनी विस्कॉसिटी और एक्सीलोनाइट्राइल मात्रा के अनुसार अंतर किया जाता है।
9. इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष संख्या 40025900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
10. रूस से उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी को ट्रेडवार पाटन मार्जिन निर्धारण करना चाहिए क्योंकि उक्त उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में अपनी आंतरिक ग्रेडिंग पर आधारित सूचना दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में किसी पी सी एन वार विश्लेषण प्रस्तावित नहीं किया है। प्रतिवादी निर्यातक ने भी किसी पी सी एन का सुझाव नहीं दिया है और इसके बजाय ग्रेडवार पाटन मार्जिन का सुझाव दिया है। ग्रेडवार पाटन मार्जिन का सुझाव देते समय निर्यातक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि ग्रेडवार तुलना क्यों महत्वपूर्ण है जो मामले के वास्तविक मैट्रिक्स और स्वयं निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी निर्यातक के विशिष्ट ग्रेड को पी सी एन नहीं माना जा सकता है। निर्यातक ने वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर किसी पी सी एन का सुझाव नहीं दिया है जिसमें सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सके। प्राधिकारी ने जांच शुरूआत या तत्पश्चात जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना में पी सी एन पद्धति विहित नहीं की है। यह भी नोट किया गया है कि उत्पाद के कोई सार्वभौमिक ज्ञात ग्रेड नहीं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि यह उत्पाद पहले भी पाटनरोधी जांच के अधीन रखा गया है और उन जांचों में प्राधिकारी द्वारा पी सी एन पद्धति विहित नहीं की गई थी और पाटन मार्जिन पी सी एन वार विश्लेषण के आधार पर निर्धारित नहीं था।

11. प्रकटन प्रश्चात की टिप्पणियों में जे एस सी क्रास्नोर्यास्क सिंथेटिक रबड़ प्लांट ने अनुरोध किया है कि एक्रीलोनाइट्राइल मात्रा और मूनी विस्कोसिटी के आधार पर उत्पाद के विभिन्न ग्रेड हैं और प्रत्येक ग्रेड को घरेलू बाजार में बेचा जाता है और भारत सहित निर्यात बाजार उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के लिए अद्वितीय हैं और इसलिए भारित औसत तुलना से सही स्थिति पता नहीं चलेगी और मांगवार ग्रेड अनुसार विश्लेषण नहीं होगा। अन्य सहयोगी उत्पादकों और अन्य संबद्ध देशों से निर्यातकों से पी सी एन वार विश्लेषण हेतु ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात प्राधिकारी ने सभी अन्य प्रतिवादी निर्यातकों को ग्रेडवार सूचना देने के लिए पत्र भेजा था। प्राधिकारी ने जे एस सी क्रास्नोर्यास्क सिंथेटिक रबड़ प्लांट से तीसरे देशों से उनके निर्यात के ब्यौरे देने के लिए कहा है जे एस सी क्रास्नोर्यास्क सिंथेटिक रबड़ प्लांट के अलावा किसी भी निर्यातक ने ग्रेडवार सूचना प्रदान नहीं की है और वास्तव में यह बताया है कि वर्तमान मामले में वास्तविक मैट्रिक्स में ग्रेडवार तुलना आवश्यक नहीं है।
12. यह नोट किया जाता है कि एन बी आर एक कृत्रिम रबड़ है जो एसीएन और बीडी का को-पोलिमर है। एसीएन और बीडी की मात्रा के आधार पर भारत और संबद्ध देशों में इस उत्पाद को अनेक ग्रेडों में उत्पादित किया और बेचा जाता है। विभिन्न ग्रेडों में अलग-अलग एसीएन मात्रा और मूनी विस्कोसिटी होती है। बाजार शब्दावली में एसीएन मात्रा और मूनी विस्कोसिटी के अनुसार इस उत्पाद को लो, मीडियम और हाई एन बी आर में वर्गीकृत किया जाता है। घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि भारत और वैश्विक रूप से अधिकांश उत्पादन (85-95 प्रतिशत के लगभग) मीडियम एन बी आर श्रेणी में होता है। पूर्ववर्ती जांचों में भी प्राधिकारी ने माना था कि विचाराधीन उत्पाद को लो, मीडियम और हाई एन बी आर में वर्गीकृत किया जाता है। परंतु अधिकांश उत्पादन और बिक्रियां मीडियम एन बी आर में होती हैं। घरेलू उद्योग की सत्यापित सूचना से नोट किया जाता है कि इसकी बिक्री की काफी मात्रा (*** प्रतिशत) मीडियम एन बी आर में है जिसमें मामूली लागत अंतर (*** प्रतिशत से कम) है। हाई एन बी आर की लागत अधिक है परंतु इसका हिस्सा बहुत कम (*** प्रतिशत) है और लो एन बी आर में भी लागत अंतर कम है (*** प्रतिशत से कम) इसके अलावा, लो एन बी आर की लागत अधिक है। सिबुर के आंकड़ों की जांच करते समय यह नोट किया गया है कि भारत को किए गए अधिकांश निर्यात (90 प्रतिशत से अधिक) केवल मीडियम एन बी आर के हैं। इसके अलावा, यद्यपि लो एन बी आर की लागत कम है। तथापि, हाई एन बी आर की लागत मीडियम एन बी आर से कम है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि निविष्टियों की कीमतें पी ओ आई के भीतर काफी अधिक बदल गई हैं और निर्यातक ने सिद्ध नहीं किया है कि उत्पादन विशेषताओं में अंतर के कारण विभिन्न ग्रेडों की उत्पादन लागत में क्या और कितना अंतर है तथा यह अंतर किस सीमा तक इस समयावधि के कारण लागत में हुआ है। यह भी नोट किया गया है कि जापान और ई यू से अन्य निर्यातकों ने उन्हें अवसर दिए जाने के बाद ग्रेडवार लागतें प्रदान नहीं की हैं।
13. इसके मद्देनजर प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में पी सी एन/ग्रेडवार विश्लेषण पर पाटन मार्जिन निर्धारित करना उचित नहीं समझा है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग तथा रूस से उत्पादक और निर्यातक अर्थात् मै० सिबुर दोनों ने भारत में (***% से अधिक) अत्यधिक तीव्र मात्रा में बिक्री संबद्ध वस्तु के मध्यम श्रेणी की है और इसलिए क्षति मार्जिन के परिकलन में भी कोई ग्रेड/श्रेणीवार विश्लेषण अपेक्षित नहीं है।
14. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सभी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु भारित औसत के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना द्वारा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है।
15. तरल एन बी आर को बाहर रखने के तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग तरल एन बी आर का विनिर्माण नहीं करता है। इसलिए तरल एन बी आर को पी यू सी के दायरे से बाहर रखा गया है।
16. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित पी यू सी के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं और कर रहे हैं। यद्यपि रूस के उत्पादक ने दावा किया है कि रूस के उत्पाद भारतीय उत्पादों से बिल्कुल अलग हैं। तथापि,

यह नोट किया गया है कि रूस के उत्पादक या आयातक या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने रूसी और घरेलू उद्योग के उत्पाद में किसी अंतर की पहचान नहीं की है और न ही कोई विशेषता या दोनों का कोई गुण कार्य और प्रयोग बताया है जहां रूस का उत्पाद प्रयुक्त होता हो और घरेलू उद्योग का उत्पाद प्रयोग नहीं किया जा सकता हो। यह नोट किया जाता है कि पिछले अनेक वर्षों से यह उत्पाद देश में प्रयोग हो रहा है और इस उत्पाद के कार्य और प्रयोग में किसी नई बात की पहचान नहीं हुई है जहां रूस के उत्पाद का अब प्रयोग किया जा रहा हो। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु ए डी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद से समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. आवेदक अर्थात् अपकोटेक्स इंडस्ट्रीज लि० का भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
- ख. आवेदक ने संबद्ध देशों से पी ओ आई में संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
- ग. आवेदक संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में निर्यातक/उत्पादक/अन्य घरेलू पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से हैं, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

- 20. यह आवेदन अपकोटेक्स इंडस्ट्रीज लि० द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के पास भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि न तो उन्होंने पी ओ आई में संबद्ध देशों से पी यू सी का आयात किया है न ही वे संबद्ध देशों में पी यू सी के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पी यू सी के किसी आयातक से संबंधित हैं।
- 21. प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह भी मानते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- क. प्रतिवादी प्रक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. प्रश्नावली में अनेक प्रश्नों के उत्तर व्यापार संवेदनशीलता के आधार पर कोई सारांश दिए बिना गोपनीय बताए गए हैं। ऐसा घरेलू उद्योग को कोई सार्थक अनुरोध न करने देने के गलत इरादे से किया गया है और इससे प्राधिकारी को उनमें कमियों का पता लगाने में बाधा पहुंची है। इससे प्राधिकारी द्वारा विहित जांच प्रक्रिया और कार्यवाही का महत्व भी घटा है।

- ग. सिबुर समूह द्वारा प्रस्तुत उत्तर में गोपनीय दावा की गई सूचना का अगोपनीय सारांश नहीं है और यह नहीं बताया गया है कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
- घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार सूचना 10/2018 के उल्लंघन में गोपनीयता का दावा किया है।
- ङ. घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे व्यापार सूचना 1/2013 के अनुपालन में है।
- च. प्रतिवादी निर्यातकों ने अपने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट नहीं किया है।
- छ. प्राधिकारी से ऐसे उत्तरों को अस्वीकार करने का अनुरोध है जहां पक्षकारों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया गया है। स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई क्षैतिज सूचीकरण की पद्धति वही है जिसे मै० अर्लान्जियो इमल्सन रबड़ फ्रांस एसएएस द्वारा अपनाया गया है। ऐसा प्राधिकारी की सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। प्रतिवादी निर्यातक ने उर्ध्वाधर सूचीकरण किया है जो कानून और प्रक्रिया के अनुसार अप्रचलित है।
- झ. घरेलू उद्योग ने पी ओ आई तथा पी ओ आई(ए) दोनों के लिए वार्षिकीकृत सूचीबद्ध मूल्य पर विचार किया है।
- ञ. सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है जो व्यापार संवेदी सूचना है। तथापि, उसे रेंज के रूप में बताया गया है।
- ट. लागत निर्धारण सूचना कंपनी की व्यापार स्वामित्व संबंधी सूचना है और उसका सारांशीकरण व्यवहार्य नहीं है। प्रतिवादी निर्यातकों ने स्वयं अपनी लागत निर्धारण सूचना को गोपनीय माना है, परंतु घरेलू उद्योग से उसी सूचना के प्रकटन का तर्क दिया है। अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लि० मामला और नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
- ठ. घरेलू उद्योग की क्षमता व्यापार स्वामित्व वाली सूचना है। तथापि, उसके रूझानों को व्यापार सूचना के अनुसार प्रदान किया गया है।
- ड. डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े तीसरे पक्ष की सूचना है और आवेदक उसके प्रकटन के लिए प्राधिकृत नहीं है। आंकड़े प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। यह निर्णय प्राधिकारी को करना है कि उन आंकड़ों का प्रकटन किया जाए अथवा नहीं।
- ढ. सिबुर ने प्राथमिक रूप से एक ग्रेड अर्थात् 3345 को बेचा है जो मीडियम एन बी आर है। प्राधिकारी से सिबुर को घरेलू बाजार में निर्यातक द्वारा उत्पादित और बेचे गए ग्रेडों का प्रकटन करने का निदेश देने का अनुरोध किया जाता है। यह सूचना गोपनीय नहीं हो सकती है।

ड.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कतिपय प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं। आवेदन अत्यधिक गोपनीय है और व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुपालन में नहीं है। आवेदन के अगोपनीय अंश में आरोपों की तर्कसंगत समझ नहीं बन पा रही है और यह नियमावली के नियम 7 और व्यापार संख्या 1/2013 का उल्लंघन है। अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है और लागत निर्धारण संबंधी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। यह सूचना दावों को पूर्णतः समझने के लिए महत्वपूर्ण है और टिप्पणियां देने के लिए दस्तावेजों का सारांश और सूचीबद्ध आंकड़े उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
- ख. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा माने गए सौदावार आंकड़ों के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया है। सेस्टेट ने माना है कि प्राधिकारी को आयात के आंकड़े उसी ढंग और तरीके से उपलब्ध कराने चाहिए जैसे उन्हें रिकार्ड में रखा गया है। एकजोटिक डेकोर प्रा० लि० और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले का

संदर्भ दिया गया है। सौदावार आयात आंकड़ों और भरोसा की गई विस्तृत पद्धति विशेष रूप से सौदावार आयात आंकड़ों की छंटाई के लिए आवेदक द्वारा गैर-पी यू सी उत्पादों (अर्थात् लेटेक्स एन बी आर, पाउडर एन बी आर और कार्बोक्सीलेटेड एन बी आर) को बाहर रखने के लिए अपनाई गई पद्धति को उपलब्ध नहीं कराया गया।

- ग. सामान्य मूल्य संबंधी आंकड़ों के लिए कोई अगोपनीय अंश नहीं दिया गया है। इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
- घ. सभी संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य चीन के एनएमई होने के बावजूद 2000-3000 की समान रेंज में रहा है और पाटन मार्जिन के विवरण में शेष आंकड़ों को गोपनीय माना गया है। यह समझ में नहीं आता है कि रेंज में अनुमानों का परिकलन कैसे हो और क्या ये सही ढंग से किया गया है।
- ड. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और अधूरी याचिका दायर की है। लागत निर्धारण सूचना के लिए गोपनीयता के दावे का एन सी वी या औचित्य नहीं बताया गया है। अगोपनीय अंश में सूचना का सारांश और सूचीबद्ध आंकड़े दिए जाने चाहिए।
- च. एन सी वी याचिका से आरोपों की तर्कसंगत समझ नहीं बन पाती है और यह नियमावली के नियम 7 तथा व्यापार सूचना 1/2013 की अपेक्षाओं का उल्लंघन है।
- छ. पाटन मार्जिन से संबंधित सूचना गलत और भ्रामक है। जांच शुरुआत के बाद के अनुरोध विहित पी ओ आई के लिए अद्यतन पाटन मार्जिन उपलब्ध नहीं कराते हैं।
- ज. प्रतिवादियों ने उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा विहित प्रश्नावली प्रपत्र के अनुसार अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं और दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का पूर्णतः अनुपालन भी किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अगोपनीय अंश में प्राधिकारी को समस्त सूचना दी है। तथापि, कतिपय सूचना जो व्यापार संवेदनशील है तथा जिसके प्रकटन से धन संबंधी घाटा हो सकता है, को प्राधिकारी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गोपनीय रखा गया है।
- झ. आवेदक ने यह मान लिया है कि प्रतिवादी उत्पादकों ने अपना सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत सार्वजनिक रूप से सूचित नहीं की है। जिओन ने बताया है कि नियमावली या संगत व्यापार सूचनाओं के अंतर्गत अपने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का प्रकटन करना अपेक्षित नहीं है।
- ञ. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5.1 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के लिए अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराना अपेक्षित है। अपवादिक परिस्थितियों में इस बात का कारण बताना अपेक्षित है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। सामान्य मूल्य के आंकड़ों संबंधी कोई गोपनीय सूचना नहीं दी गई है या कोई कारण नहीं बताया गया है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं था। रूसी पक्ष सामान्य मूल्य तथा पाटन मार्जिन के परिकलन की सटीकता के आकलन के अवसर से वंचित हो गया है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“ गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

25. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय हो (उदाहरणार्थ जिसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को भारी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल जाएगा या उसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा या उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जिससे उस व्यक्ति ने यह सूचना प्राप्त की है) या जिसे किसी जांच में पक्षकारों द्वारा उचित कारण बताते हुए गोपनीय आधार पर दिया गया हो, को प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना का उसे देने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकटन नहीं किया जा सकता है।
26. प्राधिकारी ने आवेदकों और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार वह सार्वजनिक फाइल सभी हितबद्ध पक्षकारों को अनुरोध करने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जिसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।
27. डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों के प्रकटन के संबंध में प्राधिकारी की व्यापार सूचना संख्या 7/2018 दिनांक 15 मार्च, 2018 में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े संग्रहित करने की प्रक्रिया विहित है। अतः हितबद्ध पक्षकारों के पास व्यापार सूचना के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करके डीजीसीआई एंड एस आंकड़े प्राप्त करने और अपने हितों की रक्षा करने की सुविधा है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि अब लागू की गई प्रक्रिया संगत, सभी पक्षकारों और जांचों के लिए एक समान, समानतापूर्ण है और हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त अवसर देती है।
28. आवेदन और प्रश्नावली के उत्तर की पर्याप्तता और सटीकता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन में जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ समस्त सूचना दी गई थी। प्राधिकारी ने इस बात से संतुष्ट होने कि जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए आवेदन में पर्याप्त साक्ष्य हैं, के बाद ही वर्तमान जांच की शुरुआत करने का निर्णय लिया।

च. विविध अनुरोध

च.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

29. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:-

- क. यह तर्क कि जांच त्रुटिपूर्ण है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, निराधार है और तथ्यों और साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है।
- ख. इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जे एस सी कारपोरेशन द्वारा बेचे गए उत्पाद के आयातकों ने क्यों पूरे शुल्क का भुगतान किया जबकि रियायती शुल्क का दावा किया जा सकता है।
- ग. कच्ची सामग्रियां उत्पादक द्वारा घरेलू रूप से खरीदी जाती हैं और मूल्यवर्धन विहित सीमा से काफी अधिक है।
- घ. इस बात का एक मात्र संभावित स्पष्टीकरण जे एस आर और उसके आयातों के बीच कोई क्षतिपूर्ति व्यवस्था है। इसीलिए निर्यातक को यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि निर्यात कीमत विश्वसनीय है।
- ड. यह तथ्य कि आयातों पर पूर्ण शुल्क लिया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा विवादित नहीं किया गया है। तथापि, रियायती शुल्क का फायदा नहीं लेने के कारण, के संबंध में कोई औचित्य नहीं बताया गया है।
- च. रूस के आयात पी ओ आई में भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों का चार प्रतिशत है। इसलिए यह तीन प्रतिशत की न्यूनतम सीमा के दायरे से अधिक है।

- छ. ए डी ए के अनुच्छेद 5.2 में केवल आवेदन में यह अपेक्षित है कि ऐसी सूचना आवेदक को तर्कसंगत रूप से उपलब्ध हो। आवेदक ने रूस में सामान्य मूल्य के लिए वास्तविक सूचना एकत्रित करने में असमर्थता स्पष्ट की है।
- ज. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने इस दावे के समर्थन में किसी घटना या ब्यौरे का उल्लेख नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उनके आवेदन में कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया गया है। यह आरोप मात्र एक धारणा है।
- झ. ए डी डी का उद्देश्य ऐसे अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना है जो समग्र रूप से भारतीय उद्योग के हित में हैं। ए डी डी के लागू होने से संबद्ध देश/क्षेत्र से संबद्ध वस्तु के आयात किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे और ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। ए डी डी की मात्रा कानून के अनुसार है और अधिक नहीं है। इसे केवल तभी लागू किया या बढ़ाया जाता है जब कानूनी अपेक्षाएं पूरी होती हों। यह घरेलू उद्योग के लिए उचित ठहराना अपेक्षित नहीं है कि उसे कब तक संरक्षण चाहिए। निर्यातक के लिए यह उचित ठहराना अपेक्षित है कि वे कब तक पाटन करेंगे। एकीकृत फाइबर के आयातों से संबंधित प्राधिकारी के हाल के जांच परिणाम पर भरोसा किया गया है।
- ञ. 9 महीने की जांच अवधि मानने पर कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है। एक मात्र अपेक्षा लिखित में कारण बताना है जिसे वर्तमान मामले में पूरा किया गया है। जांच शुरूआत अधिसूचना में 9 महीने की पी ओ आई रखने के कारण दिए गए थे। डीजीटीआर द्वारा ऐसी 70 से अधिक जांचें हैं जिनमें पी ओ आई 9 महीने की है।
- ट. आवेदक से एन बी आर की खरीद के संबंध में इंपीरियल वाटर प्रूफिंग ने ऐसी कोई घटना नहीं बतायी है जहां वह खराब गुणवत्ता की थी या अपने दावे के समर्थन में कोई ब्यौरे नहीं दिए हैं। आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद का प्रयोग उपभोक्ताओं द्वारा आयातित उत्पाद के साथ-साथ एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है।

च.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. जांच त्रुटिपूर्ण है, क्षेत्राधिकार के बिना है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आवेदक ने जांच शुरूआत के लिए अपेक्षित पाटन वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं। आवेदन में कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार नहीं हैं और यह प्रकाशित सूचना के विपरीत है। आरोप अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं। आवेदक प्रस्तुत आंकड़ों से तार्किक निष्कर्ष निकालने में भी विफल रहा है।
- ख. ए डी ए के अनुच्छेद 5.3 में प्राधिकारियों के लिए आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता की जांच करना अपेक्षित है। यू एस – साफ्टवुड लुंबर मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल ने माना था कि पर्याप्त साक्ष्य का अर्थ केवल आरोपों या संयोग से कहीं ज्यादा है। ग्वाटेमाला- सीमेंट-II की मान्यता के अनुसार अनुच्छेद 5.2 को पूरा करने वाले किसी आवेदन में अनुच्छेद 5.3 के अंतर्गत जांच शुरूआत को उचित ठहराने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं दर्शाए जाते हैं। मैक्सिको – स्टील पाइप और ट्यूब मामले में मैक्सिको का यह तर्क कि केवल जांच शुरू करने का तथ्य यह दर्शाता है कि प्राधिकारी ने साक्ष्य की पर्याप्तता की जांच की है अन्यथा जांच की शुरूआत अस्वीकृत हो जाती है।
- ग. आवेदन ए डी ए के अनुच्छेद 3.1 और 3.5 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।
- घ. घरेलू उद्योग ने आवेदन में बताया है कि जापान से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मूल सीमा शुल्क भारत – जापान सीईपीए द्वारा यथानिर्धारित अन्य देशों के लिए 10 प्रतिशत के मुकाबले पी ओ आई में 1.80 प्रतिशत रहा है। 1.80 प्रतिशत के आयात शुल्क का घरेलू उद्योग ने पहुंच मूल्य और कीमत कटौती की गणना हेतु प्रयोग किया था। भारत – जापान सीईपीए के अनुच्छेद 29-30 के अनुसार अधिमानी दर का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब उत्पाद में 35 प्रतिशत का मूल्यवर्धन हो। ऐसी बिक्रियों के लिए

जापान चैंबर ऑफ इंडस्ट्री द्वारा ईपीए – सीओओ प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जे टी सी कारपोरेशन और काटो संशो कंपनी लि० के जरिए जे एस आर कारपोरेशन द्वारा भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु के अनेक सौदे 35 प्रतिशत के मूल्यवर्धन की अपेक्षा को पूरा नहीं करते थे और आयातक ने उन पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क दिया था। पहुंच मूल्य और क्षति मार्जिन की गणना के लिए वास्तविक प्रदत्त सीमा शुल्क का प्रयोग किया जाएगा और न कि डी आई द्वारा प्रदत्त नगण्य शुल्क का।

- ड. जे एस आर कारपोरेशन और आयातक के बीच या आयातक और उनके असंबंधी पक्षकार के बीच कोई क्षतिपूर्ति व्यवस्था नहीं है और आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है और सभी वस्तुओं को लाभप्रद मार्जिन पर बेचा है। घरेलू उद्योग का तर्क निराधार है और काल्पनिक आधारों पर किया गया है।
- च. संबद्ध वस्तु के लिए जे एम एफ सिंथेटिक की बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की कीमत सूची से 24 प्रतिशत से अधिक है। यह मानना सुरक्षित है कि घरेलू उद्योग भी भुगतान और मात्रा के आधार पर कीमतें कम करके उपभोक्ताओं को छूट देता है। जे एस आर द्वारा उत्पादित एन बी आर के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों, निर्यात उत्पादों और आयातित घटकों को प्रतिस्थापित करने के लिए उच्चतर प्रीमियम कीमत का भुगतान किया जाता है।
- छ. पहुंच मूल्य और क्षति मार्जिन की गणना के लिए भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य सीमा शुल्क का प्रयोग करना होगा और न कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त नाम मात्र के शुल्क का।
- ज. रूस के आयातों के संबंध में वर्तमान जांच को जारी रखने का कोई आधार नहीं है और इसे तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।
- झ. प्राधिकारी ने गैर-तुलनीय और गैर-समान (पूर्ण वित्तीय वर्ष, 15 महीने और 9 महीने) को अपनाया है। आवेदन 2 के अनुसार पी ओ आई के लिए डी आई के कार्य निष्पादन मापदंडों में 6 महीने (जुलाई से दिसंबर, 2019) शामिल हैं जिन्हें पूर्ण वित्तीय वर्षों के लिए संकेतकों और 15 महीने (अप्रैल 2018-जून, 2019) के संकेतकों के साथ तुलना करके वार्षिकीकृत किया गया है गैर समान अवधियों के कारण यह गलत प्रतीत होता है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को 15 महीनों तक बढ़ा देना बिल्कुल अवैध है और किसी कानूनी या तार्किक आधार से परे है। क्षति आकलन के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा प्रस्तावित क्षति अवधि में पूरे पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष शामिल नहीं हैं। क्षति अवधि और पी ओ आई (अर्थात अप्रैल से जून, 2019) के बीच अंतर है जिसे कोई भी कारण बताए बिना पी ओ आई से बाहर कर दिया गया है। व्यापार सूचना 2/2004 के अनुसार पी ओ आई और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए और पी ओ आई को एक अप्रैल से शुरू होना चाहिए। अतः व्यापारी पी ओ आई का कोई प्रावधान नहीं है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु वर्तमान मामले में ऐसा नहीं हो रहा है।
- ञ. आवेदक 6 महीने या 9 महीने की पी ओ आई का प्रस्ताव करने के लिए कोई संभावित कारण उचित ठहराने में विफल रहा है। प्रस्तावित और अपनाई गई पी ओ आई तथा आवेदन/जांच शुरूआत के बाद के अनुरोध और जांच शुरूआत अधिसूचना व्यापार सूचना 2/2004 का उल्लंघन है जिसमें यह व्यवस्था है कि पी ओ आई और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और क्षति अवधि में पी ओ आई तथा तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष शामिल होने चाहिए। डीजीटीआर मैनुअल के पैरा 5.10 में प्रावधान है कि पी ओ आई एक पूर्ण वित्तीय वर्ष होना चाहिए।
- ट. ए डी ए के अनुच्छेद 5.8 के अनुसार जांच समाप्त कर दी जाएगी यदि आयात आयातक सदस्य में समान उत्पाद के आयातों का तीन प्रतिशत से कम हैं। आवेदक के आंकड़ों के अनुसार रूस के आयात जांच अवधि जुलाई से दिसंबर 2019 (6 महीने) में तीन प्रतिशत से थोड़े से अधिक (3.98 प्रतिशत) हैं।
- ठ. घरेलू उद्योग को दो दशकों से एन बी आर पर ए डी डी के रूप में व्यापार उपचारों का संरक्षण दिया जा रहा है और अब भी वह आयातों के कारण क्षति का दावा कर रहा है। इसके अलावा, मौजूदा शुल्क के विस्तार से ए डी ए के अनुच्छेद 11.1 और नियमावली के नियम 23(1) की भावना का उल्लंघन होगा। घरेलू उद्योग आयातों से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए व्यापार उपचारात्मक उपायों पर

- अत्यधिक निर्भरता रख रहा है और अपनी कमजोरियों को संरक्षित कर रहा है। भारत में कुल आयातों का लगभग 93 प्रतिशत पी ओ आई में ए डी डी वाले देशों से हुआ है या वे वर्तमान जांच के अधीन हैं।
- ड. निश्चयात्मक उपायों के लागू होने से घरेलू बाजार में आयात बुरी तरह से बाधित होंगे जिससे घरेलू उद्योग को कीमत बढ़ाने का मौका मिल जाएगा और घरेलू प्रयोक्ता अनावश्यक रूप से दंडित होंगे।
- ढ. ईयू, पी यू सी पर चीन द्वारा लागू पाटनरोधी उपायों के अधीन नहीं है।
- ण. रूस के आयातों के संबंध में वर्तमान जांच को जारी रखने का कोई आधार नहीं है और इसे तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।
- त. अल्प अवधि के लिए डी आई के कार्य निष्पादन के विश्लेषण से कंपनी का वास्तविक कार्य निष्पादन प्रदर्शित नहीं होता है।
- थ. घरेलू क्षमता एन बी आर की आधी घरेलू मांग को भी कवर नहीं करती है। यदि पूर्ण क्षमता पर भी प्रचालन करे तो भी उत्पादन अपर्याप्त है। इसलिए ए डी डी से घरेलू बाजार एकाधिकारी हो जाएगा और प्रयोक्ता उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- द. आवेदक द्वारा उत्पादित एन बी आर खराब गुणवत्ता का है और यह उन्हें गुणवत्ता ग्रेड और एन बी आर पीवीसी के विशेष ग्रेड का उत्पादन करने से रोकता है। भारतीय रबड़ उद्योग इसी कारणवश अच्छी गुणवत्ता की एन बी आर पीवीसी से वंचित है। घरेलू रूप से उत्पादित एन बी आर की संगतता भी अनेक अनुप्रयोगों विशेषतः आटोमोटिव कलपुर्जों के लिए उपयुक्त नहीं है। घरेलू उद्योग के पास ग्रेडों की काफी सीमित रेंज है।
- ध. एन बी आर को अपकोटेक्स से घरेलू एनबीआर-पीवीसी विनिर्माताओं द्वारा केवल स्टॉप गैप के रूप में खरीदा गया है। इंपीरियल द्वारा खरीदी गई वस्तु न केवल महंगी थी बल्कि खराब गुणवत्ता की थी और खेप का एक बड़ा हिस्सा अस्वीकृत हो गया यदि एन बी आर पर ए डी डी लगाया जाता है तो इंपीरियल की कच्ची सामग्री की लागत प्रभावित होगी जबकि डी आई का एन बी आर – पीवीसी प्रभाग अबाध्य कच्ची सामग्री उत्पादन के कारण कच्ची सामग्री की कम लागत का लाभ लेगा। इससे एमएसएमई – एन बी आर – पी वी सी विनिर्माता बुरी तरह प्रभावित होंगे।
- न. एन बी आर की कीमतों में वृद्धि से आटोमोटिव कलपुर्जों महंगे हो जाएंगे जिससे घरेलू ओईएम आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता घट जाएगी। चूंकि एन बी आर का एक बड़ा प्रतिशत राइस रोलर्स में प्रयुक्त होता है इसलिए ए डी डी से कृषि क्षेत्र को और अधिक नुकसान होगा। आटो पार्ट्स, राइस रोलर्स और एल पी जी ट्यूबों में कीमत वृद्धि से महंगाई कम करने की सरकारी स्कीमें/योजनाएं प्रभावित होती हैं।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

31. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के मत पर विचार किया है भिन्न-भिन्न सीमा शुल्क संबंधी तर्क के बारे में प्राधिकारी ने आयातों पर प्रदत्त वास्तविक सीमा शुल्क पर विचार किया है। प्राधिकारी ने डीजीएस आंकड़े मंगाए हैं और इस आंकड़े पर आधारित आयातों पर प्रदत्त सीमा शुल्क को अपनाया है। चूंकि प्राधिकारी ने आयातों पर प्रदत्त वास्तविक सीमा शुल्क पर विचार किया है इसलिए इस संबंध में अन्य सभी तर्क असंगत हैं।
32. रूस से आयातों के न्यूनतम सीमा पर होने संबंधी तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि रूस से आयात भारत में कुल आयातों का 4.04 प्रतिशत हैं।
33. याचिका में 6 महीने की पी ओ आई और जांच शुरूआत अधिसूचना में 9 महीने की पी ओ आई में प्राधिकारी की यह संगत परिपाटी रही है कि वे ऐसी स्थितियों में सर्वाधिक हाल के आंकड़ों को शामिल करने के लिए जांच शुरूआत के समय पी ओ आई को बढ़ाते हैं। जब यह पाया जाता है कि आवेदन में दी गई पी ओ आई बिल्कुल हाल की अवधि नहीं है जिसके लिए पक्षकारों द्वारा आंकड़े दिये जा सकते हों। यह कानून और प्रक्रिया से संगत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 6 महीने पी ओ आई अपनाना नियमावली के असंगत नहीं है। बशर्ते कि आवेदक ऐसी समयावधि की जरूरत को उचित ठहराए और उसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाए। इस मामले में आवेदकों ने

यह कारण बताते हुए पी ओ आई के रूप में 6 महीने की अवधि पर विचार करना उचित ठहराया है कि पी यू सी की कीमतें जून, 2019 के बाद काफी अधिक घट गई हैं और कीमतों में इस गिरावट के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में संगत अवधि में भारी गिरावट आई है। इस उत्पाद को जुलाई, 2019 से पहले काफी उच्च कीमत पर निर्यात किया गया था। इस प्रकार अप्रैल-जून, 2019 को शामिल करने का अर्थ ऐसी अवधि को शामिल करना होता जिसके लिए पाटन अथवा क्षति का कोई आरोप नहीं है। जांच के उद्देश्य और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जांच शुरुआत किसी आवेदन पर आधारित है। ऐसी जांच अवधि निर्धारित करना उचित नहीं होगा जिसके लिए क्षतिकारी पाटन का कोई आरोप न हो। यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली को अधिसूचना संख्या 9/2020-सीमा शुल्क (एन टी) दिनांक 2 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है जिसमें नियम 2(घक) और नियम 22 के स्पष्टीकरण को निम्नलिखित प्रावधान को शामिल करते हुए अंतःस्थापित किया गया है:

जांच की अवधि -

- (i) जांच की शुरुआत की तारीख के अनुसार 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होगी।
- (ii) 12 महीने की अवधि होगी और लिखित कारण दर्ज करने पर प्राधिकारी न्यूनतम 6 महीने की अवधि या अधिकतम 18 महीने की अवधि पर विचार कर सकते हैं।

मामले के तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने जांच अवधि के रूप में 9 महीने का चयन करना उचित माना था।

34. हितबद्ध पक्षकारों के इस दलील के संबंध में कि पूर्ववर्ती वर्ष की 15 महीने की अवधि और पी ओ आई के 9 महीनों के बीच तुलना नहीं की जा सकती है, प्राधिकारी ने वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18, अप्रैल, 2018 – जून, 2019 और पी ओ आई के लिए आंकड़ों पर अलग-अलग विचार किया है। चूंकि अप्रैल, 2018 – जून, 2019 के लिए आंकड़े 15 महीने की अवधि के लिए और पी ओ आई के आंकड़े 9 महीने की अवधि के हैं इसलिए प्राधिकारी ने इस अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों पर समुचित वार्षिकीकृत आंकड़ों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने माना है कि आंकड़ों के एक बार वार्षिकीकृत होने से इस तथ्य का पर्याप्त समाधान हो जाता है कि कुछ अवधियां 12 महीने से कम या उससे अधिक हैं। यह प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई संगत प्रक्रिया है।
35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरंतर शुल्क के संबंध में उठाए गए मुद्दे के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क को लगाए जाने के समय की संख्या के बारे में किसी दिए गए उत्पाद पर कोई प्रतिबंध लगाया या बढ़ाया नहीं गया है। यदि ए डी डी को बढ़ाने की विधिक अपेक्षा पूरी हो जाती है तो केवल तभी घरेलू उद्योग के हितों के संरक्षण के लिए शुल्क लगाया जाता है। तथापि, वर्तमान जांच एक मूल जांच है और उत्पाद पर कोई ए डी डी लागू नहीं है। यह तथ्य कि पूर्व में कुछ संबद्ध देशों पर शुल्क लागू था और अब कोई शुल्क नहीं है। अपने आप में यह दर्शाता है कि ए डी डी को केवल तभी लगाया जाता है जब एक विस्तृत जांच के बाद उसकी जरूरत सिद्ध हो।
36. यह नोट किया गया है कि ए डी जांच का प्रयोजन इस बात की जांच करना है कि क्या उत्पाद का पाटन हुआ है और क्या ऐसे पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
37. हितबद्ध पक्षकारों के आवेदन और प्रश्नावली के उत्तर की पर्याप्तता और सटीकता संबंधी अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन में जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ संगत समस्त सूचना दी गई थी। प्राधिकारी ने इस बात से संतुष्ट होने पर ही कि आवेदन में जांच की शुरुआत को सही ठहराने वाले पर्याप्त साक्ष्य हैं, वर्तमान जांच की शुरुआत करने का निर्णय लिया।
38. इस तर्क के संबंध में कि याचिककर्ता द्वारा उत्पादित एन बी आर खराब गुणवत्ता का है। यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों का तर्क साक्ष्यों के बिना है। यह तथ्य कि गुणवत्ताएं अलग-अलग हो सकती हैं। नहीं सिद्ध करता है कि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हैं।
39. प्रयोक्ता उद्योग पर ए डी डी के प्रभाव संबंधी तर्क के बारे में यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया कि एन बी आर की ये कीमतें उपभोक्ताओं को कैसी प्रभावित करती हैं। यद्यपि प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए ए डी डी के प्रभाव की मात्रा बताने और यह स्पष्ट करने के लिए विहित प्रपत्र दिए थे कि ए डी डी लगाना उन्हें प्रतिकूल रूप से कैसे प्रभावित करेगा। यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने संगत

सूचना नहीं दी है। अतः यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना सहित प्रयोक्ता उद्योग पर ए डी डी का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है। इसके अलावा, यदि यह माना जाता है कि ए डी डी लगाने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होने की संभावना है तब भी यह नोट किया जाता है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से कम नहीं होगी। विशेष रूप से तब जब कि ए डी डी की राशि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो। पाटनरोधी उपाय लगाने का उद्देश्य पाटन प्रथाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभों को समाप्त करना, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोकना और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद करना है।

40. पी सी एन वार विश्लेषण के संबंध में जैसा ऊपर बताया गया है प्राधिकारी वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ग्रेडवार विश्लेषण करना उचित और आवश्यक नहीं समझते हैं।
41. इस दलील के संबंध में कि घरेलू उद्योग देश में उत्पाद की मांग को पूरा नहीं कर सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग – आपूर्ति में अंतर से देश में उत्पाद का पाटन सही नहीं ठहराया जा सकता है। विशेष रूप से तब जब कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उन्हें देश में पाटन के कारण क्षति हो रही है।
42. इस तर्क के संबंध में कि ए डी डी लगाने से एन बी आर – पी वी सी विनिर्माता बुरी तरह प्रभावित होंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दो उत्पाद पूर्णतः भिन्न उत्पाद हैं। केवल यह तथ्य कि घरेलू उद्योग एन बी आर और डाउनस्ट्रीम उत्पाद दोनों को बना रहा है, का यह अर्थ नहीं है कि शुल्क लागू होने से घरेलू उद्योग को कोई अनुचित लाभ होगा, विशेष रूप से तब जब कि उपाय क्षति मार्जिन तक सीमित रहने का प्रस्ताव है।
43. इस तर्क के संबंध में कि एन बी आर की कीमतों में वृद्धि से आटोमोटिव संघटक महंगे हो जाएंगे जिससे घरेलू ओ ई एम आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई सत्यापन योग्य सूचना और दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। वास्तव में प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए प्रश्नावलियां विहित की हैं जिनमें प्राधिकारी ने डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रस्तावित उपायों के प्रभाव संबंधी संगत सूचना विहित की है। यह देखा गया है कि किसी भी पक्षकार ने यह सूचना नहीं दी है न ही किसी पक्षकार ने यह सिद्ध किया है कि ए डी डी लागू होने से आटो कंपोनेंट्स पर भारी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, उनकी स्वयं की स्वीकृति से हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि एन बी आर की काफी मात्रा राइस रोलर्स में प्रयुक्त होती है। इसलिए यह सिद्ध नहीं हुआ है कि शुल्क लागू होने से उपभोक्ताओं पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

44. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- क. संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की कीमत के साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए गए थे। तथापि, इस कारणवश समुचित तीसरे देश में कीमत यह परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी और यह कि उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में उत्पादित होता है। अतः आवेदक ने तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़कर परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य पर विचार करने का दावा किया है।
- ख. प्राधिकारी केवल तभी सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ अनुबंध-1 के पैरा 1-6 का पालन करेंगे यदि प्रतिवादी चीनी कंपनियां सिद्ध करती हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना ऐसी है कि अलग-अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि प्रतिवादी चीनी कंपनियां यह दर्शाने में असमर्थ रहती हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना को अपनाया जा सकता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग-अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार कर देंगे।
- ग. चूंकि चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के हकदार नहीं हैं इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अनुबंध-1 के पैरा 7 का अनुपालन किया जाए।

- घ. चूंकि इस कारण से बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता है कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने भारत में विधिवत रूप से समायोजित देय कीमत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा किया है।
- ड. चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु आवेदक ने घरेलू उद्योग की विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन जोड़ने के बाद अपनाया है।
- च. आवेदकों ने सी आई एफ कीमत को लिया है और उसे निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजित किया है। चीन जन. गण. के मामले में बैट के लिए एक अतिरिक्त समायोजन किया गया है।
- छ. प्रत्येक संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।
- ज. चीन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः चीन के सभी उत्पादकों को नियम 6(8) के अनुसार असहयोगी माना जाना चाहिए। प्राधिकारी को असहयोग के सिद्धांतों के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।
- झ. आवेदक को रूस में खपत हेतु लक्षित बिक्री कीमत संबंधी सूचना नहीं मिल सकी थी क्योंकि पी यू सी का विनिर्माण करने वाली रूसी कंपनियों की लागत और कीमत संबंधी सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।
- ञ. जापान से एन बी आर के आयात पूर्व में 1995 में ए डी डी के अधीन थे। बाद में उसे 2001 तक उसे बढ़ाया गया। 2005 में ईयू (जर्मनी को छोड़कर), मैक्सिको और ब्राजील से आयातों पर प्रारंभिक शुल्क भी लगाया गया था। हाल में प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के आयातों पर ए डी डी जारी रखने की सिफारिश की थी।
- ट. संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों ने पिछले कुछ समय से भारत को पी यू सी का निर्यात किया है। जापान और ईयू के उत्पादकों को पहले भी भारत में पाटन करता हुआ पाया गया था।
- ठ. कोरिया और जापान से निर्यातों पर चीन द्वारा ए डी डी लगाए जाने के बाद इन स्रोतों से भारतीय बाजार में आक्रामक रूप से आयात हुए और आयातों की कीमतों में भारी गिरावट आई जो निविष्टि लागत में गिरावट से काफी अधिक थी। यही रुझान अन्य देशों से भी देखा गया था।
- ड. घरेलू उद्योग ने पी यू सी के वर्णन के आधार पर निर्यातकवार आयातों को पृथक् किया है और यह देखा गया है कि प्रत्येक प्रतिवादी निर्यातक भारत को पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर पी यू सी का निर्यात कर रहा है।
- ढ. जिओन और जे एस आर के बीच पाटन मार्जिन में भारी अंतर है यह अंतर निर्यात कीमत की अविश्वसनीयता को और अधिक स्पष्ट और सिद्ध करता है।
- ण. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के पास अनेक संबंधित पक्षकार हैं जो पी यू सी के उत्पादन में शामिल हैं परंतु उन्होंने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। इससे प्राधिकारी के पास बिल्कुल अधूरी सूचना है। असहयोगी संबंधित पक्षकारों में अर्लान्जियो – टीएसआरसी (नॉन-टोंग) केमिकल इंडस्ट्रीयल कंपनी लि० (अर्लान्जियों इमल्सन रबड़ फ्रांस एस ए एस से संबंधित), इलैस्टोमिक्स कंपनी लि० (जे एस आर ग्रुप से संबंधित), और जिओन इंडिया प्रा० लि० (जिओन ग्रुप से संबंधित) शामिल हैं। ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों को असहयोगी माना जाना चाहिए और उन्हें अलग पाटन मार्जिन नहीं देना चाहिए।
- त. जे एस आर ग्रुप द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में ऐसा कुछ नहीं है जो उनके निर्यात कीमत की विश्वसनीयता सिद्ध करता हो। प्राधिकारी से क्षतिपूर्ति व्यवस्था की संभावना की जांच का अनुरोध किया है और वह कंपनी निर्यात कीमत को अस्वीकार कर दे।

- थ. जिओन ग्रुप का यह दावा कि जिओन इंडिया प्रा० लि० भारत में पी यू सी के बिक्री सौदों और/बिक्री श्रृंखला में शामिल नहीं हैं, भ्रामक है। जिओन जापान की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिओन इंडिया प्रा० लि० भारत में जिओन ग्रुप के समस्त व्यवसाय को संभालने में शामिल है। व्यवसाय कार्यकलापों में सिंथेटिक रबड़ सहित जिओन ग्रुप के आयात, बिक्री और विपणन का उल्लेख है। जिओन इंडिया से असहयोग जांच प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है और प्राधिकारी से प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक को असहयोगी माने जाने और अलग पाटन मार्जिन नहीं दिए जाने का अनुरोध है।

छ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

45. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आवेदक सामान्य मूल्य संबंधी सूचना एकत्र करने में क्यों विफल रहा और इन प्रयासों में क्या शामिल था। ऐसे आवेदन को स्वीकार करने का ए डी ए में कोई औचित्य नहीं है जिसमें रूस में परिकलित मूल्य के बजाय भारत में परिकलित मूल्य संबंधी आंकड़े शामिल हों। रूस के लिए सामान्य मूल्य की रेंज परिकलित करने संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई है और इसलिए इसकी सत्यता संबंधी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। सामान्य मूल्य परिकलित करने की विभिन्न पद्धतियों में ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है कि क्यों कतिपय पद्धतियां संभव नहीं हैं।
- ख. ऐसा लगता है कि आवेदक ने रूस और चीन में परिकलित सामान्य मूल्य सिद्ध करने के लिए एक ही पद्धति का प्रयोग किया है। आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 और संगत भारतीय विधान से इसका समर्थन किया। तथापि, रूस के मामले में ऐसे परिकलन को स्वीकार करने का प्राधिकारी को कोई अधिकार नहीं था और रूस के डब्ल्यू टी ओ एक्सेसन प्रोटोकॉल में कोई समान वचनबद्धताएं नहीं हैं।
- ग. आवेदक द्वारा एकत्रित पाटन के किसी साक्ष्य को तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ए डी ए के अनुच्छेद 2 के अनुरूप न हो।
- घ. सामान्य मूल्य परिकलन संबंधी सूचना का कोई एन सी वी सारांश या ऐसा कोई नहीं दिया गया है कि प्रदत्त सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।
- ड. उत्पादक द्वारा रिकार्ड में प्रस्तुत आंकड़ों पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और मार्जिन के निर्धारणार्थ विचार किया जाना चाहिए।
- च. आवेदक ने प्रस्तुत अद्यतन सूचना में अद्यतन पी ओ आई के लिए पाटन मार्जिन को अद्यतन नहीं किया है।
- छ. प्रमुख कच्ची सामग्रियों अर्थात् एसीएन और बीडी की लागत विभिन्न बाजारों में काफी अलग-अलग हैं और ईयू में एसीएन और बीडी की प्रचलित लागत पर संबंधित संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया जाना चाहिए था। वे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में प्रकाशित हैं और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
- ज. जापान में कच्ची सामग्री अर्थात् एसीएन और बीडी की प्रचलित लागत पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वे विभिन्न बाजारों में काफी अलग-अलग हैं और कीमत विभिन्न प्रकाशनों जैसे आईसीआईएस में प्रकाशित हैं और सार्वजनिक डोमेन में तत्काल उपलब्ध हैं।
- झ. पाटन मार्जिन गलत और गुमराह करने वाला है।
- ञ. इलैस्टोमिक्स कंपनी लि० जापान में संबद्ध वस्तु का एक अंतिम प्रयोक्ता है। इलैस्टोमिक्स कंपनी लि० ने जे एस आर कारपोरेशन, जापान से संबद्ध वस्तु ली है, परंतु उसका प्रयोग मास्टर बैच (गैर पी यू सी) के विनिर्माण में किया है। डीजीटीआर द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यातक देश में संबंधित अंतिम प्रयोक्ता द्वारा दायर किया जाने वाला कोई विहित प्रश्नावली प्रपत्र नहीं है और इसलिए इलैस्टोमिक्स कंपनी लि० कोई प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है।

- ट. उत्पादक और अर्लान्जियो – टीएसआरसी केमिकल इंडस्ट्रीयल कंपनी लि०, चीन दो अलग-अलग विधिक कंपनियां हैं और स्वतंत्र रूप से प्रचालन करती हैं इसलिए यह असंगत है कि क्या अर्लान्जियो – टीएसआरसी केमिकल इंडस्ट्रीयल कंपनी लि० ने वर्तमान जांच में भाग लिया अथवा नहीं। उत्पादक ने वर्तमान जांच में पूर्णतः भागीदारी की है और कथित पाटन और क्षति संबंधी सभी तथ्यों को उत्पादक द्वारा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कथित पाटन और क्षति के संबंध में उत्पादक द्वारा रिकार्ड तथ्यों के आधार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ठ. जिओन कारपोरेशन और उसके निर्यातकों को अलग पाटन मार्जिन दिया जाना चाहिए।
- ड. उत्पादक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार किया जाना चाहिए।
- ढ. पाटन मार्जिन परिकलन और क्षति आकलन औसत से औसत तुलना के बजाय पी सी एन पर आधारित होना चाहिए क्योंकि यह कीमत तुलनीयता के लिए उपयुक्त है। ए डी करार के अनुच्छेद 3(1) का संदर्भ दिया गया है इसमें वस्तुनिष्ठ जांच वाले सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित निर्धारण अपेक्षित है।
- ण. आवेदक ने विभिन्न ग्रेडों और उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट प्रयोग को स्वयं स्वीकार किया है तथापि, प्राधिकारी ने पी सी एन वार सूचना नहीं मंगाई है।
- त. घरेलू उद्योग ने यह बताने में उपयुक्त पद्धति का प्रकटन नहीं किया है कि जिओन और जे एस आर के पाटन मार्जिन में भारी अंतर है। यह असाध्यंकित है क्योंकि यह उत्पादक के सामान्य मूल्य और कारखाना पश्चात व्ययों संबंधी विश्वसनीय सूचना पर आधारित प्रतीत नहीं होता है।
- थ. जिओन इंडिया प्रा० लि० जिओन ग्रुप के लिए पी ओ आई के दौरान भारत में पी यू सी के बिक्री सौदों/बिक्री श्रृंखला में शामिल नहीं है। सभी शामिल कंपनियों ने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग का दावा निराधार है।
- द. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पाटन को अपनाने का कोई कारण/अवसर नहीं है। डी एस एम इडेमिट्सु लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

46. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

47. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रश्नावली का उत्तर देकर इस जांच में सहयोग किया है।
- i. मै० अर्लान्जियो इमल्सन रबड़ फ्रांस एसएएस, फ्रांस; (अर्लान्जियो)
 - ii. मै० गोको ट्रेडिंग कं. लि., जापान;
 - iii. मै० जेएसआर कारपोरेशन, जापान;
 - iv. मै० जेएसआर ट्रेडिंग कं. लि., जापान;
 - v. मै० जेटीसी कारपोरेशन, जापान;
 - vi. मै० काटो संशो कं. लि., जापान;
 - vii. मै० जेएससी क्रासनोयारस्क सिंथेटिक रबड़ प्लांट, रूस;
 - viii. मै० पी जे एस सी सिबुर हॉल्लिंग, रूस;
 - ix. मै० सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
 - x. टोक्यो जैरयों कंपनी लि०, जापान;
 - xi. मै० जीओन एशिया प्रा० लि०, सिंगापुर;
 - xii. मै० जीओन कारपोरेशन जापान (जेडसी)
48. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है।
49. इस दलील के संबंध में कि आवेदक ने वास्तविक घरेलू कीमत संबंधी सूचना प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना नहीं दर्शाई है जिसका सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयोग किया जा सके। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए सूचना प्रदान करना अपेक्षित है यदि वह पक्षकारों को तर्कसंगत और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।
50. रूस के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक का दावा घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रूस में उत्पादन लागत के अनुमानों पर आधारित है। तथापि, इन जांच परिणामों में सामान्य मूल्य सहयोगी उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है।
51. प्राधिकारी ने संबंधित देशों में जहां उपलब्ध हो, संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य के आकलन के प्रयोजनार्थ प्रचलित कच्ची सामग्री कीमतों पर विचार किया है।

छ.4. सामान्य मूल्य का निर्धारण

52. सामान्य मूल्य के निर्धारण से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य जहां विदेशी उत्पादकों द्वारा पर्याप्त सूचना उपलब्ध करायी गई है। संबद्ध देशों में प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर निर्धारित किया गया है। जांच शुरूआत के समय अपनाए गए साक्ष्य के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदन में पाटन के साक्ष्य उपलब्ध तथ्यों पर आधारित थे। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया कि संबद्ध देशों में वास्तविक बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे।

यूरोपीय संघ

अर्लान्जियो इमल्सन रबड़ फ्रांस एस ए एस, फ्रांस

सामान्य मूल्य

53. यूरोपीय संघ से सहयोगी उत्पादक और निर्यातक अर्लान्जियो इमल्सन रबड़ फ्रांस एस ए एस (अर्लान्जियो) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर यह नोट किया जाता है कि पी ओ आई के दौरान घरेलू बिक्रियां संबद्ध तथा असंबद्ध ग्राहकों दोनों को की गई हैं। अर्लान्जियो द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर की आवश्यक सीमा तक जांच और सत्यापन किया गया है तथा उन पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया गया था। प्राधिकारी

नोट करते हैं कि अर्लान्जियो ने घरेलू बाजार में *** एम टी पी यू सी बेची थी। घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में पायी गई थी।

54. सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संबंध में लाभप्रद घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण (ओ सी टी) संचालित किया। ओ सी टी संचालित करने के बाद प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार में की गई लाभप्रद बिक्रियों पर विचार किया है।
55. अर्लान्जियो ने छूट, नौवहन व्यय, कमीशन, ऋण लागत और बैंक प्रभार के कारण समयोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के बाद दावा किए गए समयोजनों को स्वीकार किया है। अर्लान्जियो के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर तदनुसार निर्धारित किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ईयू में असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईयू से किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। ईयू में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

जापान

मै० जे एस आर कारपोरेशन (उत्पादक/निर्यातक), मै० जे टी सी कारपोरेशन (निर्यातक), मै० जे एस आर ट्रेडिंग कंपनी लि० (निर्यातक), मै० काटो संशो कंपनी लि०, (निर्यातक), मै० गोको ट्रेडिंग कंपनी लि०, (घरेलू विक्रेता), मै० जे एम एफ सिंथेटिक्स इंडिया प्रा० लि० (आयातक), मै० ओलमेक इन्वेंचर्स (आयातक), मै० विस्टा बिजीनेस वेन्चर्स एल एल पी (आयातक)

57. यह नोट किया जाता है कि मै० जे एस आर कारपोरेशन ("जे एस आर") एक सीमित दायित्व कंपनी है और जापान के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। जे एस आर जापान से संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक और निर्यातक है।

जे एस आर कारपोरेशन, जापान

सामान्य मूल्य

58. पी ओ आई के दौरान जे एस आर ने घरेलू बाजार में संबंधित और असंबंधित पक्षकारों को बीजक मूल्य (***) जेवाईपी) की (***) एम टी) संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। उनके उत्तर के आधार पर यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्रियां घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण संचालित किया। यदि लाभप्रद सौदें 80 प्रतिशत से अधिक हों तो प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार के सभी सौदों पर विचार करते हैं और यदि लाभप्रद सौदें 80 प्रतिशत से कम होते हैं तो सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया जाता है। इस मामले में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण पर आधारित सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्रियां 80 प्रतिशत से कम थी।
59. जे एस आर ने अंतरदेशीय परिवहन ऋण लागत, प्रचालन व्यय, माल भाड़ा, बीमा, बिक्रियों के लिए विविध व्यय और भंडारण व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया है और उन्हें सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए डेस्क सत्यापन के पश्चात समायोजित किया गया है। तदनुसार, जे एस आर के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

जिओन कारपोरेशन, (उत्पादक), टोक्यो जैरयो कंपनी लि०, जापान ("टीजेड"), जिओन एशिया प्रा० लि० सिंगापुर ("जेडए"), टोक्यो जैरयो इंडिया प्रा० लि० ("टीजेडआईएन")

सामान्य मूल्य

60. जापान से सहयोगी उत्पादक जिओन कारपोरेशन ("जेडसी") द्वारा दायर आंकड़ों के आधार पर यह नोट किया गया है कि पी ओ आई के दौरान घरेलू बिक्रियां प्रत्यक्ष रूप से या संबद्ध व्यापारी अर्थात् टोक्यो जैरयो कंपनी लि०, जापान ("टीजेड") के जरिए संबद्ध/असंबद्ध ग्राहकों को की गई हैं। जेड सी और उसके संबंधित व्यापारी द्वारा

दायर प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई और आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया गया और जेड सी के प्रश्नावली के उत्तर पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया गया था। जेड सी अपने प्रश्नावली के उत्तर में घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के सौदावार ब्यौरे प्रदान किए हैं। उत्तर की विस्तृत जांच डेस्क अध्ययन आधार पर की गई थी।

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जेड सी *** एमटी पी यू सी घरेलू बाजार में बेची है। भारत में निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में पायी गई हैं।
62. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री सौदों निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण संचालित किया चूंकि लाभप्रद सौदों 80 प्रतिशत से अधिक थे इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है।
63. जेड सी ने अंतरदेशीय भाड़े, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, भंडारण संभलाई प्रभार, ऋण लागत और अन्य व्यय/समायोजनों के लिए समायोजनों का दावा किया है और डेस्क सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दी गई है। संबंधित व्यापारी (टी जेड) की लाभप्रदता की भी घरेलू बिक्रियों के संबंध में जांच की गई थी। जेड सी के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य तदनुसार निर्धारित किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

जापान में असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान से किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। जापान में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

रूस

जे एस सी क्रास्नोयार्स्क सिंथेटिक रबड़ प्लांट

सामान्य मूल्य

65. रूस से सहयोगी उत्पादक और निर्यातक मै० जे एस सी क्रास्नोयार्स्क सिंथेटिक रबड़ प्लांट (जे एस सी) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि जे एस सी ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है और अपने तीसरे संबंधित पक्षकार सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि जे एस सी ने घरेलू बाजार में **** एम टी संबद्ध वस्तु बेची है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ प्रश्नावली के उत्तर पर विचार किया गया है।
66. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री सौदों निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण संचालित किया क्योंकि सभी सौदों लाभप्रद हैं इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है।
67. उत्पादक ने अंतरदेशीय परिवहन, कमीशन और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है जिन पर विचार किया गया है। तदनुसार, जे एस सी के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

रूस में असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस से किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। रूस में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

69. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद- VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

70. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिया गया प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया। तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल के 15(क) (i) दायित्व के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ का अनुच्छेद 2.2.1.1 प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करते समय पूरक प्रश्नावली में दी जानी वाली सूचना/आंकड़ों के जरिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित ढंग और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार करना अपेक्षित है।

71. तदनुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

चीन जन. गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

72. चूंकि चीन जन. गण. से किसी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। जिसका पाठ निम्नानुसार है :

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक संगत समयावधि प्रदान की जाएगी।

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले उचित तीसरे देश में उत्पाद की कीमत या परिकलित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों को कीमत न तो आवेदक द्वारा या किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध करायी गई और न ही किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी को उपलब्ध है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में दी गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर समुचित देश का चयन करना अपेक्षित है। यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी कोई सत्यापन योग्य सूचना नहीं दी है जिसे प्राधिकारी द्वारा अपनाया जा सके। अतः प्राधिकारी की राय है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपलब्ध एक मात्र विकल्प समान उत्पाद के लिए भारत में प्रदत्त या देय कीमत जिसे तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो, पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित करना है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.5. निर्यात कीमत का निर्धारण

ईयू

अर्लान्जियो इमल्सन रबड़ फ्रांस एस ए एस, फ्रांस और ए आर एल – प्लास्ट्रब एस ए

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अर्लान्जियो ने भारतीय उपभोक्ताओं को सीधे और एक व्यापारी अर्थात् मै० प्लास्ट्रब एस ए, स्विटजरलैंड के जरिए *** एम टी मात्रा का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै० प्लास्ट्रब एस ए ने प्रश्नावली का अलग उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और ऊपर सूचीबद्ध उन निर्यातों में से *** एम टी का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी कंपनियां भारत को अर्लान्जियो द्वारा की गई कुल बिक्रियों का *** प्रतिशत हिस्सा रखती हैं। इसके द्वारा अर्लान्जियो द्वारा सूची मात्रा को प्राधिकारी द्वारा पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु अर्लान्जियो द्वारा भारत को निर्यातों के रूप में स्वीकार किया गया है।
75. प्राधिकारी ने उत्पादक के लिए निर्यात कीमत की गणना करते समय अर्लान्जियो के डेस्क सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है। अर्लान्जियो ने छूटों, नौवहन लागत, कमीशन, ऋण लागत, बैंक प्रभार के लिए समायोजन का दावा किया है और उनकी अनुमति दी गई है।
76. तदनुसार, अर्लान्जियो के लिए निर्यात कीमत भारत को भारित औसत निर्यात कीमत पर आधारित है जिसमें भारत को निर्यातों के सभी चैनलों अर्थात् सहयोगी और असहयोगी की कीमत शामिल है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ईयू से असहयोगी निर्यातक

77. ईयू से किसी अन्य निर्यातक के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे जांच होने तक निर्धारित की गई है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस में सूचित और उत्पादकों तथा निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों में उल्लिखित आयातों पर विचार किया है।

जे एस आर कारपोरेशन, जापान, जे एस आर ट्रेडिंग कंपनी लि०, जे टी सी कारपोरेशन और काटो संशो कंपनी लि०

78. जे एस आर ने दो व्यापारियों अर्थात् मै० जे टी सी कारपोरेशन, जापान (***) एमटी) और मै० जे एस आर ट्रेडिंग कंपनी लि०, जापान (***) एमटी) के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि मै० जेटीसी कारपोरेशन जापान ने भारत में असंबंधित पक्षकार को (***) एम टी) और भारत में संबंधित पक्षकार मै० जे एम एफ सिंथेटिक्स इंडिया प्रा० लि० को ***) एम टी का निर्यात किया है। मै० जे टी सी कारपोरेशन, जापान ने भी एक असंबंधित निर्यातक अर्थात् मै० काटो संशो कंपनी लि० के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु (***) एम टी) का निर्यात किया है।
79. जे एस आर ने एक असंबंधित व्यापारी अर्थात् मै० बंदो ट्रेडिंग कंपनी लि० के जरिए भारत को निर्यात (***) एम टी) किया है। मै० जेएसआर जापान ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। उसकी संबंधित/असंबंधित व्यापारिक कंपनियों अर्थात् मै० जे एस आर ट्रेडिंग कंपनी लि०, जापान, मै० जे टी सी कारपोरेशन, जापान, मै० काटो संशो कंपनी लि० और मै० जे एस आर ट्रेडिंग कंपनी लि०, जापान द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दिया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि मै० बंदो ट्रेडिंग कंपनी लि० ने प्राधिकारी को प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है इसलिए मै० बंदो ट्रेडिंग कंपनी लि० के निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार किया है।
80. चूंकि अपने असंबंधित सहयोगी व्यापारी जिसने प्राधिकारी के समक्ष उत्तर दिया है, के जरिए उत्पादक द्वारा निर्यातों की मात्रा अधिक मानी गई है और ***) प्रतिशत से अधिक है इसलिए उत्पादक और सहयोगी व्यापारी द्वारा प्रस्तुत सूचना पर निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए विचार किया गया है। तदनुसार, निर्यात कीमत भारत को निर्यात की सभी श्रृंखला अर्थात् सहयोगी तथा असहयोगी की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।
81. अंतरदेशीय भाड़े, ऋण लागत, प्रचालन व्यय, माल भाड़ा बीमा, बिक्रियों के लिए विविध व्यय और भंडारण व्यय के लिए समायोजनों की अनुमति दी गई है। इन समायोजनों के लिए निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

जिओन कारपोरेशन, जापान, टोक्यो जैरयो कंपनी लि०, जापान और जिओन एशिया प्रा० लि०, जापान

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी ओ आई के दौरान जेड सी ने अपने संबंधित व्यापारी ई जेड के जरिए ***) एम टी मात्रा का निर्यात किया है। ई जेड ने भारत को पी यू सी की बिक्री अपने संबंधित आयातक अर्थात् टोक्यो जैरयो इंडिया प्रा० लि० ("टीजेडआईएन") द्वारा सीधे और एक संबंधित व्यापारिक कंपनी जिओन एशिया प्रा० लि०, सिंगापुर ("जेडए") के जरिए जिसने बाद में पी यू सी को असंबद्ध ग्राहकों और संबद्ध आयातक टीजेडआईएन को बेचा है, के जरिए की है। इसके अतिरिक्त, जेड ए ने एक असंबंधित व्यापारिक कंपनी आईएनवीआईसीटी (सिंगापुर) प्रा० लि० को सामग्री की बिक्री भी की है जिसने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी कंपनियों का भारत को जेड सी द्वारा की गई कुल बिक्रियों में ***) प्रतिशत हिस्सा है और पाटन मार्जिन को सहयोगी उत्पादक और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार करते हुए और संभव सीमा तक डेस्क सत्यापन के बाद निर्धारित किया गया है। भारत को निर्यातों की मात्रा के लिए जहां भारतीय उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों की श्रृंखला अधूरी है वहां निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।
83. नौवहन लागत, समुद्री बीमा, पत्तन संभलाई प्रभार, अंतरदेशीय भाड़े, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, भंडार संभलाई प्रभार, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया गया है और उनकी अनुमति दी गई है। प्राधिकारी ने निर्यातकों के उत्तर की जांच भी की है और व्यापारिक कंपनियों द्वारा उठाए गए घाटे (जहां लागू हो) को शामिल करने के लिए निर्यात कीमत में समायोजन भी किए गए हैं।
84. तदनुसार, जेड सी के लिए निर्यात कीमत भारत को निर्यातों की सभी श्रृंखलाओं अर्थात् सहयोगी और असहयोगी की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

जापान से असहयोगी निर्यातक

85. जापान से किसी अन्य निर्यातक के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस में सूचित और उत्पादकों तथा निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों में उल्लिखित आयातों पर विचार किया है।

जे एस सी क्रास्नोयास्क सिंथेटिक रबड़ प्लांट, रूस और सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच

86. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में यह नोट किया जाता है कि पी ओ आई के दौरान जे एस सी ने भारतीय उपभोक्ताओं को *** एम टी का निर्यात किया है। इस मात्रा में से उन्होंने *** एम टी को अपने भांडागार से नौवहन किया है और शेष *** एम टी को सीधे भारत को भेजा है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा समुद्री भाड़े, अंतरदेशीय भाड़े, आटो परिवहन, अन्य परिवहन व्यय, भंडागार प्रभार, ऋण लागत, लोडिंग और सीमा शुल्क निकासी प्रभार के लिए दावा किए गए समायोजनों की आवश्यक सत्यापन के पश्चात अनुमति दी है। तदनुसार, निर्धारित निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया है।

रूस के असहयोगी निर्यातक

87. रूस के उत्तर नहीं देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है। इस उद्देश्य से प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस ने रिपोर्ट किए गए और उत्पादक तथा निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार आयातों पर विचार किया है।

चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

88. चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों ने असहयोग को वरीयता दी है। चीन जन.गण. के सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उचित समायोजनों के बाद डीजीसीआईएंडएस ने रिपोर्ट किए गए आयातों के आधार पर किया है। तदनुसार, निर्धारण की गई निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

छ.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण

89. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में अनेक सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। प्राधिकारी की यह सतत् कार्य-पद्धति रही है कि वे निर्यात करने वाले संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एकमात्र कंपनी और इस प्रकार से उनके लिए एकमात्र पाटन मार्जिन सिद्ध करने के लिए विचार करें। यह विशेष रूप से इसलिए है कि अलग-अलग पाटन मार्जिन की गणना से पाटनरोधी उपायों से बचने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है और इस प्रकार से, न्यूनतम अलग-अलग पाटन मार्जिन के साथ इस कंपनी के माध्यम से भारत को अपने निर्यात भेजने के लिए निर्यात करने वाले संबंधित उत्पादकों को सक्षम बनाकर उन्हें निष्प्रभावी बनाया जा सके।
90. उपर्युक्त के अनुसार संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एकमात्र कंपनी के रूप में माना गया है और इसका कारण एकमात्र पाटन मार्जिन को बताया गया है जिसकी गणना सहयोग करने वाले संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन की भारित औसत के आधार पर किया गया था।
91. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:-

उत्पादक	एनवी/सीएनवी (यूएसडा./एमटी)	एनईपी (यूएसडा./एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडा./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज %)
ईयू					
अरलेन्स्को इम्युलसन रबड़ फ्रांस एस.ए.एस.	***	***	***	***	110- 120

ईयू से अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	160- 170
जापान					
जेएसआर कारपोरेशन	***	***	***	***	70-80
जीओन कारपोरेशन	***	***	***	***	110- 120
जापान से अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	120- 130
रूस					
जेएससी करासोयाक्स सिंथेटिक रंबड़ प्लांट	***	***	***	***	50-60
रूस से अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	60-70
चीन जन.गण.					
चीन जन.गण. के सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	40-50

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

92. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन वर्तमान मामले में उपयुक्त है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II पैरा (iii), जहां एक से अधिक देश की एक ही समय में पाटनरोधी जांच की जा रही हो, के अनुसार प्राधिकारी इस प्रकार के आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे। उसके लिए अपेक्षित शर्तों को इस मामले में पूरा किया गया है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे संबद्ध देशों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन करें।
- ख. रूस से आयातों का अन्य संबद्ध देशों से संचयी रूप से आकलन किया जाना अपेक्षित है। रूस के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और वस्तुओं को कम कीमत पर बेचा जा रहा है। रूस के आयातों के लिए भी पाटन मार्जिन सकारात्मक है जो रूस से आयातों के परिणाम के रूप में घरेलू उद्योग को क्षति होने को सिद्ध करता है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में अप्रैल 2018-जून 2019 तक वृद्धि हुई और ऑटो इंडस्ट्री में मंदी के कारण उसमें जांच की अवधि में गिरावट आई। इस मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- घ. संबद्ध देशों से आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादन और खपत की तुलना में सर्वप्रथम गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई।
- ड. संबद्ध आयात जांच की अवधि में कुल आयातों का 45 प्रतिशत होता है। इस हिस्से में 2017-18 में गिरावट आई लेकिन अप्रैल 2018-जून 2019 में इसमें वृद्धि हुई तथा आगे जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई।
- च. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं। भारत औसत आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कमतर है।
- छ. जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतों में तीव्र गिरावट के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में बहुत अधिक गिरावट आई है।

- ज. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में अप्रैल 2018-जून 2019 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में उसमें बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। मांग में गिरावट का उसमें कोई योगदान नहीं हो सकता था क्योंकि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता 12500 एमटी थी जबकि स्थापित मांग उसी अवधि के दौरान 42000 एमटी था।
- झ. घरेलू उद्योग की क्षमता में 2017-18 तक वृद्धि हुई और उसके बाद वही रही लेकिन जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई।
- ञ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में अप्रैल 2018-जून 2019 तक वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद जांच की अवधि में उसमें बहुत हद तक गिरावट आई।
- ट. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में अप्रैल 2018-जून 2019 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- ठ. घरेलू उद्योग की मालसूचियां जमा हो रही हैं।
- ड. लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी और लगाई गई पूंजी पर लाभ सभी में अप्रैल 2018-जून 2019 तक वृद्धि हो रही थी लेकिन जांच की अवधि में उसमें बहुत अधिक हद तक गिरावट आई।
- ढ. घरेलू उद्योग की वृद्धि लगभग सभी क्षति संबंधी बड़े मापदंडों में जांच की अवधि में नकारात्मक रही है।
- ण. आवेदक को क्षति नहीं हो रही थी और 2018-19 तक निवेशों पर उचित लाभ मिल रहा था क्योंकि आयात उचित कीमत पर किए गए थे। हालांकि, कोरिया और जापान से आयातों की कीमत में चीन द्वारा उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद गिरावट आई थी।
- त. अंतरालों, जो 12 महीने नहीं होते हैं, के लिए आंकड़ों का वार्षिकीकरण क्षति संबंधी मापदंडों का वस्तुपरक आकलन को संभव बनाता है। वह प्राधिकारी की कार्य-पद्धति के अनुरूप है। चीन जन.गण., जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान और वियतनाम से “डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स” में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर विश्वास किया जाता है जहां उस पद्धति को अपनाया गया था।
- थ. यूरोपीय यूनियन और चीन से आयात भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उनका उपयोग घरेलू ग्राहकों द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। इस कारण से, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा की शर्तें अलग-अलग हैं।
- द. जापान से आयातों का 61 प्रतिशत घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है। कीमत में कटौती का निर्धारण केवल उन आयात कारोबारों, जिसकी पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हो, पर विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग की चिंता क्षतिकारक आयातों के विरुद्ध है और न कि क्षति-रहित आयातों के विरुद्ध। होनेस्ट इंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में कोठारी सुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड मामले में निर्णय का सेस्टैट के संदर्भ पर विश्वास किया जाता है।
- ध. मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को पहले ही बहुत जोखिमपूर्ण बना दिया है और पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की पहले से ही प्रतिकूल स्थिति को और अधिक बढ़ा दिया है।
- न. आयातों की अपरिहार्यता के कारण, घरेलू उद्योग विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा पेशकश की गई कीमतों पर विचार करते हुए अपनी कीमतों को तय करने के लिए तथा लागत संबंधी दृष्टिकोणों को नहीं मानने के लिए बाध्य है।
- प. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए उत्पादन संबंधित मुद्दे पूरे विश्व में सभी उत्पादन क्षमताओं और न कि केवल आवेदक के लिए सही है। यह तथ्य कि आवेदक 2018-19 तक उचित लाभ अर्जित कर रहे थे, यह दर्शाता है कि विरोधी पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क गलत और आधारहीन हैं।
- फ. घरेलू उद्योग के उत्पादन में कोई अक्षमता नहीं है।
- ब. आयात कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है और इसका कच्ची माल की कीमतों से कोई लेना-देना नहीं था।

- भ. केन्द्र सरकार द्वारा कोरिया से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी नहीं रखने का अभिप्राय यह नहीं होता है कि संबद्ध देशों से पाटन को जारी रखे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए और घरेलू उद्योग उस पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की मांग नहीं कर सकता है।
- म. वित्त मंत्रालय ने शुल्कों को नहीं लगाए जाने के लिए कोई तर्क नहीं दिया है और उसके संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। दोनों मामलों में जांच की अवधि और संबद्ध देश अलग-अलग हैं।
- य. वर्तमान संबद्ध देशों से आयात की कीमतें जांच की अवधि में अधिकतर मामलों में कोरिया से आयात कीमत से कम थी। ये मात्राएं कमोवेश कोरिया के मामले में एक जैसी हैं जबकि संबद्ध देशों के लिए उसमें पूर्ण रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना दोनों में वृद्धि हुई है।
- कक. पाटनरोधी शुल्क जांच की पूरी अवधि के दौरान कोरिया से आयातों के विरुद्ध लागू थी, जब घरेलू उद्योग ने क्षति का दावा किया। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।
- खख. निर्यातकों ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एनबीआर की कीमतों में गिरावट आ रही थी जबकि बुटाडाइन की कीमतों में वृद्धि हो रही थी। इसका कारण कि क्यों घरेलू उद्योग की एनबीआर की कीमतें बुटाडाइन की कीमतों तक पहुंचने में सक्षम नहीं थी, एनबीआर की आयात कीमतों के कारण है।
- गग. आवेदक को बेची गई वस्तुओं की घरेलू उद्योग की लागत और जांच की अवधि में बुटाडाइन की कीमतों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह आयातों के कारण कच्चे माल की कीमतों के अनुरूप एनबीआर की कीमतों में वृद्धि करने में अपनी असमर्थता को दर्शाएगा।
- घघ. किसी भी कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धी का मुकाबला करने के लिए हानि नहीं होगी।
- ड.ड.. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट पाटन के बारे में भी चर्चा करती है और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने इस दस्तावेज के चुनिंदा पठन पर विश्वास किया है।
- चच. विद्युत संयंत्र को चालू करना लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए था।
- छछ. एनबीआर क्षमता का विस्तार बोर्ड द्वारा पाटन के कारण रोक लिया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक कथन इस निष्कर्ष को परिवर्तित नहीं करते हैं कि इस उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- जज. निर्धारित परिसंपत्तियों में वृद्धि सीपीपी (विद्युत संयंत्र) में वृद्धि के कारण हुई है।
- झझ. लॉकडाउन जांच की अवधि के अंतिम चरण में हुआ था। किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग को इस रूप में देखा जाना अपेक्षित है, जिस रूप में यह है और न कि आदर्श स्थितियों में उसे देखा जाए।
- ञञ. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुमान कि पाटन एकमात्र कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए होना चाहिए, कानूनी रूप से सही नहीं है।
- टट. पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 9.2 में "स्रोत" पारिभाषिक शब्द का संदर्भ अलग-अलग निर्यातकों अथवा उत्पादकों से है और न कि संपूर्ण रूप से देश से है। ईसी -फास्टनर्स (चीन) में अपीलीय निकाय के रिपोर्ट पर विश्वास किया गया है। इस कारण से संबद्ध देशों में निर्यातकों विरुद्ध कोई भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं किया गया है।
- ठठ. एमएफएन बर्ताव को अस्वीकार करना यूएस पर विरोधी पक्षकारों की निर्भरता भ्रामक है क्योंकि इसका संबंध सीवीडी जांच से है। ईसी-फास्टनर्स में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर विश्वास किया गया है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

93. उत्पादक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. कीमत में गिरावट सामयिक उतार-चढ़ाव और कच्चे माल में गिरावट के कारण हुई है। कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति जुलाई-अगस्त 2020 से शुरू हुई है। आवेदक को क्षति अनेक अन्य कारकों और न कि पाटन के कारण हुई है। अन्य कारकों जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, में बुटाडाइन कीमत की प्रवृत्ति, कोरिया से आयात, पुरानी प्रौद्योगिकी, कच्चे माल के भण्डारण के मुद्दे, खराब वहिस्त्राव आसोधन सुविधाएं, संयंत्र की दुरस्त अवस्थिति, उत्पाद के लिए मांग में गिरावट, अन्य गैर-संबद्ध देशों के आयातों में वृद्धि, तेल की कीमतों में अचानक गिरावट, प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता के लिए आयात के स्रोत पर निर्भरता, ऑटो क्षेत्र में मंदी, घरेलू उद्योग द्वारा लेटेक्स उत्पादन में वृद्धि, घरेलू उद्योग की क्षमता विस्तार पूरा करने में असफलता, लॉकडाउन और उसके परिणामस्वरूप सामना की जा रही लॉजिस्टिक संबंधी बाधाएं, जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि के अंत में मालसूचियों में वृद्धि हुई, एनबीआर बाजार का खराब कार्य-चालन और घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत में वृद्धि शामिल है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के फलस्वरूप निवल प्राप्ति योग्य मूल्य में गिरावट आई है।
- ग. घरेलू उद्योग का अधिग्रहण के द्वारा पुनर्गठन हुआ है और इसकी एनबीआर बिजनेस अस्थिर है।
- घ. भारत में निर्मित एनबीआर की गुणवत्ता और निरंतरता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है।
- ङ. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में बहुत अधिक सुधार हुआ है, जैसाकि बिक्री, उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बाजार हिस्सा, मालसूची (उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में), लगाई गई पूंजी और उत्पादकता, आदि में वृद्धि से देखा जा सकता है। आवेदक के कार्य-निष्पादन में मामूली गिरावट (उत्पादन, क्षमता का उपयोग आदि) भारतीय बाजार में रूस के और यूरोपीय यूनियन के उत्पादों के आयात और हिस्से में गिरावट के समय होती है। घरेलू उद्योग के निर्यात कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। कीमत का कोई ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है। लाभप्रदता में गिरावट जांच की अवधि की लघु अवधि के आधार पर बनावटी है जब एनबीआर के कीमत की प्रवृत्ति आरएम की कीमतों तक नहीं पहुंच पाई है। 12 महीने की जांच की अवधि आवेदक द्वारा स्थिर कार्य-निष्पादन को दर्शाएगा।
- च. संबद्ध देशों से आयात की मात्राओं में कोई सापेक्ष वृद्धि नहीं हुई है। संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में मुख्य रूप से चीन के आयातों में वृद्धि के कारण बढ़ोतरी हुई है।
- छ. आवेदक द्वारा प्रस्तावित पद्धति (अर्थात् केवल सकारात्मक कीमत में कटौती कारोबारों पर विचार करते हुए) को प्राधिकारी द्वारा विगत जांचों में अस्वीकार किया गया है और उसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- ज. पाटनरोधी शुल्क लगाने से ऑटो पार्ट्स, राइस रोलर्स और एलपीजी ट्यूब्स की कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों के लिए उत्कृष्ट वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रयोक्ता की क्षमता बाधित होगी।
- झ. आवेदक के पास एनबीआर की केवल 30 प्रतिशत घरेलू मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त सीमित क्षमता है।
- ञ. आवेदन और जांच आरंभ किए जाने के बाद किए गए अनुरोधों में रिपोर्ट किए गए मूल्य को अप्रैल 2018-जून 2019, अप्रैल 2018-जून 2019 और जांच की अवधि के लिए सही तरीके से अनुक्रमित नहीं किया गया है। यह जांच की अवधि और जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के अनुक्रमित मूल्यों के लिए एक जैसे होने के लिए सही नहीं है जब दोनों अवधियों का समय अलग-अलग है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सही नहीं है और यह एक भ्रामक तस्वीर प्रस्तुत करता है और पक्षकारों को प्रभावी टिप्पणियां करने से रोकता है।
- ट. कोरिया से आयातों के कारण क्षति का निवारण नहीं किया गया है और इसके लिए संबद्ध देशों और विशेषकर रूस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। शुल्कों की सिफारिश/लगाया जाना सीमा प्रशुल्क अधिनियम के नियम 19 और पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 9.2 के अंतर्गत भेदभावपूर्ण है और इसे नहीं माना जा सकता है। इस कारण से जांच समाप्त की जानी चाहिए और वह भारत के एमएफएन दायित्व का उल्लंघन होगा। ब्राजील से गैर-रबड़ फुटवियर के संबंध में यूएस में डब्ल्यूटीओ पैनल – एमएफएन बर्ताव को नहीं दिया जाना, जिसे सीवीडी जांच के संदर्भ में यह माना गया कि गैट

का अनुच्छेद 1:1 पक्षकारों को एक देश के मूल के उत्पाद को लाभ देने से रोकता है और अन्य देशों के मूल के समान उत्पादों से उसकी तुलना करने को अस्वीकार करता है। ईयू – फुटवियर (चीन) में यह माना गया था कि पाटनरोधी शुल्क जांच में लागू की गई औपचारिकताएं नियम गैट के अनुच्छेद 1:1 के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1960 में पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों पर विशेषज्ञ समूह की दूसरी रिपोर्ट ने भी पाटनरोधी शुल्क गैर-पक्षपातपूर्ण प्रयोग पर बल दिया। पोलिप्रोपीलीन मामले का घरेलू उद्योग द्वारा संदर्भ दिया जाना भ्रामक है। प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार से कोरिया के आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है, यदि वर्तमान आयातों के कारण क्षति हो रही है।

- ठ. घरेलू उद्योग ने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया है कि केन्द्र सरकार भारत को संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक के रूप में कोरिया के होने के बावजूद पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए इसे एक सही मामला नहीं माना।
- ड. जिओन ने पूर्ण रूप से सहयोग किया है और समय-सीमा के भीतर अपने निर्यातकों के साथ प्रश्नावलियां प्रस्तुत की हैं और इस कारण से अलग-अलग मार्जिन की गणना जिओन और इसके सदृश्य निर्यातकों के लिए की जानी चाहिए और कमतर शुल्क के नियम को शुल्क की दर, यदि कोई हो, का निर्धारण करने के लिए लागू की जानी है।
- ढ. अंतरिम शुल्क वर्तमान जांच में लगाए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि संबद्ध देशों से आयातों में क्षति की अवधि के दौरान कमी आई है और आवेदक को इसके खराब कार्य-निष्पादन तथा संबद्ध आयातों के बीच कारण को दर्शाना है।
- ण. घरेलू उद्योग ने उत्पादन की क्षमता के संबंध में सूचना को छिपाया है और उसके पीछे के कारण की जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- त. उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- थ. रूस के उत्पाद अपनी आपूर्तियों में दिशागत प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के कारण प्रश्रुगत देशों के उत्पादों से अलग है और इस कारण से संचयी आकलन नहीं किया जाना चाहिए।
- द. जापान से कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है।
- ध. रूस और यूरोपीय यूनियन के आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- न. आयात किए गए उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियां तुलनीय नहीं हैं और यूरोपीय यूनियन के आयातों को अन्य देशों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कीमत और मात्रा के संबंध में यूरोपीय यूनियन और चीन के बीच बहुत अधिक अंतर है। यूरोपीय यूनियन के आयातों की कीमत चीन के आयातों की कीमत से 13 प्रतिशत अधिक और रूस के आयातों से 10 प्रतिशत अधिक है। जबकि यूरोपीय यूनियन के आयातों की मात्रा में 18 प्रतिशत गिरावट आई, चीन के आयातों की मात्रा में 1153 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। आवेदक ने अलग-अलग देशों के द्वारा कीमत में कटौती में बहुत अधिक अंतर की सूचना दी है। अलग विश्लेषण किए जाने पर यह स्पष्ट है कि यूरोपीय यूनियन के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती थी।
- प. भारत में एनबीआर कीमतें आरएम कीमतों अर्थात् बुटाडाइन के साथ बढ़ी। रूस के आयातों की कीमत बुटाडाइन की कीमत के संचलन के अनुसार आगे बढ़ी। रूस के आयातों का आवेदक की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
- फ. आवेदकों ने स्वयं मीडिया में सकारात्मक कार्य-निष्पादन की सूचना दी है और यह माना है कि एनबीआर सेगमेंट में हुई हानि अस्थायी हैं (यूरोपीय बाजार और भारतीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में आर्बिट्रिज के कारण) और यह कि कंपनी ने 2019 की अंतिम तिमाही में अच्छा किया है। घरेलू उद्योग की भी अपनी क्षमता में बहुत अधिक हद तक विस्तार करने की योजनाएं हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में एनबीआर कारबोक्सी लेटेक्स योजना आरंभ की है। कंपनी अब एक कैप्टिव विद्युत संयंत्र चालू करने की प्रक्रिया में है जिससे आशा है कि इसकी एनबीआर संयंत्र में विद्युत की लागत में बचत होगी। कंपनी बाधाओं को दूर करने की योजना पर भी कार्य कर रहा है जिसे वित्तीय वर्ष 2021

की पहली तिमाही में पूरा किए जाने की आशा है, जो उत्पादन क्षमता को लगभग 20,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाएगा और इसके अलावा प्रचालन संबंधी लागतों को कम करने में मदद करेगा।

- ब. आंकड़ों में विसंगति है। 2017-18 में क्षमता में वृद्धि हुई है। हालांकि, निवल निर्धारित परिसंपत्तियों में उसी अवधि में गिरावट आई और ह्रास तथा ऋण शोधन खर्चों में 60 अनुक्रमित अंकों की बहुत अधिक वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान जब क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है, निवल निर्धारित परिसंपत्ति दो गुना से अधिक हो गई है (अर्थात् अप्रैल 2018 से जून 2019 (वार्षिकीकृत) में 97 अनुक्रमित अंकों से बढ़कर जांच की अवधि में 239 अनुक्रमित अंक हो गया)। निर्धारित परिसंपत्तियों में वृद्धि तथा क्षमता विस्तार के फलस्वरूप क्षमता में वृद्धि हुई और उसे एनआईपी का परिकलन करते समय आरओसीई की अनुमति देने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- भ. आवेदक अपने डाउनस्ट्रीम उत्पाद पोर्टफोलियो के लिए विचाराधीन उत्पाद की भी गुप्त रूप से खपत करते हैं। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे आवेदक द्वारा विचार की गई अंतरण कीमत की समीक्षा करें और विस्तार से उसका सत्यापन करें तथा उपयुक्त रूप से तर्कसंगत आधार पर लागत और पूंजीगत परिसंपत्तियों का आबंटन करें।
- म. चूंकि अनेक उत्पादों का उत्पादन वालिया संयंत्र में किया जाता है, एनआईपी का निर्धारण करने के लिए उस पर विचार किया जाना है। आवेदक को संबद्ध देशों से आयातों के कारण विचाराधीन उत्पाद पर क्षति का दावा करते समय अत्यधिक रूप से लाभ अर्जित करने (कंपनी स्तर पर) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्राधिकारी को इन तथ्यों की भी जांच करनी चाहिए कि क्या (i) आवेदक द्वारा उपयोग किया गया उत्पादन लाइन विचाराधीन उत्पाद के लिए और पीवीसी द्वारा बनाए गए डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए वही है; (ii) उत्पादन लाइन के माध्यम से उत्पादन किया गया विचाराधीन उत्पाद और एनपीयूसी की मात्रा; और (iii) क्या आवेदक जानबूझकर उच्चतर लाभप्रदता के कारण और अधिक गैर-विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं।
- य. घरेलू उद्योग को 20 वर्षों से संरक्षण मिलता रहा है। आयातों के कारण अभी भी किसी क्षति का दावा नहीं किया जा सकता है।
- कक. डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स में तथ्य और परिस्थितियां पूर्ण रूप से भिन्न हैं और प्राधिकारी के पास जांच की अवधि से एक विशिष्ट तिमाही की उपेक्षा करने का सही कारण था।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

94. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंधित मुद्दों के बारे में किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे किए गए क्षति संबंधी विश्लेषण वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करता है।
95. संबद्ध देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने तथा कोरिया से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाए जाने के तक का जहां तक प्रश्न है, यह भारत के एमएफएन के दायित्व का उल्लंघन है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.2 में "स्रोत" पारिभाषिक शब्द अलग-अलग निर्यातकों अथवा उत्पादकों और न कि संपूर्ण रूप में देश का संदर्भ ले रहा है (ईसी फास्टनर्स में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट)। इस कारण से संबद्ध देशों में निर्यातकों के विरुद्ध कोई भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं किया गया है।
96. इस नियमावली के अनुबंध-II पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक देश से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयात की एक ही समय में पाटनरोधी जांच की जा रही हो तब प्राधिकारी उस स्थिति में इस प्रकार के आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे जब यह निर्धारित करते हों कि:
 - क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए 2 प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत (अथवा उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम हो, ये आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का 7 प्रतिशत से अधिक होता है; और

- ख. इन आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन आयात किए गए उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयात किए गए उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।
97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:
- क. संबद्ध वस्तुओं का पाटन भारत में संबद्ध देशों से किया जा रहा है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।
- ख. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा अलग अलग आयातों की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है।
- ग. आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल प्रत्यक्ष रूप से उनमें से प्रत्येक द्वारा दिए गए समान वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करता है बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करता है। यह नोट किया जाता है कि उपभोक्ता जो घरेलू उद्योग से खरीद रहे हैं, भी संबद्ध देशों से आयात कर रहे हैं।
98. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी रूप से आकलन करने के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं।
99. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों से तर्कों और प्रति-तर्कों पर विचार किया है। प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण इसमें आगे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करता है।
100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एनबीआर की कीमत में गिरावट कच्चे माल के कारण उत्पादन की लागत और अन्य लागतों में गिरावट से बहुत अधिक तीव्र है। वास्तव में, हितबद्ध पक्षकारों का अपने आप में यह तर्क का अर्थ यह होता है कि इस उत्पाद की कीमत में गिरावट कच्चे माल की कीमतों में गिरावट से बहुत अधिक तीव्र था। यह तर्क कि ये कीमतें जुलाई-अगस्त 2020 से बढ़नी आरंभ हो गई है। वर्तमान जांच के बारे में निर्णय करने के लिए संगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह जांच की अवधि के दौरान प्रचलित मानदंडों पर विचार करें।
101. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अनेक अन्य कारक हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनेक कारकों की पहचान की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचान किए गए विभिन्न कारकों पर विचार किया है और उसे निम्नानुसार मानते हैं:
- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह नियम इस तथ्य को निर्धारित नहीं करता है कि इस उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का एकमात्र कारण होना चाहिए। घरेलू उद्योग अन्य कारकों के कारण भी क्षति उठा सकता है। जिस तथ्य की जांच की जानी अपेक्षित है, वह यह है कि यदि कोई अन्य कारक मौजूद हो जो संबद्ध देशों से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में उनके योगदान के बीच कारणात्मक संबंध को तोड़ सके।
- ख. प्राधिकारी द्वारा पहचान किए गए अनेक कारक जैसे कथित पुरानी प्रौद्योगिकी, कच्चे माल का भंडारण, खराब वहिस्त्राव आशोधन सुविधाएं, संयंत्र की दूरतम अवस्थिति, प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता के लिए आयात के स्रोतों पर निर्भरता, वे कारक हैं जो क्षति की पूरी अवधि के दौरान मौजूद थे। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इन कारकों के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है और न ही इस बात को दर्शाया है कि वास्तव में घरेलू उद्योग को इन आधारों पर हानि होती है। किसी भी स्थिति में यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग क्षति की अवधि के दौरान उचित रूप से अच्छे लाभ की स्थिति में था और उसके साथ जांच की अवधि एकमात्र अपवाद था। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में लाभ में बहुत अधिक गिरावट का सामना करना पड़ा जब घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। लाभों में यह गिरावट हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचान किए गए इन अन्य कारकों के कारण नहीं है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह बिल्कुल संभव है कि घरेलू उद्योग विदेशी उत्पादकों से बहुत अलग स्थिति में कार्य कर रहा है। हालांकि जैसाकि बिल्कुल उसी उत्पाद से संबंधित मै. निप्पोन जिओन कं.

लि., जापान और और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टैट द्वारा सही ठहराया गया था, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग पर उसी रूप में विचार करें जिस रूप में वह है और न कि आदर्श स्थिति में विचार करें। ट्रिब्यूनल का यह मत रहा है कि पाटनरोधी शुल्क लगाते समय जिस स्थिति पर विचार किया जाना है वह आदर्श स्थितियों के संदर्भ में नहीं है बल्कि घरेलू उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियों में है।

- ग. चूंकि प्राधिकारी ने कीमत ह्रास/न्यूनीकरण और क्षति संबंधी मानदंडों का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान की गई बुटाडाइन की वास्तविक कीमत पर विचार करते हुए किया है। अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बुटाडाइन की वास्तविक कीमत प्रवृत्तियों पर विचार घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करते समय किया गया है।
- घ. तेल की कीमतों में हाल की गिरावट के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल कच्चा माल एक्कीलोनिट्राइल बुटाडाइन है और केवल उसी के आधार पर लागत वर्तमान उद्देश्यों के लिए संगत है। इन लागतों पर विचार घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के आधार पर किया गया है। जबकि यह संभव है कि एक्कीलोनिट्राइल और बुटाडाइन की कीमत तेल की कीमतों के कारण प्रभावित हो सकती है, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे एक्कीलोनिट्राइल और बुटाडाइन की खपत कीमत और न कि कच्चे तेल की प्रचलित कीमतों पर विचार करें। इस प्रकार से कच्चे माल की कीमतों का संचलन वर्तमान जांचों के लिए संगत नहीं है।
- ङ. ऑटो क्षेत्र में मंदी के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में जांच की अवधि जब विचाराधीन उत्पाद की मांग में बहुत अधिक वृद्धि दर्शाई है, में बहुत अधिक गिरावट दर्शाई है। जबकि संबद्ध देशों से आयातों में 67 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री में उस स्थिति में 19 प्रतिशत तक कमी आई, जहां मांग में 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार से, जांच की अवधि के लिए विचार किए गए क्षति संबंधी आंकड़े उत्पाद के लिए मांग में संभावित गिरावट अथवा ऑटो क्षेत्र में संभावित मंदी से प्रभावित नहीं होती है।
- च. घरेलू उद्योग की क्षमता विस्तार को पूरा करने में असफलता के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण क्षति की विगत अवधि के आधार पर किया गया है और इस कारण से वह भावी क्षमता विस्तार के पूरा नहीं होने से प्रभावित नहीं हो सकता था। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यह देश में पाटन के कारण अपनी क्षमता विस्तार को रोकने के लिए बाध्य हुआ है। किसी भी स्थिति में, जबकि क्षति विगत अवधि पर आधारित है, विस्तार भावी अवधि पर आधारित है।
- छ. एनबीआर बाजार की संभावित खराब कार्य-चालन के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में अप्रैल 2018 – जून 2019 की अवधि तक व्यापक रूप से सुधार हुआ था और जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई थी। हालांकि, जांच की अवधि में एनबीआर की मांग में 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इस प्रकार से, यह सिद्ध नहीं किया गया है कि किस प्रकार से एनबीआर बाजार का खराब कार्य-चालन घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति के लिए जिम्मेदार है।
- ज. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत की जांच की है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत ने इतनी अधिक वृद्धि नहीं दर्शाई है कि उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि घरेलू उद्योग की बिक्री में कैप्टिव खपत में वृद्धि के कारण गिरावट आई हो। वास्तव में, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के कैप्टिव खपत में पिछले वर्ष से तुलना किए जाने पर 406 एमटी तक गिरावट आई। इसके अलावा कैप्टिव खपत घरेलू उद्योग की कुल बिक्री का 10.45 प्रतिशत है। इस प्रकार से, किसी भी स्थिति में, यह कैप्टिव खपत जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता था।
- झ. निर्माण किए गए एनबीआर की गुणवत्ता और निरंतरता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग क्षति की अवधि के दौरान उसी उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करता रहा है। हालांकि, जबकि घरेलू उद्योग की मात्रा जून, 2019 तक बढ़ रही थी और इसकी लाभप्रदता स्थिर थी, जबकि निवेश पर लाभ में वृद्धि हो रही थी लेकिन बिक्री और उसके फलस्वरूप उत्पादन, क्षमता के उपयोग में जांच की

अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई और लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर लाभ में बहुत तेजी से गिरावट आई। इस प्रकार से, निर्माण किए गए एनबीआर की गुणवत्ता और निरंतरता जांच की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के लिए एक संभावित कारण नहीं हो सकता था।

ज. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात कुल बिक्री का केवल 1.97 प्रतिशत है और इस कारण से निर्यात कार्य-निष्पादन में संभावित परिवर्तन प्राधिकारी द्वारा पाई गई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता था।

102. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के फलस्वरूप निवल प्राप्ति योग्य मूल्य में गिरावट आई है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन इस उत्पाद की लागत और कीमत को समान रूप से प्रभावित करेगा। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लागतों में गिरावट की तुलना में बहुत तेजी से गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि किस प्रकार से घरेलू उद्योग के उत्पाद मिश्रण में इस अवधि के दौरान परिवर्तन हुआ है।
103. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने केवल उन कारोबारों जो कीमत में सकारात्मक कटौती को दर्शा रहे हैं, पर विचार कर कीमत में कटौती के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार नहीं किया है। कीमत में कटौती का निर्धारण भारित औसत कीमतों के आधार पर किया गया है।
104. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जापान से कीमत में कटौती नकारात्मक है। यह नोट किया जाता है कि जबकि जापान के मामले में कीमत में औसत कटौती नकारात्मक है, जेएसआर द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में कीमत में कटौती बहुत अधिक हद तक नकारात्मक है जबकि जियोन के मामले में कीमत में कटौती सकारात्मक है। जापान के मामले में कीमत में नकारात्मक कटौती बहुत अधिक हद तक उच्चतर कीमतों जिस पर जेएसआर ने भारत को इस उत्पाद का निर्यात किया है, के कारण हुई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क देते हुए जेएसआर की निर्यात कीमत का खंडन किया है कि कुछ मुआवजा संबंधी करार प्रतीत होते हैं, कंपनी इस उत्पाद को ऐसे उच्च कीमत पर बिक्री नहीं कर सकता था और पूरी सीमा शुल्कों के साथ आयात नहीं किया गया होता। हालांकि, प्राधिकारी ने निर्यात कीमत को स्वीकार करने के लिए और पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन का दावा की गई निर्यात कीमत के आधार पर और बाद में प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद निर्धारण करने के लिए इसे उपयुक्त माना है।
105. प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्राधिकारी द्वारा क्षति का संचयी आकलन करने के बारे में निर्णय लिए जाने के साथ ही, अलग-अलग देशों से आयात मात्राओं में प्रवृत्तियों की कोई संगतता नहीं है। इसके अलावा, संचयी आकलन करने की आवश्यकता ऐसी आवश्यकता को अधिकार नहीं देती है कि आयातों की मात्रा प्रत्येक संबद्ध देश के मामले में उसी प्रवृत्ति को दर्शाएगी। वास्तव में, विभिन्न देशों के आयातों का परिवर्तनशील हिस्सा बाजार में विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी को दर्शाता है।
106. आंकड़ों में विसंगति के मुद्दे, जिसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया है, के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया गया है।
107. लगाई गई पूंजी से संबंधित आंकड़ों, ह्रास आदि में संभावित विसंगति के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वर्तमान उद्देश्यों से डेस्क सत्यापित आंकड़ों को लिया है।
108. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी उचित सत्यापन के बाद इस सूचना को लिया है। इस कारण से, यह तथ्य कि आवेदक उसी संयंत्र में अलग-अलग उत्पादों का उत्पादन कर रहा है, वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में निकाले गए निष्कर्षों को बाधित नहीं करता है।
109. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क विगत में अनेक देशों से आयात किए गए उत्पाद पर लगाया गया था। हालांकि केवल कोरिया से आयातों पर 7 दिसंबर, 2020 को पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन ने जून, 2019 तक मात्रा और कीमत संबंधी मानदंडों के संबंध में सुधार नहीं दर्शाया। हालांकि, इस कार्य निष्पादन ने जांच की अवधि में क्षति संबंधी अनेक मानदंड के संबंध में बहुत अधिक गिरावट दर्शाई है। इस प्रकार से, इस दावे के लिए कोई आधार नहीं दिखता है कि यदि इस उत्पाद पर कुछ

देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है, तब घरेलू उद्योग को अन्य देशों से आयात के संबंध में क्षति नहीं हो सकती थी।

110. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों के आधार पर वर्तमान निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने अन्य जांचों के आधार पर कोई निर्धारण आधारित नहीं किया है।
111. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
112. प्राधिकारी ने कोरिया से आयातों के संबंध में पूर्व में एक निर्णायक समीक्षा जांच की थी। प्राधिकारी ने इन आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश की है। इस कारण से, कोरिया से आयातों के बारे में सूचना इसमें नीचे किए गए क्षति संबंधी विश्लेषण में पृथक रूप से दी गई है।
113. चूंकि जांच की अवधि 12 महीने की नहीं है, अतः यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वास्तविक/अनुक्रमित आंकड़े पिछले वर्षों से पृथक रूप से तुलनीय है, वास्तविक/अनुक्रमित आंकड़ों को इस अंतिम जांच परिणामों में “वार्षिकीकृत” किया गया है और उसका उल्लेख किया गया है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग का आकलन/स्पष्ट खपत

114. प्राधिकारी ने भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचार किया है।

भारत में मांग	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18- जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	159	159	128	128
संबद्ध देश	एमटी	12,950	10,917	10,912	8,729	10,952	14,603
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	67	67	113	113
कोरिया	एमटी	15,288	18,427	12,997	10,398	12,153	16,204
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	68	68	106	106
अन्य देशों से आयात	एमटी	3,266	5,450	2,553	2,042	1,742	2,322
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	167	63	63	71	71
कुल भारतीय मांग	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	84	84	109	109

115. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में आधार वर्ष से 2017-18 तक वृद्धि हुई और फिर अप्रैल 2018 – जून 2019 में गिरावट आई थी और जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई थी। समग्र आधार पर मांग में 9 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

116. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से इस तथ्य पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से लिए गए लेन-देनवार आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है। वास्तविक स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18- जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
आयात की मात्रा							
संबद्ध देश	एमटी	12,950	10,917	10,912	8,729	10,952	14,603
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	67	67	113	113
चीन जन.गण.	एमटी	271	622	2,418	1,934	2,547	3,396
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	230	714	714	1,253	1,253
जापान	एमटी	2,943	3,305	3,311	2,649	3,832	5,110
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	90	90	174	174
रूस	एमटी	3,188	3,438	1,580	1,264	1,004	1,339
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	40	40	42	42
ईयू	एमटी	6,548	3,552	3,603	2,882	3,568	4,758
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	54	44	44	73	73
कोरिया	एमटी	15,288	18,427	12,997	10,398	12,153	16,204
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	68	68	106	106
अन्य देश	एमटी	3,266	5,450	2,553	2,042	1,742	2,322
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	167	63	63	71	71
कुल आयात मात्रा	एमटी	31,504	34,794	26,462	21,169	24,847	33,129
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	67	67	105	105
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश से आयात							
कुल आयात	%	41	31	41	41	44	44
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	100	100	107	107
उत्पादन	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	40	40	81	81
खपत	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	82	82	103	103

117. निम्नलिखित देखा गया है:

- क. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में अप्रैल, 2018 – जून 2019 तक गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई। संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में आधार वर्ष (13 प्रतिशत तक) तथा पिछले वर्ष (66 प्रतिशत तक) की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ख. कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ग. भारतीय उत्पादन के संबंध में, संबद्ध देशों से आयातों में अप्रैल, 2018 – जून, 2019 तक गिरावट आई लेकिन जांच की अवधि में उसमें बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई।
- घ. भारत में खपत की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों में अप्रैल, 2018 – जून 2019 तक गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

118. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों का ह्रास होगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएंगी जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के आधार पर घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत में कटौती

119. कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से भारत औसत आयात कीमत से की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती प्रभाव नीचे दिए गए अनुसार हैं:

कीमत में कटौती - चीन जन.गण.	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18- जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,24,278	1,73,080	1,31,617	1,31,617	1,20,651	1,20,651
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	106	106	97	97
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	127	127	98	98
कीमत में कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(22)	277	277	105	105
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(15)	262	262	109	109

कीमत में कटौती - जापान	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18- जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,42,275	1,78,611	1,58,882	1,58,882	1,47,917	1,47,917
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	112	112	104	104
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	127	127	98	98
कीमत में कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(11,544)	27,400	27,400	(10,308)	(10,308)
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(8,850)	23,583	23,583	(9,533)	(9,533)

कीमत में कटौती – रूस	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18- जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
पहुंच कीमत	₹/एमटी	95,753	1,54,957	1,39,129	1,39,129	1,22,633	1,22,633
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	162	145	145	128	128
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	127	127	98	98
कीमत कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	91	91	36	36
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	19	62	62	28	28

कीमत में कटौती – ईयू	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18- जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,10,179	1,59,712	1,49,085	1,49,085	1,38,030	1,38,030
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	145	135	135	125	125
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	127	127	98	98
कीमत में कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	30	101	101	5	5
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	21	74	74	4	4

कीमत में कटौती – संबद्ध देश	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18- जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,14,217	1,64,698	1,46,746	1,46,746	1,36,035	1,36,035
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	128	128	119	119
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	127	127	98	98
कीमत में कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	16	123	123	13	13
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	11	96	96	11	11

120. यह देखा गया है कि कुल मिलाकर संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर हो रहे हैं जिसके फलस्वरूप कीमत में सकारात्मक कटौती हुई है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि जापान को छोड़कर संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयात घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर हो रहे हैं जिसके फलस्वरूप कीमत में सकारात्मक कटौती हुई है। कीमत में कटौती जापान से आयातों के मामलों में सकारात्मक है। अन्य तीन संबद्ध देशों के लिए कीमत में कटौती आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कम हुई है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

121. यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में ह्रास हो रहा है अथवा वे कम हो रही हैं और क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 2018- जून 2019	जांच की अवधि
विक्रियों की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	130	121
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	127	98
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,14,217	1,64,698	1,46,746	1,36,035
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	128	119

122. निम्नलिखित देखा गया है:

- क. जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में अप्रैल 2018 – जून 2019 तक वृद्धि हुई, उसके बाद जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई। हालांकि, जबकि आयातों की पहुंच कीमत में 2017-18 तक वृद्धि हुई, उसके बाद इसमें गिरावट आई।
- ख. जांच की अवधि के दौरान, आयातों की पहुंच कीमत में भारत में बिक्री की लागत से भी कम तक गिरावट आई। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से बहुत अधिक हुई थी।
- ग. जबकि घरेलू उद्योग अप्रैल 2018 – जून 2019 तक विक्रियों की लागत में वृद्धि से और अधिक तक अपनी कीमतों को बढ़ाने में सक्षम था, घरेलू उद्योग इन कीमतों को जांच की अवधि में लागतों में गिरावट से बहुत अधिक तक कम करने के लिए विवश था।
- घ. संबद्ध आयातों की मात्रा में अप्रैल 2018 – जून 2019 तक गिरावट आई और घरेलू उद्योग आयात की कीमतों में गिरावट के बावजूद इस अवधि में लागतों में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतों को बढ़ाने में सक्षम था। जांच की अवधि में बिक्री कीमत घटाकर बिक्री की लागत से कम तक कर दिया गया और पहुंच कीमत बिक्री कीमत से भी कम थी।

ज.3.3 घरेलू उद्योग का आर्थिक मापदंड

123. इस नियमावली के अनुबंध- II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिसका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर लाभ अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हों : घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन का मार्जिन का परिमाण: नकदी के प्रवाह, मालसूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति संबंधी विभिन्न मानदंडों की चर्चा नीचे की गई है।
124. प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर क्षति संबंधी मानदंडों की वस्तुनिष्ठ तरीके से जांच की है।

झ. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्रियां

125. घरेलू उद्योग की इस क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता का उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18- जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	114	114	114	114
विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	167	167	138	138
गैर-विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	138	138	92	92
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	146	146	121	121
कैप्टिव सहित बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	159	159	128	128

126. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता में 2017-18 में वृद्धि हुई और उसके बाद वही रही।
- ख. उत्पादन में अप्रैल 2018 – जून 2019 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई।
- ग. क्षमता के उपयोग और घरेलू बिक्री में अप्रैल 2018 – जून 2019 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

127. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18- जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
आवेदकों का हिस्सा	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	188	188	117	117
संबद्ध देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	80	80	103	103
कोरिया	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	81	81	97	97
अन्य देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	74	74	65	65
कुल	%	100	100	100	100	100	100
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100	100

128. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में अप्रैल 18 – जून 19 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई। संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में 2017-18 में गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि के साथ इसमें वृद्धि हुई।

iii. मालसूचियां

129. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18-जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
आरंभिक	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	58	58	85	85
अंतिम	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	152	152	218	218
औसत	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	92	92	133	133

130. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूचियों में अप्रैल 2018 – जून 2019 से वृद्धि हुई है।

iv. लाभप्रदता, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ

131. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18-जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	107	107	(124)	(124)
लाभ/हानि	लाख ₹	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	176	176	(167)	(167)
नकद लाभ	लाख ₹	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	177	177	(112)	(112)
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	176	176	(82)	(82)

132. निम्नलिखित देखा गया है:

- क. घरेलू उद्योग का 2016-17 और अप्रैल 2018 – जून 2019 की अवधि के बीच लाभप्रदता का लगभग समान स्तर था। हालांकि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में उस सीमा तक लाभ में बहुत अधिक गिरावट का सामना करना पड़ा कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि उठानी पड़ी।
- ख. नकद लाभ, पीबीआईटी और लगाई गई पूंजी पर लाभ की वही प्रवृत्ति रही जो लाभ की थी। नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर लाभ में अप्रैल 2018 – जून 2019 तक वृद्धि हुई और जांच की अवधि में वह गिरकर नकारात्मक स्तर तक पहुंच गई। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल हुआ।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

133. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18-जून 19		जांच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	186	243	243	179	179
रोजगार	सं.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	98	98	98	98
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	171	171	141	141
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	165	165	135	135

134. यह देखा गया है कि:

- क. भुगतान की गई मजदूरी में अप्रैल 2018 – जून 2019 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद उसमें गिरावट आई थी।
- ख. कर्मचारियों की संख्या में आधार वर्ष से 2017-18 तक गिरावट आई है और उसके बाद अप्रैल 2018 – जून 2019 और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ग. उत्पादकता में अप्रैल 2018 – जून 2019 तक वृद्धि हुई। जांच की अवधि में गिरावट आई थी।

135. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि ये मानदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

vi. वृद्धि

136. उत्पादन, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा, मालसूचियों, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे तालिका में दिए गए अनुसार है:

वर्ष दर वर्ष वृद्धि	यूनिट	2017-18	अप्रैल 18-जून 19 (वार्षिकीकृत)	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
क्षमता	%	13.64	-	-
उत्पादन	%	34.45	24.06	-16.99
घरेलू बिक्रियां	%	32.61	23.57	-17.97
प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	%	12.17	-4.26	-215.65
नकद लाभ	%	50.86	17.06	-163.68
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	40.88	25.16	-146.72

137. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का विकास जांच की अवधि में सभी क्षति संबंधी वृहत मानदंडों में नकारात्मक थी।

vii. पाटन मार्जिन का परिमाण

138. पाटन का परिमाण उस सीमा का सूचक है जिस सीमा तक भारत में आयात पाटित किए जा रहे हैं। इस जांच ने दर्शाया है कि पाटन मार्जिन जांच की अवधि में सकारात्मक और अधिक है।

viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

139. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि हो रही है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रतिस्पर्धा के साथ, इस उद्योग का कार्यचालन प्रभावित हुआ है जिसने पूंजी निवेश जुटाने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि इसने क्षमता में आगे वृद्धि की योजना बनाई है

और वह चल रहा था। हालांकि, कंपनी ने इस देश में उत्पाद के पाटन के कारण विस्तार योजना को स्थगित कर दिया है।

viii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

140. यह देखा गया है कि आयात की कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग देश में पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण बाजार में अपनी कीमतों को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। आयातों की कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ा है। पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात है।

ix. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन का परिमाण

141. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई और जांच की अवधि के लिए पेशेवर लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को लेकर किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना हेतु विचार किया गया है। गैर-क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल और उपयोगिताओं का सर्वोत्तम उपयोग पर विचार क्षति की अवधि के दौरान किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्च को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित लाभ (22 प्रतिशत की दर से पूर्व कर) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित और अपनाई जा रही क्षति रहित कीमत तय करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
142. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण पाटन मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से निर्धारित सीआईएफ निर्यात कीमत से किया गया है। लागू सीमा शुल्कों को आयातों की पहुंच कीमत का निर्धारण करने के लिए जोड़ा गया है। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।
143. पहुंच कीमत और निर्धारित एनआईपी, जिसका उल्लेख ऊपर में किया गया है, के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है:

उत्पादक	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	(यूएस डा./एमटी)	(यूएस डा./एमटी)	(यूएस डा./एमटी)	(%)	(रेंज)
यूरोपीय यूनियन					
अरलेन्स्को इम्युलसन रबड़ फ्रांस एस.ए.एस.	***	***	***	***	0-10
ईयू से अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20
जापान					
जेएसआर कारपोरेशन	***	***	***	***	नगण्य
जिओन कारपोरेशन	***	***	***	***	0-10
जापान से अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20
रूस					

जेएससी करास्नोयार्क्स सिंथेटिक्स रबड़ प्लांट	***	***	***	***	20-30
रूस से अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	30-40
चीन					
चीन जन.गण. से सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30

x. क्षति संबंधी जांच

144. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष दोनों रूपों में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन संबद्ध देशों से सकारात्मक है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग और बाजार हिस्से में जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ के संबंध में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल हुआ है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-उत्तरदायित्व का विश्लेषण

145. प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा, किसी ज्ञात कारकों की जांच की है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे होंगे जिससे कि इन अन्य कारकों, यदि कोई हो, के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। वे कारक जो इस संबंध में संगत हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, खपत के पैटर्न में परिवर्तन अथवा मांग में संकुचन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल है। प्राधिकारी ने, यह जांच की कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में अंशदान हो सकता था।
146. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ये अनुरोध किए गए हैं कि कोरिया से आयातों के कारण हुई क्षति पर ध्यान नहीं दिया गया है और इसके लिए संबद्ध देशों और विशेषकर रूस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और शुल्कों की सिफारिश/उसे लगाना सीमा प्रशुल्क अधिनियम के नियम 19 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.2 के अंतर्गत मानने योग्य नहीं है और इस कारण से जांच को समाप्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह माना गया है कि ऐसा कोई भेद-भावपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है जिसे वर्तमान जांच में अपनाया गया है।
147. नियम 19 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि शुल्कों को लगाते समय किसी देश में विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्राधिकारी चीन के कुछ लौह अथवा इस्पात फास्टनर्स के संबंध में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क – यूरोपीय समुदाय में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट को नोट करते हैं जिसमें अनुच्छेद 9.2 की व्याख्या निम्नानुसार की गई है:

“338. हम यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.2 यह अपेक्षा करता है कि पाटनरोधी शुल्कों की वसूली पाटित किए जाने के लिए पाए गए “सभी स्रोतों” और क्षति पहुंचाने वाले सभी स्रोतों जिसमें “वे स्रोत” शामिल नहीं है जिनसे कीमत अंडरटेकिंग स्वीकार की गई है, से बिना किसी भेदभाव के आधार पर, की जानी चाहिए। हम पैनल से सहमत हैं कि “स्रोत” पारिभाषिक शब्द जो अनुच्छेद 9.2 के पहले वाक्य में दो बार आया हुआ प्रतीत होता है, का एक ही अर्थ है और उसका संदर्भ अलग-अलग निर्यातकों अथवा निर्यातकों और न कि संपूर्ण देश से है। इसे इस तथ्य से दर्शाया गया है कि अनुच्छेद 9.2 के प्रथम वाक्य में उल्लिखित कीमत अंडरटेकिंग्स अलग-अलग निर्यातकों और न कि देशों से पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 8 के अनुसार स्वीकार किया गया है। इस कारण से, अनुच्छेद 9.2 के अंतर्गत यह अपेक्षा कि पाटनरोधी शुल्कों की वसूली प्रत्येक मामले में उपयुक्त राशियों में की जाए और जांच के अध्यक्षीन अलग-अलग निर्यातकों अथवा उत्पादकों से संबंधित सभी स्रोतों से वसूली की जाए।

148. अपीलीय निकाय ने व्याख्या की कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.2 के अंतर्गत सभी स्रोतों से बिना किसी भेदभाव का आधार अलग-अलग निर्यातकों अथवा उत्पादकों और न कि संपूर्ण देश के संदर्भ में है। इस कारण से, हितबद्ध पक्षकारों का तर्क सही नहीं है।
149. इस तर्क के संदर्भ में कि कोरिया से आयातों के कारण क्षति पर ध्यान नहीं दिया गया है और इसके लिए संबद्ध देशों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध – II के पैरा 5 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते थे ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से आयात जनवरी 2019 से दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान उसी उत्पाद के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में पाटित किए गए, पाए गए हैं। प्राधिकारी ने एसएसआर जांच में यह भी माना कि कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटन की भी संभावना है। वर्तमान जांच में, जांच की अवधि जुलाई 2019 से मार्च, 2020 है और 6 महीने दोनों जांचों में अति व्याप्त हो रहे हैं और पाटन की संभावना भी निर्णायक समीक्षा जांच में सिद्ध की गई थी। इसी पृष्ठभूमि में, प्राधिकारी पूर्व की जांच परिणामों से यह नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से आयात अधिकांश तौर पर पाटित आयात हैं और गैर-उत्तरदायित्व के विश्लेषण के उद्देश्य से, पाटित आयात को छोड़कर अन्य कारकों के आधार पर ही क्षति को अलग-अलग किया जाना अपेक्षित है।
150. न्यूनतम सीमाओं से आगे आयात की सूचना संबद्ध देशों और कोरिया से दी गई है। इसके अलावा, न्यूनतम सीमाओं से नीचे आयात अलग-अलग रूप से और सामूहिक रूप से 7 प्रतिशत से कम होने की सूचना मलेशिया, पोलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाइलैंड, यूएई और यूएसए से दी गई है। जहां तक कोरिया से आयातों का प्रश्न है, प्राधिकारी ने पूर्व में उसे पाटित के रूप में पाया था और पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश की थी। मलेशिया और सिंगापुर से आयातों के संबंध में, आयात कीमत संबद्ध देशों से आयात कीमत से बहुत अधिक है। पोलैंड, स्विट्जरलैंड, थाइलैंड, यूएई और यूएसए से आयातों के संबंध में, यद्यपि आयात कीमत संबद्ध देशों से आयात कीमत से तुलनीय अथवा कम है, आयातों की मात्रा अलग-अलग रूप में और सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से न्यूनतम सीमाओं से कम है। इसका कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से आयातों को वर्तमान जांच की अवधि में प्राधिकारी द्वारा पाई गई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है।
- क) पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और मूल्य**
151. जैसाकि ऊपर में उल्लेख किया गया है, अन्य देशों से आयात या तो पाटित आयात हैं अथवा मामूली स्तरों पर हैं। इस प्रकार से, पाटन न किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
- ख) मांग में संकुचन**
152. जबकि समग्र मांग में वृद्धि हुई है, मांग में गिरावट अप्रैल 2018 –जून 2019 की अवधि में हुई थी। हालांकि, संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में उस अवधि में गिरावट आई और घरेलू उद्योग अधिकांशतः अपनी लाभप्रदता बनाए रखने में सक्षम थे। जांच की अवधि में जबकि मांग में वृद्धि हुई, संबद्ध आयातों में मांग में वृद्धि से बहुत अधिक वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग को बढ़ते हुए आयातों को देखते हुए कीमत पर बहुत अधिक दबाव का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार, मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।
- ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन**
153. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन प्राधिकारी द्वारा मानी गई क्षति का कारण नहीं है।
- घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति**
154. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच ने यह नहीं दर्शाया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां प्राधिकारी द्वारा मानी गई क्षति के लिए जिम्मेदार है।

ड.) प्रौद्योगिकी का विकास

155. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तन होने, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, के बारे में कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है।

च.) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

156. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया निर्यात इसके उत्पादन का छोटा हिस्सा है। प्राधिकारी ने केवल क्षति के विश्लेषण के लिए घरेलू कार्य-चालनों के वास्ते आंकड़ों पर विचार किया है। इस कारण से, निर्यात कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति के लिए कारण नहीं है।

छ.) अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

157. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-निष्पादन का क्षति संबंधी आंकड़ा उपलब्ध कराया है और उसे प्राधिकारी द्वारा क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से अपनाया गया है। उत्पादन किए गए अन्य उत्पादों और आवेदक द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण नहीं है।

कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

158. प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों की वजह से जांच की अवधि में क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा निम्नलिखित कारक यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित संबद्ध आयातों की वजह से हुई है।

क. संबद्ध आयातों की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष रूप में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।

ख. इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

ग. इस आयातों ने घरेलू उद्योग को इस उत्पाद को इसके उत्पादन की लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया है। पाटित संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर कीमत न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।

घ. संबद्ध आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण के फलस्वरूप घरेलू उद्योग वित्तीय हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल जांच की अवधि में हुई है।

159. इस प्रकार से प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध है।

ज. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

160. प्रकटन पश्चात अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं। इसकी जांच निम्नानुसार की गई है:

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

161. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है:-

क. उचित तुलना का अधिकार पूर्ण नहीं है और कीमत की तुलनीयता को प्रभावित करने वाले कारक को दर्शाने का दायित्व है। ऐसा कोई भी तर्क वर्तमान मामले में नहीं दिया गया था।

ख. रूस के निर्यातक के निर्यातों का 94 प्रतिशत केवल एक ग्रेड है। इस कारण से, पीसीएन विश्लेषण एक अलग परिणाम नहीं दर्शाएगा। एएन मात्रा और मूनी विस्कोसिटी का उपयोग इन ग्रेडों में अंतर स्थापित करने के लिए किया जाता है। चूंकि ग्रेड के लिए कोई वैश्विक नामावली नहीं है, अतः पीसीएन के रूप में ग्रेड की विवेचना पीसीएन के उद्देश्य को समाप्त कर देगा।

ग. घरेलू उद्योग के उत्पादन का 70 प्रतिशत एन 745 और एन 746 ग्रेड का था जिसमें उत्पादन की प्रति इकाई लागत में केवल 370 रु. प्रति एमटी का अंतर है।

- घ. यदि पीसीएन को अपनाया भी जाना है तब प्राधिकारी को कम, मध्यम और उच्च एएन मात्रा वाले एनबीआर को लेना चाहिए। चूंकि मध्यम ग्रेडों के बीच कीमत में अंतर केवल 4 प्रतिशत है अतः आगे कोई विवरण न्यायोचित नहीं है। वे भारत में कुल निर्यातों का 95 प्रतिशत होते हैं।
- ड. रूसी निर्यातों का 94 प्रतिशत वाले ग्रेड के बीच कीमत में अंतर 36 प्रतिशत है। कीमत में और अधिक बड़ा अंतर समय में अंतर के कारण और न कि पीसीएन में अंतर के कारण है।
- च. दो को छोड़कर संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किए गए सभी पूर्व जांचों ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए भारित औसत आधार का उपयोग किया। अपवाद को उदाहरण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- छ. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर में भारत को निर्यातों की संपूर्ण मात्रा का उल्लेख है। उसे सुनिश्चित करने का दायित्व उत्पादक पर है। यदि 100 प्रतिशत नहीं है और कोई उचित तर्क मौजूद नहीं हो तब उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए। यदि किसी उत्पादक के असहयोगी असंबंधित निर्यातक के निर्यातों का हिस्सा 30 प्रतिशत से अधिक है तब उत्तर को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- ज. बिक्री का चैनल जिसमें असहयोगी असंबद्ध निर्यातक शामिल है, की निर्यात कीमत की गणना उत्पादक से प्रथम निर्यातक तक एक्स-फैक्ट्री खर्च के लिए समायोजित बिक्री कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- झ. कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण केवल उन आयात संबंधी कारोबार पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए जिसकी पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है क्योंकि घरेलू उद्योग की चिंता क्षतिकारक आयातों के विरुद्ध है। ब्राजील से मेलिएबल कास्ट ऑयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग्स पर पाटनरोधी शुल्क – ईसी में डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट पर विश्वास किया गया है जो इस बात का उल्लेख करता है कि पीयूसी और समान वस्तु को शामिल करते हुए प्रत्येक कारोबार को लेते हुए कीमत में कटौती का एकमात्र मार्जिन स्थापित करने के लिए पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.2 के अंतर्गत कोई अपेक्षा नहीं है। “बहुत अधिक कटौती” पर विचार करते हुए, कीमतों का कीमत में कोई कटौती नहीं, के निष्कर्ष का प्रभाव है जब कीमतों में कटौती पर बिक्री की बहुत अधिक संख्या हो। कीमतों में कटौती पर बिक्रियों की संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घरेलू उद्योग द्वारा खोई गई बिक्री की संख्या को दर्शाता है। वही सिद्धांत क्षति मार्जिन की गणना पर लागू होता है। यूरोपीय यूनियन, जो कमतर शुल्क नियम का भी अनुसरण करता है, इस कार्यपद्धति का अनुसरण करता है। उसे डब्ल्यूटीओ में चुनौती नहीं दी गई है। कोठारी शुगर्स ऐंड कैमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टेट के आदेश पर विश्वास किया गया है। उसे होनेस्ट इंटरप्राइजेज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में न्यायाधिकरण द्वारा भी संदर्भित किया गया था।
- ञ. निर्यातकों से उनके असंबंधित निर्यातकों के साथ भी बहुत अधिक भागीदारी हुई है जबकि आयातकों/प्रयोक्ताओं से बहुत अधिक भागीदारी का अभाव है।
- ट. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना घरेलू निर्माता, उपभोक्ताओं और कुल मिलाकर आम जनता के हित में है। चूंकि मांग-आपूर्ति में अंतर मौजूद है अतः विचाराधीन उत्पाद का आयात बंद नहीं होगा। उपभोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम है। उपभोक्ताओं पर संभावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण यह दर्शाएगा कि उपभोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव बहुत कम होगा। इसके अलावा, यह तथ्य कि केवल एक प्रयोक्ता ने पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने का विरोध किया है, यह सिद्ध करता है कि उपभोक्ता उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बारे में चिंतित नहीं है।

क्र.सं.	क्षेत्र		पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव		
			न्यूनतम	औसत	उच्च
1	ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स	क. ओ रिंग	1.3%	1.0%	0.8%
		ख. डस्ट सील	2.9%	2.7%	2.5%
		ग. एयर होज	3.3%	3.0%	2.7%
2	राइस रोल्स		3.8%	3.3%	3.0%
3	होजेज		1.5%	0.9%	0.6%
4	एलपीजी ट्यूबिंग		2.7%	2.4%	2.2%
5	इन्सुलेशन फोम		1.4%	1.0%	0.8%
5	ज्वाइंटिंग शीट		2.0%	1.2%	1.0%
6	कोर्क शीट		0.8%	0.7%	0.6%
7	कुकर गैसकट		2.5%	2.3%	2.1%

ठ. यह तथ्य कि केवल एक प्रयोक्ता ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का विरोध किया है, यह दर्शाता है कि उपभोक्ता उद्योग उसके बारे में चिंतित नहीं है। बढ़ते हुए व्यापार घाटे और गिरता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार के आलोक में, यह महत्वपूर्ण है कि आयात पर निर्भरता कम की जाए।

ब.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

162. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. प्रकटन विवरण में यह जांच परिणाम कि निर्यातकों ने पीसीएन वार विश्लेषण का प्रस्ताव नहीं किया, गलत है।
- ख. यूरोपीय यूनियन से आयात का संचयी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यूरोपीय यूनियन के आयात की मात्रा जांच की अवधि में कम हुई और यूरोपीय यूनियन के आयात की कीमतों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई।
- ग. यदि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ताव नहीं भी किया जाता है तब वह उसके लिए औचित्य नहीं हो सकता है। “उचित तुलना” निर्दिष्ट प्राधिकारी का एक कानूनी दायित्व है। उस चरण पर विचार किए बिना जिस पर प्राधिकारी द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि प्राधिकारी को उसे लागू करने का अधिकार है। उसे लागू नहीं करना क्योंकि यह आरंभिक चरण में निर्धारित नहीं किया गया था, उपयुक्त नहीं है। प्राधिकारी ने अनेक मामलों में जांच के आरंभन के पश्चात पीसीएन वार आंकड़ों की मांग की है।
- घ. निर्यातक द्वारा पीसीएन वार सूचना उपलब्ध कराए जाते ही, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह बाध्यता है कि वह ग्रेड-वार विश्लेषण करें। जैसे ही पीसीएन-वार/ग्रेड-वार क्षति मार्जिन के लिए दावा किया गया हो, ग्रेड-वार पाटन मार्जिन का अनुमान लगाया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की फिर से जांच पीएन-वार/ग्रेड-वार आंकड़ों पर की जानी चाहिए। पीसीएन-वार विश्लेषण के बिना क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन के फलस्वरूप गलत और भ्रामक निष्कर्ष निकलेंगे।
- ड. डीजीटीआर ने यह टिप्पणी करने में भूल की है कि शुल्कों को लगाने से उपभोक्ताओं पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल से प्रभावित करेगा और प्रयोक्ता/डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए यह हानिकारक होगा।
- च. गैर-भेदभावपूर्ण दायित्व गैट के अनुच्छेद 1:1 के अंतर्गत एमएफएन दायित्व से उत्पन्न होता है। पाटनरोधी जांचों में लागू किए गए नियम और औपचारिकताएं यूरोपीय यूनियन – फुटवियर (चीन) में पैनल रिपोर्ट के अनुसार इस अनुच्छेद के क्षेत्र के भीतर आता है। पैनल ने यह भी सिद्ध किया कि उसी उत्पाद को शामिल करते हुए पाटनरोधी जांचों में अलग-अलग रूप से डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ बर्ताव करना एमएफएन दायित्व का उल्लंघन करता है।

- छ. प्रकटन विवरण अन्य कारकों जैसे लागतों में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में कमी का विश्लेषण नहीं उपलब्ध कराता है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के अंतर्गत, अन्य ज्ञात कारकों का विश्लेषण करने का दायित्व प्राधिकारी पर है और न कि किसी हितबद्ध पक्षकार पर, जैसाकि प्रकटन विवरण में उल्लेख किया गया है।
- ज. यह दावा कि याचिकाकर्ता अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- झ. डीजीटीआर की टिप्पणियों के विपरीत, कच्चे तेल की कीमत में संचलन वर्तमान जांच से संगत है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा कच्चे माल का आयात याचिकाकर्ता के खराब कार्य-निष्पादन में योगदान किया होगा।
- ञ. डीजीटीआर ने गलत तरीके से यह टिप्पणी की है कि ऑटो क्षेत्र में संभावित मंदी अथवा इस उत्पाद के लिए मांग में संभावित गिरावट जांच की अवधि के लिए विचार किए गए क्षति संबंधी आंकड़ों को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने अपने आप यह मान लिया है कि ऑटो क्षेत्र में मंदी का एनबीआर की मात्रा बिक्रियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। यह भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए एक सहयोगी कारक हो सकता है।
- ट. याचिकाकर्ता की क्षमताओं का विस्तार करने में असमर्थता के लिए कारण की भी इस तथ्य का आकलन करने के लिए अवश्य जांच की जानी चाहिए कि क्या यह पाटित आयातों के कारण अथवा पर्यावरणीय स्वीकृतियों और अन्य सरकारी अनुमोदनों के कारण है।
- ठ. इस तथ्य की भी जांच अवश्य की जानी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा उपयोग किए गए उत्पादन लाइन विचाराधीन उत्पाद और पीवीसी, उत्पादन लाइन के माध्यम से उत्पादन किए विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद की मात्रा के लिए एक ही है और यदि याचिकाकर्ता जानबूझकर उच्चतर लाभप्रदता के कारण अधिक गैर विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहा है।
- ड. याचिकाकर्ता विद्युत की लागत की बचत करने के लिए एक कैप्टिव विद्युत संयंत्र चालू कर रहा है, उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए बाधा को दूर करने वाली परियोजना पर कार्य कर रहा है और प्रचालन संबंधी लागतों को कम करने के लिए कार्य कर रहा है तथा इसमें बहुत अधिक निवेश भी किया है और एक एनबीआर कारबोक्सी आरंभ किया जिसकी कोविड-19 महामारी के कारण भारत में बढ़ती हुई मांग के साथ मलेशिया और इंडोनेशिया में बहुत अधिक मांग है। घरेलू उद्योग केवल क्षति की अवधारणा बना रहा है और इसे कोई भी वास्तविक क्षति संबद्ध आयातों से नहीं हुई है।
- ढ. डीजीटीआर संबद्ध देशों से कोरिया द्वारा पाटन के प्रभावों को अलग-अलग करने में असफल रहा और गलती से वर्तमान जांच में “पाटित आयातों” के भीतर उसे शामिल किया।
- ण. अगोपनीय रूप में संकीर्ण रेंज में (कमतर और उच्चतर रेंज के बीच अधिकतम 5 प्रतिशत के अंतर के भीतर) एनआईपी को प्रकट किया जाना है।

ब.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

163. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और वह यह नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच उपयुक्त रूप से कर ली गई है और जिस पर अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में समुचित रूप से ध्यान दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है।
164. रूस से उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी को ग्रेड-वार पाटन मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए क्योंकि उक्त उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में उनके आंतरिक उत्पाद ग्रेडिंग के आधार पर सूचना उपलब्ध कराई है, प्राधिकारी नोट करते हैं घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में कोई पीसीएन-वार विश्लेषण का प्रस्ताव नहीं किया है। उत्तर देने वाले निर्यातक ने किसी पीसीएन का भी सुझाव नहीं दिया है और

उसके स्थान पर ग्रेड-वार पाटन मार्जिन का सुझाव दिया है। ग्रेड-वार पाटन मार्जिन के निर्धारण का सुझाव देते समय, निर्यातक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि क्यों ग्रेड-वार तुलना इस मामले के वास्तविक मैट्रिक्स और स्वयं निर्यातक द्वारा दायर किए गए आंकड़े पर विचार करते हुए महत्वपूर्ण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी निर्यातक के विशिष्ट श्रेणी को पीसीएन के रूप में नहीं माना जा सकता है। निर्यातक ने वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर किसी पीसीएन का सुझाव नहीं दिया है जिसे सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। प्राधिकारी ने जांच के आरंभ की सूचना में अथवा उसके बाद जांच की प्रक्रिया के दौरान पीसीएन पद्धति को निर्धारित नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि इस उत्पाद का कोई सार्वभौमिक ज्ञात ग्रेड नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि यह उत्पाद विगत में पाटनरोधी जांच के अध्यक्षीन रहा है और पीसीएन पद्धति का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उन जांचों में नहीं किया गया था और पाटन मार्जिन का निर्धारण पीसीएन-वार विश्लेषण के आधार पर नहीं किया गया था।

165. प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में जेएससी क्रासनोयार्क्स सिंथेटिक रबड़ प्लांट ने यह अनुरोध किया है कि इस उत्पाद का एक्सीलोनाइट्राइल मात्रा और मूनी विस्कोसिटी के आधार पर अलग-अलग ग्रेड है और घरेलू बाजार में तथा भारत सहित निर्यात बाजार में बेची गई प्रत्येक ग्रेड ग्राहक की अपेक्षा से विशिष्ट है और इस कारण से भारत औसत तुलना सही स्थिति को नहीं दर्शाएगा तथा ग्रेड-वार विश्लेषण की मांग की। पीसीएन-वार विश्लेषण के लिए इस प्रकार का कोई अनुरोध अन्य सहयोगी उत्पादकों और अन्य संबद्ध देशों से निर्यातकों से प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद प्राधिकारी ने ग्रेड-वार सूचना उपलब्ध कराने के लिए अन्य सभी उत्तर देने वाले निर्यातकों को पत्र भेजा। प्राधिकारी ने जेएससी क्रासनोयार्क्स सिंथेटिक रबड़ प्लांट से यह भी कहा कि वह तीसरे देशों को अपने निर्यातों का ब्यौरा उपलब्ध कराए। जेएससी क्रासनोयार्क्स सिंथेटिक रबड़ प्लांट को छोड़कर किसी भी निर्यातक ने ग्रेड-वार सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और वास्तव में यह उल्लेख किया है कि ग्रेड-वार तुलना वर्तमान मामले के वास्तविक मैट्रिक्स में आवश्यक नहीं है।
166. यह नोट किया जाता है कि एनबीआर एक सिंथेटिक रबड़, एसीएन और बीडी का एक कोपोलिमर है। एसीएन और बीडी की मात्रा पर निर्भर करते हुए, इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री भारत तथा संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा अनेक श्रेणियों में किया जाता है। अलग-अलग श्रेणियों का अलग-अलग एएन मात्रा और मूनी विस्कोसिटी होता है। बाजार की बातचीत में, एसीएनद मात्रा और मूनी विस्कोसिटी पर निर्भर करते हुए, इस उत्पाद को निम्न, मध्यम और उच्च एनबीआर की श्रेणी में बांटा जाता है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि भारत में वैश्विक स्तर पर अधिकांश उत्पादन (85-95 प्रतिशत की सीमा में) मध्यम एनबीआर की श्रेणी में है। पूर्व की जांचों में भी प्राधिकारी ने यह माना कि विचाराधीन उत्पाद को निम्न, मध्यम और उच्च एनबीआर की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अधिकांश उत्पादन और बिक्री मध्यम एनबीआर में है। घरेलू उद्योग की सत्यापित सूचना से यह नोट किया जाता है कि इसकी बिक्री की बहुत अधिक मात्रा (94 प्रतिशत) मामूली लागत अंतर (5 प्रतिशत से कम) के साथ मध्यम एनबीआर है। उच्च एनबीआर की अपेक्षा अधिक लागत होती है लेकिन इसका हिस्सा बहुत कम है (3.5 प्रतिशत) और कम एनबीआर का भी बहुत कम लागत अंतर (5 प्रतिशत से कम) होता है। इसके अलावा, कम एनबीआर का उच्चतर लागत होता है। सिबुर के आंकड़ों की जांच करते समय, यह नोट किया गया था कि भारत को किए गए अधिकांश निर्यात (90 प्रतिशत से अधिक) मध्यम एनबीआर ही हैं। इसके अलावा, यद्यपि कम एनबीआर की कमतर लागत होती है और उच्च एनबीआर की लागतें वे होती हैं जो मध्यम एनबीआर से कमतर है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि इनपुट्स की कीमतों में जांच की अवधि के भीतर बहुत अधिक हद तक परिवर्तन हुआ है और निर्यातक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि क्या और किस सीमा तक विभिन्न ग्रेडों के उत्पादन की लागत में अंतर उत्पाद विशेषताओं में अंतर के कारण है और वह सीमा जिस सीमा तक लागतों में अंतर समय अवधि के कारण है। यह भी नोट किया जाता है कि जापान और यूरोपीय यूनियन से अन्य निर्यातकों ने उन्हें अवसर उपलब्ध कराए जाने के बाद ग्रेड-वार लागत उपलब्ध नहीं कराई।
167. उसे देखते हुए, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में पी सी एन/ग्रेडवार विश्लेषण पर पाटन मार्जिन निर्धारित करना उचित नहीं समझा है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग तथा रूस से उत्पादक और निर्यातक अर्थात् मै० सिबुर दोनों ने भारत में (***% से अधिक) अत्यधिक तीव्र मात्रा में बिक्री संबद्ध वस्तु के मध्यम श्रेणी की है और इसलिए क्षति मार्जिन के परिकलन में भी कोई ग्रेड/श्रेणीवार विश्लेषण अपेक्षित नहीं है।

168. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के सभी सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद के वास्ते भारित औसत के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है।
169. प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा अपने प्रश्नावली के उत्तरों में उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया है और यह सुनिश्चित किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक की समग्र निर्यातों के लिए ये आंकड़े हैं। यह भी नोट किया जाता है कि भारत को इस उत्पादक द्वारा संबद्ध वस्तुओं के कुल निर्यातों में असहयोगी असंबद्ध निर्यातक का हिस्सा 30 प्रतिशत से कम है। जैसाकि इस जांच परिणाम में पहले नोट किया गया है, असहयोगी असंबद्ध निर्यातक को शामिल करते हुए बिक्री चैनलों के मामले में, निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर किया गया है।
170. कर्मचारियों, उत्पादकता और मजदूरी की जांच न किए जाने के तर्क के संबंध में, इसकी जांच इन जांच परिणामों के संगत पैराओं में किया गया है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि लागतों में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में कमी जैसे कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को नहीं समाप्त करता है।
171. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन किया है और वे यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता को बढ़ाचढ़ाकर पेश करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों का दावा सही नहीं है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्यों से घरेलू उद्योग की सत्यापित सूचना पर विचार किया है।
172. प्रकटन विवरण में एनआईपी का प्रकटन प्राधिकारी की कार्य-पद्धति के अनुरूप है।

द. भारतीय उद्योग के हित

173. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपाय लागू करने से कमी नहीं आएगी। इसके प्रतिकूल, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की प्रक्रिया से प्राप्त अनुचित लाभ दूर होगा, घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक अवसर की उपलब्धता में मदद मिलेगी। सामान्यतः पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के ज़रिए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके ताकि भारतीय बाजार में खुली और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनःस्थापित किया जा सके, जोकि देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से किसी भी तरह से आयातों पर प्रतिबंध नहीं होगा और इसीलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
174. प्राधिकारी ने इस विचार विचार किया कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाने का जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की कि क्या जांच के अधीन उत्पाद से आयातों पर मौजूदा शुल्क का विस्तार किया जाना व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, इस उत्पाद के आयातकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के हितों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने पर आधारित है।
175. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के लागू किए जाने पर संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांचों के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के वास्ते प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने की क्षमता, स्रोतों को अपनाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, उन कारकों जो संभवतः पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के प्रति समायोजन में गति लाएंगे अथवा उसमें विलंब करेंगे, वर्तमान शुल्क को रद्द किए जाने अथवा उसे बनाए रखने के प्रभाव पर सूचना मांगी। एक प्रयोक्ता जो इम्पीरियल वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि. है, को छोड़कर किसी भी प्रयोक्ता ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। प्रयोक्ता संघों ने

अनुरोध प्रस्तुत किए हैं लेकिन प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसके अलावा, उक्त प्रयोक्ता ने अपने उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि किस प्रकार से एनबीआर की इन कीमतों ने उपभोक्ताओं को प्रभावित किया है। यद्यपि, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बचाने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए प्रपत्र निर्धारित किया है और इस बात का विस्तृत उल्लेख किया है कि किस प्रकार से पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इस प्रकार से यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता उद्योग पर सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताई है और यह अनुरोध किया है कि यह प्रभाव उपभोक्ता के विभिन्न क्षेत्रों पर बहुत कम है। यह तथ्य कि विचाराधीन उत्पाद का केवल एक भारतीय उत्पादक है और पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने से इस उत्पाद के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर बहुत कम है, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क को लगाना जनहित में होगा।

ठ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

176. विचाराधीन उत्पाद, गोपनीयता, आवेदन की समुचितता और स्टीकता, प्रश्नावली के उत्तर, जांच की अवधि का चयन, पाटन मार्जिन निर्धारण, घरेलू उद्योग को क्षति, अन्य कारक, जो कथित रूप से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों की जांच करने के बाद, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों के संगत पैराओं में उठाए गए मुद्दों पर उपयुक्त रूप से चर्चा की है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

- i. यह आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह मानते हैं कि इस नियमावली के नियम 5(3) के संबंध में स्थिति के मानदंड को इस आवेदन ने पूरा किया।
- ii. चूंकि घरेलू उद्योग तरल एनबीआर का निर्माण नहीं कर रहा है अतः तरल एनबीआर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
- iv. प्राधिकारी ने सभी उत्तर देने वाले निर्यातकों के लिए भारित औसत आधार पर पाटन मार्जिन की गणना की है।
- v. इन आवेदकों द्वारा तथा विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे की जांच की गई है और इसके बारे में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के संबंध में दावे की अनुमति दी है।
- vi. इस आवेदन में जांच के आरंभ किए जाने के उद्देश्य से संगत सभी सूचना निहित थी और इस आवेदन में वर्तमान जांच की शुरुआत करने के लिए निर्णय लिए गए जांच के आरंभ को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य था।
- vii. जांच की अवधि के रूप में नौ महीने को लेना इस नियमावली के अनुरूप नहीं है।
- viii. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और ये मार्जिन बहुत अधिक हैं।
- ix. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा पूर्ण और सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग और बाजार हिस्से में जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के

कार्य-निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि, नकद हानि और निवेशों पर नकारात्मक प्रतिफल हुआ है।

177. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रयास अवसर दिया गया था ताकि वे पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध करा सकें। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति, और कारणात्मक संबंध, की जांच शुरू करने और उसे पूरा करने के बाद प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।
178. इस नियमावली के नियम 4(घ) में निहित प्रावधान के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। मामले के वास्तविक मैट्रिक्स को ध्यान में रखकर और दी गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए, पाटनरोधी शुल्कों के बेंचमार्क/संदर्भ रूप की सिफारिश करने के लिए इसे उपयुक्त माना गया है। प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश करते हैं क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य और संदर्भ कीमत के बीच अंतर नीचे तालिका के कॉलम 7 में दर्शाया गया है, बशर्ते कि पहुंच मूल्य कॉलम 7 में दर्शाए गए मूल्य से कम हो। किसी बेंचमार्क/संदर्भ कीमत की सिफारिश जेएसआर कारपोरेशन के लिए नहीं की गई है क्योंकि इस उत्पादक के लिए क्षति मार्जिन नकारात्मक है।
179. इस उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	40025900	एक्रीलोनिट्राइल बुटाडाइन रबड़*	ईयू	ईयू	अरलेन्स्को इम्प्युलसन रबड़ फ्रांस एस.ए.एस	2,086.78	प्रति एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	ईयू	ईयू सहित कोई देश	क्रम सं.(1) में दिए गए उत्पादक को छोड़कर कोई अन्य	2,086.78	प्रति एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	जिस देश पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, उसको छोड़कर कोई भी देश	ईयू	कोई भी	2,086.78	प्रति एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	जापान	जापान	जेएसआर कारपोरेशन	लागू नहीं।	प्रति एमटी	यूएसडॉ.
5	-वही-	-वही-	जापान	जापान	जीओन कारपोरेशन	2,086.78	प्रति एमटी	यूएसडॉ.

6	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई देश	क्र.सं. (4) और (5) में दिए गए उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य	2,086.78	प्रति एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	जिस देश पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, उसको छोड़कर कोई भी देश	जापान	कोई भी	2,086.78	प्रति एमटी	यूएसडॉ.
8	-वही-	-वही-	रूस	रूस	जेएससी क्रासनोयावर्स सिंथेटिक रबड़ प्लांट	2,086.78	प्रति एमटी	यूएसडॉ.
9	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई भी देश	पंक्ति (8) में दिए गए उत्पादक को छोड़कर कोई अन्य	2,086.78	प्रति एमटी	यूएसडॉ.
10	-वही-	-वही-	जिस देश पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, उसको छोड़कर कोई भी देश	रूस	कोई भी	2,086.78	प्रति एमटी	यूएसडॉ.
11	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	कोई भी	2,086.78	प्रति एमटी	यूएसडॉ.
12	-वही-	-वही-	जिस देश पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, उसको छोड़कर कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी	2,086.78	प्रति एमटी	यूएसडॉ.

* विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) “एक्रीलोनिट्राइल बुटाडाइन रबड़” अथवा “एनबीआर” है जिसमें विशिष्ट रूप से तरल एनबीआर, लेटेक्स एनबीआर, पावडर एनबीआर और कार्बोडाइलेटिड एनबीआर शामिल नहीं हैं।

ड. आगे की प्रक्रिया

180. केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इन जाँच परिणामों के खिलाफ कोई अपील वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 12th May, 2021

Case No. ADD-(OI)-15/2020

Subject: Anti-dumping Investigation concerning imports of “Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)” into India originating in or exported from China PR, European Union (EU), Japan and Russia

F. No. 6/18/2020-DGTR: Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) received an application from M/s Apcotex Industries Limited (hereinafter also referred to as “Applicant”) requesting initiation of anti-dumping investigation under the Act and the Rules on imports of “Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)”, (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR, European Union (EU), Japan and Russia (“subject countries”). The Applicant namely, M/s Apcotex Industries Limited, has provided the prescribed information in the Application.
2. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/18/2020-DGTR dated 26th May, 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty (ADD), which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 26th May, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 26th May, 2020, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the Applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
 - f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their Questionnaire Responses. Vide communication dated 2nd July, 2020, the time was extended up to 31st July, 2020, and further vide communication dated 29th July, 2020, the time was extended up to 14th August, 2020.

- g. The following Governments provided written submissions:
- i. Ministry of Economic Development and the Ministry of Industry and Trade of the Russia Federation;
 - ii. European Union.
- h. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. M/s Arlanxeo Emulsion Rubber France S.A.S., France;
 - ii. M/s Arlanxeo Duetschland GmbH, Germany;
 - iii. M/s Arlanxeo Netherlands B.V., Netherlands;
 - iv. M/s Arlanxeo Branch Office Istanbul, Turkey;
 - v. M/s INSA GPRO, China;
 - vi. M/s JSR Corporation, Japan;
 - vii. M/s Nantex, Taiwan;
 - viii. M/s Sibur International GmbH, Austria;
 - ix. M/s Sibur International Trading (Shanghai) Co. Ltd. Beijing Branch, China;
 - x. M/s Sibur, Russia.
 - xi. M/s Synthos S.A., Poland;
 - xii. M/s Versalis S.P.A., Italy;
 - xiii. M/s Zeon Corporation, Japan.
- i. In response to the above notification, the following producers/exporters and their related exporters/traders have responded and submitted/filed exporters' questionnaire responses and/or legal submissions:
- i. M/s Arlanxeo Emulsion Rubber France S.A.S., France;
 - ii. M/s Goko Trading Co. Ltd., Japan;
 - iii. M/s JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant, Russia;
 - iv. M/s JSR Corporation, Japan;
 - v. M/s JSR Trading Co. Ltd., Japan;
 - vi. M/s JTC Corporation, Japan;
 - vii. M/s Kato Sansho Co. Ltd., Japan;
 - viii. M/s PJSC Sibur Holding, Russia;
 - ix. M/s Sibur International GmbH, Austria;
 - x. M/s Tokyo Zairyo Co. Ltd., Japan;
 - xi. M/s Zeon Asia Pte. Ltd., Singapore;
 - xii. M/s Zeon Corporation, Japan.
- j. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- i. M/s Alaska Tyres Pvt. Ltd.;
 - ii. M/s Andhra Polymers (P) Ltd.;
 - iii. M/s Banco Products (India) Ltd.;
 - iv. M/s Bharat Corrub Industries;
 - v. M/s Bony Polymers Ltd.;
 - vi. M/s Champion Jointings Ltd.;

- vii. M/s Elgi Ultra Industries Ltd.;
 - viii. M/s Favorite Safety Products;
 - ix. M/s Ferolite Jointings Ltd.;
 - x. M/s Galaxy Rubber Products;
 - xi. M/s Gates India Pvt. Ltd.;
 - xii. M/s Godavari Petro Products (P) Ltd.;
 - xiii. M/s Grindback;
 - xiv. M/s Habasit Iakola Pvt. Ltd.;
 - xv. M/s Hindustan Composites Ltd.;
 - xvi. M/s Imperial Rubber Products;
 - xvii. M/s Imperial Waterproofing Industries Ltd.;
 - xviii. M/s Inarco Ltd.;
 - xix. M/s Industrial Roller Corporation;
 - xx. M/s Industrial Rubber Products;
 - xxi. M/s Jayashree Polymer Pvt. Ltd.;
 - xxii. M/s K.D. Joshi;
 - xxiii. M/s Lakhani Rubber Udyog Ltd.;
 - xxiv. M/s Lakshmi Machine Works Ltd.;
 - xxv. M/s Lathia Indl Suppliers Co. Pvt. Ltd.;
 - xxvi. M/s Layallpur Rubber Mills;
 - xxvii. M/s MRF Ltd.;
 - xxviii. M/s Nu-Cork Products Pvt. Ltd.;
 - xxix. M/s Parker Markwel Inds. P. Ltd.;
 - xxx. M/s Perfect Oil Seals & I.R.P.;
 - xxxi. M/s Polyrub Extruction (India);
 - xxxii. M/s Precitex Rubber Ind. P. Ltd.;
 - xxxiii. M/s Rane Breaklining Ltd.;
 - xxxiv. M/s Roop Rubber;
 - xxxv. M/s Shaktiman Rub Rolls Pvt. Ltd.;
 - xxxvi. M/s Suja Rubber Industries Pvt. Ltd.;
 - xxxvii. M/s Sundaram Auto Components Ltd.;
 - xxxviii. M/s Sundaram Breaklining Ltd.;
 - xxxix. M/s Sundaram Industries Ltd.;
 - xl. M/s Super Seals (India) Ltd.;
 - xli. M/s Unique Rubber Udyog.
- k. In response to the above notification, the following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses/legal submissions and/or registered as interested parties:
- i. M/s Imperial Waterproofing Industries Pvt. Ltd.;
 - ii. M/s JMF Synthetics India Pvt. Ltd.;
 - iii. M/s Olmec Inventures;

- iv. M/s Tokyo Zairyo (India) Pvt. Ltd;
 - v. M/s Vista Business Ventures LLP;
 - vi. M/s Aarchem Corporation;
 - vii. M/s Avneesha Polymers LLP;
 - viii. M/s Devashish Polymers Pvt Ltd.;
 - ix. M/s Hi-Tech Arai Pvt. Ltd.;
 - x. M/s J.K.Fenner (India) Limited;
 - xi. M/s Jayashree Polymers Pvt. Ltd.;
 - xii. M/s K.D.Sons;
 - xiii. M/s Nishigandha Polymers Pvt. Ltd.;
 - xiv. M/s Parkman Elastometers Pvt. Ltd.;
 - xv. M/s Precision Rubber Industries Pvt. Ltd.;
 - xvi. M/s Rishiroop Ltd.;
 - xvii. M/s Roop Rubber Mills Private Limited;
 - xviii. M/s Rubber Chemical Centre;
 - xix. M/s SRP Synthetic Rubber Products Pvt. Ltd.;
 - xx. M/s Technocraft Industries (India) Ltd.
- l. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 26th May, 2020 to the following known Associations of the subject goods in India:
- i. All India Rubber Industries Association;
 - ii. Indian Footwear Components Manufacturers Association (IFCOMA).
- m. In response to the above notification, the All India Rubber Industries Association has made legal submissions.
- n. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 23rd December, 2020. Subsequently, in the light of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of *Automotive Tyres Manufacturer Association vs Designated Authority*, another public hearing was held on 15th February, 2021 in view of the change of the Designated Authority, which was attended by various parties through video conferencing. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- o. The Authority made available the non-confidential version of the submissions presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
- p. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st July, 2019 to 31st March, 2020 (9 months). The injury examination period has been considered as the period from 1st April, 2016 - 31st March, 2017; 1st April, 2017- 31st March, 2018; 1st April, 2018 - 30th June, 2019 and the POI.
- q. The Authority obtained transaction-wise import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems & Data Management (DGS) for the subject goods for the injury period, including the POI, and analysed the data after due examination of the transactions.
- r. Further information was sought from the Applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.

- s. The non-injurious price (hereinafter referred to as “NIP”) based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, have been worked out so as to ascertain whether ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- t. In accordance with the Rules, the Authority disclosed the essential facts of the case that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement on 22.03.2021 and the interested parties were allowed time upto 30.03.2021 to comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.
- u. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in these findings.
- v. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these findings, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- w. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- x. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- y. “***” in these findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- z. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$1= Rs. 72.07.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as-

“3. The product under consideration (PUC) is “Acrylonitrile Butadiene Rubber” or “NBR”, specifically excluding Latex NBR, Powder NBR and Carboxylated NBR. NBR is a synthetic rubber produced by the emulsion copolymerization of butadiene and acrylonitrile. NBR is used in the manufacture of various rubber articles where resistance to oil, abrasion and heat applications are involved, such as oil seals, hoses, automotive products, gaskets, rice dehusking rolls, printers, fabrics, oilfield products, etc. The major raw materials required for NBR are Acrylonitrile and Butadiene. Different grades of NBR are defined in terms of mooney viscosity and acrylonitrile content.

4. The product is classified under customs classification 40025900. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

C.1. Submissions of the domestic industry

5. The submissions made by the domestic industry with regard to the PUC and like article are as follows:
- a. NBR is a synthetic rubber, a copolymer of acrylonitrile (ACN) and butadiene (BD). NBR is used in the manufacture of various rubber articles where resistance to oil, abrasion and heat applications are involved, such as oil seals, hoses, automotive products, gaskets, rice dehusking rolls, printers, fabrics, oilfield products, etc. NBR is produced in a number of different forms, differentiated in terms of mooney viscosity and acrylonitrile content.
 - b. This product is classified under Customs Tariff heading no. 40025900.
 - c. The Applicant has produced like article to the imported products.
 - d. The Russian Federation has not established or listed any grades produced by Russian producers which are different from the products manufactured by the domestic industry.

- e. Different grades do not mean different products. The Authority had held in previous investigations on the subject goods that the products manufactured by the domestic industry are like article to those being imported.
- f. Consumers use the product manufactured by the domestic industry and the Russian producers interchangeably.
- g. The domestic industry has no objection to the exclusion of Liquid NBR from the product scope.

C.2. Submissions of other interested parties

6. The following submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to the PUC and like article are as follows:
 - a. The Russian products are completely different from the grades of the Indian products.
 - b. The Russian imports cannot be said to be like product. Further, there are four criteria to assess “likeness” as elaborated in EU – Asbestos (WT/DS135/AB/R) which are physical properties, end-uses; consumers’ tastes and habits; and tariff classification. At least two of these criteria i.e. end uses, and consumers’ tastes and habits are not satisfied. In the absence of any relevant analysis of likeness in the Application, the products produced by the Applicant and the ones destined for consumption in Russia cannot be regarded as like products.
 - c. The Applicant has failed to find information on sales’ prices of like product when destined for consumption in the exporting country i.e., Russia, since the products produced by the Applicant and the ones destined for consumption in Russia are not like products.
 - d. The Applicant has applied for ADD on liquid NBR or any specialty grades even though they do not manufacture them.
 - e. There is no relevant analysis of likeness in the application.
 - f. It has been submitted by exporter from Russia that the Authority has called for PCN-wise information post-initiation in multiple cases, and therefore, PCNs should be proposed and finalized after providing sufficient time for providing information. The right to seek proper comparison as per para 6 of Annexure I of the Rules and Article 2.4 of the AD Agreement should not be denied.
 - g. The Respondents have submitted PCN-wise information right from the beginning and the same should be analysed. Reference has been made to China broiler products where the Panel clarified that ensuring price comparability is an obligation of the investigating authority. Reference has also been made to Korea pneumatic valves (Japan) where the Panel imposed obligation on investigating authorities to ensure price comparability while comparing individual transaction prices with average prices of corresponding models. The Authority must ensure prices are “properly comparable” and also noted that average-to-average transactions do not enable price comparability. Therefore, PCNs should be based on acrylonitrile content and mooney viscosity of NBR as proposed in questionnaire response.

C.3 Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation is “Acrylonitrile Butadiene Rubber” or “NBR”, specifically excluding Latex NBR, Powder NBR and Carboxylated NBR.
8. NBR is a synthetic rubber, a copolymer of ACN and BD. The product is used in the manufacture of various rubber articles where resistance to oil, abrasion and heat applications are involved, such as oil seals, hoses, automotive products, gaskets, rice dehusking rolls, printers, fabrics, oilfield products, etc. NBR is produced in a number of different forms, differentiated in terms of mooney viscosity and acrylonitrile content.
9. The product is classified under Customs Tariff heading no. 40025900. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
10. With regard to submissions made by producer/exporter from Russia that Authority should determine grade-wise dumping margin as the said producer/exporter has provided information based on their internal product grading in the questionnaire response, the Authority notes that Domestic industry has not proposed any PCN-wise analysis in its application. The responding exporter has also not suggested any PCN, and has instead suggested grade-wise dumping margin. While suggesting grade wise dumping margin determination, the exporter has not established why grade wise comparison is important, having regard to factual matrix of the case and the data filed by the exporter itself. The Authority notes that a specific grade of an exporter cannot be treated as a

PCN. The exporter has not suggested any PCN on the basis of scientific criteria which could be universally applied. The Authority has not prescribed PCN methodology in the notice of initiation or thereafter during the course of investigation. It is also noted that there are no universal known grades of the product. It is also noted that this product has been subject to anti-dumping investigations in the past and PCN methodology was not prescribed by the Authority in those investigations, and dumping margin was not determined based on PCN-wise analysis.

11. In the post disclosure comments, the JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant has submitted that the product has different grades, based on the Acrylonitrile content and Mooney viscosity, and each of the grade sold in the home market and exports market including Indian is unique to the customer requirement and therefore, weighted average comparison will not reflect the correct position, and demanded grade wise analysis. No such requests for PCN wise analysis was received from other cooperating producers and exporters from other subject countries. The Authority thereafter sent a communication to all other responding exporters to provide grade wise information. The Authority also asked JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant to provide details of their exports to third countries. None of the exporters apart from JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant has provided grade wise information, and have in fact stated that the grade wise comparison is not necessary in the factual matrix of the present case.
12. It is noted that NBR is a synthetic rubber, a copolymer of ACN and BD. Depending on the content of ACN and BD, the product is produced and sold by the producers in India and subject countries in a number of grades. Different grades have different AN content and Mooney Viscosity. In market parlance, depending on ACN content and Mooney Viscosity, the product is categorised into low, medium and high NBR. The domestic industry contended that majority of production (in the region of 85-95%) in India and globally is in the category of medium NBR. In the previous investigations as well, the Authority recognised that the product under consideration is categorised into low, medium and high NBR. But, majority of the production and sales is in medium NBR. It is noted from the verified information of the domestic industry that overwhelming quantity (***) of its sale is medium NBR with insignificant cost difference (of less than **%),. High NBR has higher cost but its share is insignificant (**%), and Low NBR also has insignificant cost difference (less than **%). Moreover, the Low NBR has higher costs. While examining the data of Sibur, it was noted most of exports made to India (more than 90%) are medium NBR only. Furthermore, though low NBR has lower costs, high NBR has costs which are lesser than medium NBR. In addition, it is also seen that the prices of inputs have changed significantly within the POI, and the exporter has not established whether and to what extent the difference in the cost of production of different grades is due to difference in the product characteristics and the extent to which the difference in the costs is due to time period. It is also noted that the other exporters from Japan, and EU did not provide grade wise costs, after an opportunity was provided to them.
13. In view of the same, the Authority has not considered it appropriate to undertake dumping margin determination on PCN/grade-wise analysis in the present investigation. It is further noticed that both the Domestic Industry and producer and exporter from Russia i.e. M/s Sibur have sold overwhelming quantity (more than **%) of subject goods in Medium category in India and therefore, injury margin calculation also does not require any grade /category wise analysis.
14. In view of the above the Authority has determined dumping margin and injury margin by comparing normal value and export price on the basis of weighted average for the product under consideration for all cooperating producers and exporters from subject countries.
15. As regards argument of exclusion of liquid NBR, it is noted that since domestic industry is not manufacturing liquid NBR, liquid NBR is excluded from the scope of the PUC.
16. The Authority notes from the information available on record that the product produced by the domestic industry is like article to PUC imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry is comparable to the goods imported from subject countries in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. While the Russian producer claimed that Russian products are completely different from the Indian products, it is noted that the Russian producer or importers or any other interested party has not identified the differences in the Russian and domestic industry product, distinguishing features & properties of the two, the functions & uses where Russian product is used and the domestic industry product cannot be used. It is noted that the product is being consumed in the country for past several years and no new function & use of the product has been identified where the Russian product is now being used. The Authority, therefore, holds that the subject goods produced by the

domestic industry are like article to the product imported from subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY& STANDING

D.1 Submissions of the domestic industry

17. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
 - a. The Applicant, namely Apcotex Industries Limited, constitutes 100% of the domestic production for the subject goods in India.
 - b. The Applicant has not imported the subject goods in the POI from the subject countries.
 - c. The Applicant is not related to any exporters in the subject countries or importers of the subject goods in India.

D.2. Submissions of other interested parties

18. No submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties regarding scope and standing of domestic industry.

D.3. Examination by the Authority

19. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.
20. The Application has been filed by Apcotex Industries Limited. The Applicant accounts for 100% of the Indian production. The Applicant has certified that neither they have imported the PUC from the subject countries in the POI nor they are related to any exporter or producer of PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.
21. The Authority holds that the Applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions of the domestic industry

22. The domestic industry has made the following submissions with regard to confidentiality:
 - a. The responding interested parties have claimed excessive confidentiality.
 - b. Responses to several questions in the questionnaire have been held confidential without any summarisation on the ground of business sensitivity. The same is with malafide intention to prevent the domestic industry from making meaningful submissions and assisting the Authority in identifying discrepancies in them. It also belittles the investigative process and procedure prescribed by the Authority.
 - c. The response filed by the Sibur Group has neither provided a non-confidential summary of the information claimed confidential nor explained why summarisation is not possible.
 - d. The other interested parties have claimed confidentiality in violation of Trade Notice 10/2018.
 - e. The confidentiality claims of the domestic industry adhere to the Trade Notice 1/2013.
 - f. The responding exporters have not publicly reported their normal value, export price and dumping margin.
 - g. The Authority is requested to reject responses where excessive confidentiality is resorted to by the parties. The Supreme Court decision in Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority is relied on.
 - h. The methodology for horizontal indexation followed by the domestic industry is the same as followed by Arlanxeo Emulsion Rubber France S.A.S. The same has been done as per the established practice of the Authority. The responding exporter has also indexed vertically which is unheard of in terms of law and practice.
 - i. The domestic industry has considered the annualised indexed values for both the POI and POI (A).

- j. The normal value is based on the cost of production of the domestic industry which is business sensitive information. The same has, however, been provided as range.
- k. Costing information is a business proprietary information of the company and not amenable to summarisation. The responding exporters have themselves claimed their costing information confidential but argue for disclosure of the same information from the domestic industry. The CESTAT decisions in *Anwar Jute Spinning Mills Ltd.* case and *Nitro Chemical Industry Ltd. v. Designated Authority* are relied on.
- l. The capacity of the domestic industry is business proprietary information. However, trends of the same have been provided as per the trade notice.
- m. DGCI&S data is third-party information and the Applicant is not authorised to disclose the same. The data has been submitted to the Authority. It is for the Authority to decide whether to disclose the data or not.
- n. Sibur has primarily sold one grade, i.e., 3345, which is medium-NBR. The Authority is requested to direct Sibur to disclose the grades produced and sold by the exporter in the domestic market. The same cannot be confidential.

E.2. Submissions of other interested parties

23. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality:
- a. The Domestic Industry has not provided the reply to certain questions required to be filed by the Domestic Industry in its application. The application is excessively confidential and has failed to comply with Trade Notice No. 10/2018. The non-confidential version of the application does not allow for a reasonable understanding of the allegations and violates Rule 7 of the Rules and Trade Notice 1/2013. Excessive confidentiality has been claimed and no costing information has been furnished. The information is crucial to fully understand claims and summary of documents and indexed data should be provided for making comments.
 - b. The Authority has not responded to the request for transaction-wise data relied on by the Applicant. CESTAT has recognized that the Authority should provide the import data in the same form and manner in which it was taken on record. Reference has been made to *Exotic Décor Pvt. Ltd. and Ors. v. Designated Authority*. The transaction-wise import data and detailed methodology relied upon, particularly the methodology adopted for excluding the Non-PUC products (i.e. Latex NBR, Powder NBR and Carboxylated NBR) by the Applicants to sort the transaction wise import data has not been provided.
 - c. For data on Normal Value, no non-confidential version has been provided. No reasoning has been provided for why no summarization is possible.
 - d. Normal Value for all subject countries is in the same range of 2000-3000 despite China being NME and rest of the data in the statement of dumping margin being treated as confidential, it is not understood how the estimates in the range are calculated and whether they were done correctly.
 - e. The domestic industry has claimed excessive confidentiality and filed an incomplete petition. Neither an NCV nor justification for confidentiality claim has been provided for costing information. A summary of the information and indexed data in the non-confidential version should be provided.
 - f. The NCV petition does not allow a reasonable understanding of the allegations and violates the requirements under Rule 7 of the Rules and Trade Notice 1/2013.
 - g. Information related to Dumping Margin is inaccurate and misleading. Post-initiation submissions do not provide updated dumping margin for POI prescribed.
 - h. The Respondents have submitted their responses as per the questionnaire format prescribed by the Authority for the producers/exporters and also completely adhered to the Trade Notice No 10/2018 dated 7th September, 2018. The interested parties have filed all the information with the Authority in its confidential version. However, certain information which are business sensitive and where disclosure of the information may result into pecuniary losses, has been kept confidential in accordance with guidelines issued by the Authority.
 - i. The Applicant has averred that the responding producers have not publicly reported their normal value and export price. Zeon has submitted that it is not required under the Rules or relevant Trade Notices to disclose its normal value and export price.

- j. As per Article 6.5.1 of Anti-Dumping Agreement, interested parties are required to provide non-confidential summaries. In exceptional circumstance, reasoning is required to be provided why summarization is not possible. No confidential summary provided regarding normal value data nor any reasoning why summarisation was not possible. The Russian side is deprived of the opportunity to assess the accuracy of calculation of normal value and dumping margin.

E.3. Examination by the Authority

24. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

25. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
26. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).
27. As regards disclosure of DGCI&S data, the Authority’s Trade Notice No. 7/2018 dated 15th March, 2018, prescribes the procedure for collecting DGCI&S data for domestic industry as well as for other interested parties. The interested parties, thus, had access to procure DGCI&S data by following the procedure prescribed as per the Trade Notice and defend their interests. The Authority, thus, notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across parties and investigations, equitable and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.
28. With regard to the submissions of interested parties regarding adequacy and accuracy of the application and questionnaire responses, the Authority notes that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after satisfaction that the application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the domestic industry

29. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
- The argument that the investigation is erroneous and violates the principles of natural justice is baseless and not supported with facts or evidence.
 - There is no explanation on why importers of the product sold by JSR Corporation paid full duty when concessional duty could have been claimed.
 - The raw materials are procured domestically by the producer, and the value addition is far more than prescribed.

- d. The only plausible explanation for the same is a compensatory arrangement between JSR and its importers. The exporter is hence, required to establish that the export price is reliable.
- e. The fact that full duty has been paid on imports is not disputed by the domestic industry. However, no justification has been given regarding why concessional duty was not availed.
- f. The Russian imports constitute 4% of the total imports of the subject goods into India in the POI. Hence, the same is above the de-minimis threshold of 3%.
- g. Article 5.2 of the ADA only requires the application to contain “such information as reasonably available to the applicant”. The Applicant has explained the inability to gather actual information for normal value in Russia.
- h. The opposing interested parties have not provided any incident or details to support their claim that no adequate evidence has been submitted by the domestic industry in their Application. The allegation is a mere assumption.
- i. The purpose of ADD is to prevent unfair trade practice which is in the interest of the Indian industry as a whole. Imposition of ADD would not restrict imports from the subject country/territory in any way and would not affect availability of the product to the consumers. The quantum of ADD is as per law and not excessive. It is imposed or extended only when the legal requirements are met. It is not for the domestic industry to justify how long it needs protection. It is for the exporter to justify how long they would resort to dumping. The recent finding by the Authority on imports of Acrylic Fibre is relied on.
- j. There is no bar in law for considering 9 months as POI. The only requirement is a reasoning in writing which has been provided in the present case. The initiation notification has provided reasons for considering 9 months as POI. There are more than 70 investigations by the DGTR which have 9 months as POI.
- k. Regarding the purchase of NBR from the Applicant, Imperial Waterproofing has not provided any instance where the same was of bad quality or any details to support their claim. The product being manufactured by the Applicant is used interchangeably with those imported by the consumers.

F.2. Submissions of other interested parties

30. The following miscellaneous submission have been made by other interested parties:

- a. The investigation is erroneous, without jurisdiction and in violation of principles of natural justice. The Applicant has not provided “sufficient evidence” of dumping, material injury and causal link required for initiation. The application has no legal or factual basis and contrary to published information. The allegations are based on estimates and assumptions. The Applicant has also failed to draw logical conclusions from data submitted.
- b. Article 5.3 of the ADA requires the Authorities to examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application. The WTO Panel in US-Softwood Lumber held that sufficient evidence means more than mere allegations or conjecture. As held in Guatemala-Cement II, an application satisfying Article 5.2 does not show there is sufficient evidence justifying initiation under Article 5.3. In Mexico-Steel pipes and tubes, Mexico’s argument that the mere fact that the investigation was initiated shows that the Authority has examined the sufficiency of evidence for initiation was rejected.
- c. The Applicant does not meet the requirements under Article 3.1 and Article 3.5 of the ADA.
- d. The domestic industry has submitted in the application that the Basic Customs Duty on imports of the subject goods from Japan, as stipulated by the India-Japan CEPA, is 1.80% in the POI against 10% for other countries. The import duty of 1.80% was used by the domestic industry for calculation of landed value and price undercutting. As per Article 29-30 of the India-Japan CEPA, the preferential rate can be claimed only when there is a 35% value addition on the product. For such sales, an EPA COO certificate is issued by the Japan Chamber of Commerce and Industry. A number of transactions of the subject goods exported to India by JSR Corporation through JTC Corporation and Kato Sansho Co., Ltd., did not meet the 35% value addition requirement and the importers paid 10% import duty on them. For the calculation of landed value and injury margin the actual Basic Customs Duty paid shall be used and not the nominal one used by the DI.
- e. There are no compensatory arrangements made between JSR Corporation and the importer or between the importer and their unrelated party. The importer filed the Questionnaire Response and sold all goods at a profitable margin. The argument of the domestic industry is baseless and made on hypothetical grounds.

- f. The selling price of JMF Synthetics for the subject goods is 24% higher than the domestic industry's price list. It is safe to assume that the domestic industry also provides discounts to customers based on payment and quantity, further lowering prices. The higher premium price is paid for NBR produced by JSR for critical applications, export products and to replace imported components.
- g. For the calculation of landed value and injury margin the actual Basic Customs Duty paid shall be used and not the nominal one used by the domestic industry.
- h. No grounds to continue the present investigation regarding the Russian imports and must terminate immediately.
- i. The Authority has adopted non-comparable and non-equivalent periods (full financial years, 15 months and 9 months). As per Application 2, performance parameters of DI for the POI covering 6 months (July to Dec 2019) which are annualised are compared with indicators for full financial years and with indicators for 15 months (April 2018-June 2019). It seems incorrect due to non-equivalence of periods. The enlargement of preceding financial year to 15 months is grossly illegal and devoid of any legal or logical basis. The injury period proposed by the Applicant for the purpose of injury assessment does not consist of complete three previous financial years. There exists gap between the injury period and POI (i.e. April to June 2019) which has been excluded for the POI without providing any reasons whatsoever. According to Trade Notice 2/2004, there should be no gap between the POI and previous financial years and the POI should start on 1st April. There is a provision for overlap of POI and previous financial year but that is not happening in the instant case.
- j. The Applicant has failed to justify any plausible reasons for proposing the POI to be 6 months or 9 months. The POI proposed and adopted, as well as the application/ post initiation submissions and initiation notification is in contravention of Trade Notice 2/2004 which provides that there should be no gap in the POI and previous financial years and the injury period should consist of POI and previous three financial years. Para 5.10 of DGTR Manual provides that POI should be a complete financial year.
- k. As per Article 5.8 of ADA, investigation shall be terminated if imports account for less than 3% of imports of the like product in the importing member. As per the Applicant's data, Russian imports hardly exceed 3% (3.98%) in the POI period July to December 2019 (6 months).
- l. The domestic industry has been protected by trade remedies in the form of ADD on NBR for over two decades and still continues to claim injury on account of imports. Further extension of existing duty will be in violation of the spirit of Article 11.1 of the ADA and Rule 23(1) of the Rules. The domestic industry is placing over reliance on trade remedial measures to thwart competition from imports and shield inefficiencies. Almost 93% of the total imports into India in the POI are made from countries attracting ADD or are subject to the present investigation.
- m. The imposition of definitive measures would significantly hamper imports on the domestic market, allowing the Domestic Industry to raise its prices, and thus unduly penalising domestic users.
- n. The EU is not subject to the anti-dumping measures imposed by the China on the PUC.
- o. No grounds to continue the present investigation regarding the Russian imports and must terminate immediately.
- p. Analysis of performance of the DI for a short period does not reflect the real performance of the company.
- q. The domestic capacity does not even cover half of domestic demand for NBR. Even if operating at full capacity, the production is inadequate. Hence, ADD will monopolize the domestic market and adversely impact user industries.
- r. The NBR produced by the Applicant is of poor quality and hence prevents them from producing quality grade and specialty grade of NBR PVC. The Indian rubber industry is hence deprived of good quality NBR PVC. The consistency of the domestically produced NBR is also not suitable for many applications especially automotive components. The domestic industry has very limited range of grades.
- s. NBR is purchased from Apcotex by domestic NBR-PVC manufacturers only as a stop-gap. Those purchased by Imperial was not only expensive but also of poor quality and a large part of the consignment was rejected. If ADD is imposed on NBR, Imperial's raw material cost will be affected while DI's NBR-PVC division enjoys low raw material costs due to captive raw material production. This will cripple MSME NBR-PVC manufactures.

- t. Increase in NBR prices will make automotive components expensive reducing competitiveness of domestic OEM suppliers. Since a large percentage of NBR is used in rice rollers, ADD would further harm the agricultural sector. Price hike in auto parts, rice rollers and LPG tubes affects government's schemes/plans to reduce inflation.

F.3. Examination by the Authority

31. The Authority has considered the views of interested parties. As regards the argument regarding different customs duty, the Authority has considered the actual customs duty paid on imports. The Authority sourced DGS data and has adopted the customs duty paid on the imports based on this data. Since the Authority has considered actual customs duty paid on imports, all other arguments in this regard are irrelevant.
32. As regards the argument of imports from Russia being de-minimus, it is noted that imports from Russia constitute 4.04% of the total imports into India.
33. With regard to the selection of 6 months POI in the petition and 9 months POI in the initiation notification, the Authority notes that it has been a consistent practice of the Authority to enhance the POI at the time of initiation to include the most recent data in those situations where it is found that the POI in the application is not the most recent period for which the data can be provided by the parties. This is consistent with law and practice. The Authority notes that the adoption of 9 months as POI is not inconsistent with the Rules, provided the Applicants substantiate the need for such a time period, and the same is accepted by the Authority. In this case, the Applicants substantiated the need for considering 6 months as the POI by providing reasons that the prices of the PUC has significantly declined after June 2019 and as a result of this decline in the prices, the performance of the domestic industry has declined significantly in the relevant period. The product was exported at a much higher price before July 2019. Thus, the inclusion of April-June 2019 would have implied inclusion of a period for which there is not an allegation of either dumping or injury. Considering the objective of the investigations and the fact that the initiation is based on an application, it would not be appropriate to fix an investigation period for which there is no allegation of dumping causing injury. It is further noted that the Rules have been amended vide Notification No. 9/2020-Customs(N.T.) dated 2nd February, 2020, wherein Rule 2(da) and Explanation to Rule 22 have been inserted incorporating the following provisions:

“the period of investigation shall,-

(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation.

(ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.”

After examining the facts of the case, the Authority considered it appropriate to select 9 months as POI.

34. With regard to the contention of the interested parties that comparison cannot be made with the 15-month period of previous year and 9 month POI, the Authority has considered the data separately for FY 2016-17, 2017-18, April, 2018-June 2019, and POI. Since the data for April, 2018-June, 2019 is for 15-month period and the data for POI is for a 9-month period, the Authority has considered the actual figures and appropriate annualised figures for the period. The Authority considered that once the data has been “annualised”, it adequately takes care of the fact that some periods are less than or more than 12 months. It is a consistent practice followed by the Authority.
35. With regard to the issue of continued duty raised by the interested parties, the Authority notes that there is no bar on the number of times a duty can be imposed or extended on a given product. If the legal requirement to extend ADD is met, only then the duty is extended to protect the interests of the domestic industry. However, the present investigation is an original investigation and there is no ADD on the product. The fact that there was a duty on some of the subject countries in the past and no duty now itself shows that the ADD is imposed only if the need for the same is established after an elaborate investigation.
36. It is noted that the purpose of an AD investigation is to examine whether the product has been dumped and whether such dumping has caused material injury to the Domestic Industry.
37. With regard to the submissions of interested parties regarding adequacy and accuracy of the application and questionnaire responses, the Authority notes that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after satisfaction that application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation.

38. As regards the argument that the NBR produced by the petitioner is of poor quality, it is noted that the argument by the interested parties is unsubstantiated. The fact that qualities may be different, does not imply that the imported product and the domestic product are not like articles.
39. As regards the argument of impact of ADD on the user industry, it is noted that the interested parties have not demonstrated how these prices of NBR have impacted the consumers. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how imposition of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the users have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. Further, even if it is considered that the imposition of ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods, it is noted that fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of imposition of anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by dumping practices, to prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
40. As regards PCN wise analysis, as stated above, the Authority does not consider it appropriate and necessary to undertake grade wise analysis in the facts and circumstances of the present case.
41. As regards the contention that the domestic industry cannot meet the demand for the product in the country, the Authority notes that the demand-supply gap in the country does not justify dumping of the product in the country, particularly when the same is causing injury to the domestic industry. The domestic industry has contended that they are suffering injury because of dumping in the country.
42. As regards the contention that imposition of ADD will adversely impact NBR-PVC manufacturers, the Authority notes that the two products are entirely different products. The mere fact that the domestic industry is making both NBR and the downstream product does not imply that imposition of duty shall grant any unfair advantage to the domestic industry, particularly when the measure is proposed to be restricted to injury margin.
43. As regards the contention that the increase in NBR prices will make automotive components expensive reducing competitiveness of domestic OEM suppliers, the Authority notes that no verifiable information and documents have been provided by interested parties. In fact, the Authority has prescribed questionnaires for the users where the Authority has prescribed pertinent information with regard to impact of the proposed measures on the downstream industry. It is seen that the no party has provided this information, nor any interested party has substantiated that the imposition of ADD shall not have significant adverse impact on auto components. Further, by their own admission, interested parties have contended that the large share of NBR is used in rice rollers. Thus, it is not established that the imposition of duty will not have any significant adverse impact on the consumers.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions of the domestic industry

44. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:
 - a. Efforts were made to get evidence of the price of subject goods in subject countries. However, normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in an appropriate third country for the reason that the relevant information is not publicly available and that the product is produced in different grades. Therefore, the Applicant has claimed consideration of normal value for subject countries on the basis of constructed cost of production with the addition of reasonable profit margins.
 - b. The Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
 - c. Since the Chinese producers are not entitled to market economy treatment, Para 7 of Annexure I may be followed to determine the normal value.
 - d. Since the normal value could not be determined on the price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available, the Applicant claims the determination of normal value for China on the basis of price payable in India duly adjusted.

- e. For the determination of Normal Value in China PR, the Applicant has taken the cost of production of the domestic industry, duly adjusted, and after adding selling, general, and administrative expenses and reasonable profit margin.
- f. The Applicants have taken the CIF price and adjusted the same for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and inland freight to determine the export price. An additional adjustment of VAT has been made in case of China PR.
- g. The dumping margin is positive and significant for each of the subject countries.
- h. None of the producers/exporters from China has responded to the questionnaire issued by the Authority. All Chinese producers should hence, be considered non-cooperative as per Rule 6(8). The Authority should proceed with the principles of non-cooperation.
- i. The Applicant could not get information on sale price when destined for consumption in Russia because no information is available in the public domain regarding the cost and price of the Russian companies manufacturing the PUC.
- j. Imports of NBR were subject to ADD previously from Japan in 1995, later extended in 2001. There were also preliminary duties imposed on imports from EU (except Germany), Mexico and Brazil in 2005. The Authority also recently recommended continuation of ADD on imports of the subject goods from Korea RP.
- k. The producers/exporters from the subject countries have been exporting the PUC to India for past some time. The producers from Japan and EU were earlier found to be dumping in India too.
- l. Following the imposition of ADD by China on exports from Korea and Japan, the imports from those sources have been aggressive in the Indian market and the prices of imports declined significantly, far beyond the decline in input costs. The same trend was seen from the other countries.
- m. The domestic industry has segregated the imports exporter-wise based on the description of the PUC and it is seen that each of the responding exporters are exporting the PUC to India at dumped and injurious prices.
- n. There is a huge difference in the dumping margin between Zeon and JSR. This difference is wholly unexplained and further establishes the unreliability of the export price.
- o. The responding producers/exporters have several related parties engaged in the PUC but has not cooperated with the present investigation. This results in grossly incomplete information with the Authority. The non-cooperative related parties include Arlanxeo-TSRC (Nan-tong) Chemical Industrial Co. Ltd. (related to Arlanxeo Emulsion Rubber France S.A.S.), Elastomix Co. Ltd. (related to JSR Group), and Zeon India Pvt. Ltd. (related to Zeon Group). Such producers/exporters should be treated non-cooperative and denied individual dumping margins.
- p. There is nothing in the questionnaire response filed by the JSR Group which establishes the reliability of their export price. The Authority is requested to investigate the possibility of compensatory arrangement and reject the export price of the company.
- q. The claim of Zeon Group that Zeon India Pvt. Ltd. is not involved in the sales transactions/channel of sales of the PUC in India is misleading. According to a press release of Zeon, Japan, Zeon India Pvt. Ltd. is involved in handling the entire range of Zeon Group's businesses in India. The business activity mentions "import, sales, and marketing of Zeon Group products, including synthetic rubber". Non-cooperation from Zeon India amounts to gross violation of the investigation process and the Authority is requested to find the responding producer/exporter non-cooperative and deny individual dumping margins.

G.2. Submissions of other interested parties

- 45. The following submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin:
 - a. No explanation has been provided as to why the Applicant failed to collect information on normal value and what these "efforts" included. There is no justification in ADA for accepting the application which includes data on constructed value in India instead of constructed value in Russia. No information on how estimates in range for normal value for Russia was calculated and hence no comments can be made on correctness. Of the various methods for calculating normal value, there is no explanation provided on why certain methodologies were not possible.

- b. It appears that the Applicant used the same methodology to establish the constructed normal value in Russia and China. The Applicant found support in Article 15 of China's Accession Protocol and relevant Indian legislation. However, the Authority had no right to accept such calculations in case of Russia and Russia's WTO accession protocol includes no similar commitments.
- c. No evidence of dumping collected by the Applicant can be accepted unless it conforms to Article 2 of the ADA.
- d. Neither an NCV summary of the information regarding normal value calculation nor an explanation why summarization is not possible has been provided.
- e. The data placed on record by the Producer must be considered for the purposes of determining normal value, export price and dumping margin.
- f. The Applicant has not updated the margin of dumping for the updated POI in the updated information filed.
- g. The cost of major raw materials i.e. ACN and BD, differs significantly in different markets and the prevailing cost of ACN and BD in the EU ought to have been considered for the purpose of the determining the normal value for respective subject countries. They are published by reputed publications and are available in public domain.
- h. The prevailing cost of raw materials, i.e. ACN and BD in Japan ought to be considered as they differ significantly in different markets and the prices are published in various publications such as ICIS and readily available in public domain.
- i. The dumping margin is inaccurate and misleading.
- j. Elastomix Co. Ltd, is an end user of subject goods in Japan. Elastomix Co. Ltd. has sourced the subject goods from JSR Corporation, Japan but has used the same for manufacture of Master Batch (non-PUC). As per guidelines issues by DGTR there is no prescribed questionnaire format to be filed by related end-user in exporting country and hence no questionnaire is filed by Elastomix Co. Ltd.
- k. The producer and ARLANXEO-TSRC Chemical Industrial Co. Ltd. China are two distinct legal entities and operate independently. Therefore, it is irrelevant whether ARLANXEO-TSRC Chemical Industrial Co. Ltd. has participated in the present investigation or not. The producer has fully participated in the present investigation and all facts regarding alleged dumping and injury must be determined basis the facts made available on record by the Producer.
- l. Individual dumping margin should be given to Zeon Corporation and its exporters.
- m. The data provided by the producer must be considered for determination of normal value, export price and dumping margin.
- n. Dumping margin calculation and injury assessment to be based on PCN rather than average-to-average comparison as it is ill-suited to ensure price comparability. Reference is made to Article 3(1) of AD Agreement which requires determination based on positive evidence involving an objective examination.
- o. The Applicant themselves has acknowledged different grades and specific usage for customers. However, the Authority has not called for PCN-wise information.
- p. The domestic industry has not disclosed the methodology used to state that there is a huge difference in the dumping margin of Zeon and JSR. It is unsubstantiated since it does not appear to be based on reliable information on the producers' normal value and post-factory expenses.
- q. Zeon India Pvt. Ltd. is not involved in the sales transactions/channel of sales of the PUC in India during the POI for the Zeon Group. All entities involved have filed responses. The claim of the domestic industry is baseless.
- r. There is no reason/occasion for the foreign suppliers to resort to dumping to meet the Indian demand. The CESTAT decision in *DSM Idemitsu Limited v. Designated Authority* is relied on.

G.3. Examination by the Authority

46. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*

ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

47. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

- i. M/s Arlanxeo Emulsion Rubber France S.A.S., France;(Arlanxeo)
- ii. M/s Goko Trading Co. Ltd., Japan;
- iii. M/s JSR Corporation, Japan;
- iv. M/s JSR Trading Co. Ltd., Japan;
- v. M/s JTC Corporation, Japan;
- vi. M/s Kato Sansho Co. Ltd., Japan;
- vii. M/s JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant, Russia;
- viii. M/s PJSC Sibur Holding, Russia
- ix. M/s Sibur International GmbH, Austria;
- x. M/s Tokyo Zairyo Co. Ltd., Japan;
- xi. M/s Zeon Asia Pvt. Ltd., Singapore;
- xii. M/s Zeon Corporation, Japan (ZC).

48. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries have been determined as below.

49. As regards the contention that the Applicant has not provided information on actual domestic price, the Authority notes that interested parties have not shown existence of any publicly available information which could have been used to establish normal value. The Authority notes that the domestic industry is required to provide information as is reasonably and publicly available to the parties.

50. As regards normal value for Russia, it is clarified that the claim of the Applicant is based on its estimates of cost of production in Russia based on facts available to the domestic industry. However, in these final findings, the normal value has been determined based on the information submitted by cooperating producer and exporter.

51. The Authority has considered prevailing raw material prices in the respective countries, wherever the same was available, for the purpose of assessment of normal value in subject countries.

G.4 Determination of normal value

52. As regards the argument of interested parties concerning normal value determination, it is clarified that the normal value for the purposes of the present findings is determined on the basis of the response filed by the responding producers in the subject countries, wherever sufficient information has been made available by the foreign producers. As regards evidence adopted at the stage of initiation, the Authority considers that evidence of dumping in the application is based on facts available. The interested parties have not shown that evidence of normal value on the basis of actual selling price in subject countries was publicly available.

European Union**Arlanxeo Emulsion Rubber France S.A.S., France****Normal Value**

53. Based on the data filed by Arlanxeo Emulsion Rubber France S.A.S. (Arlanxeo), the cooperating producer and exporter from European Union, it is noted that during the POI, domestic sales have been made to both unaffiliated customers and affiliated customer. The questionnaire response filed by Arlanxeo was examined and verified to the extent necessary and was considered for the purpose of determining the normal value. The Authority notes that Arlanxeo sold *** MT of the PUC in the domestic market. The domestic sales found to be in sufficient volumes when compared with exports to India.
54. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test (OCT) to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. After conducting the OCT, the Authority has considered the profitable sales made in the domestic market for the determination of the normal value.
55. Arlanxeo has claimed adjustments on account of discounts, shipping expenses, commission, credit cost and bank charges. The Authority has accepted the adjustments claimed, after desk verification. The normal value at ex-factory level for Arlanxeo has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for Non-Cooperative exporters in the EU

56. The Authority notes that no other exporter/producer from the EU has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in the EU, the Authority determines the normal value on the basis of facts available. The normal value so determined is given in the dumping margin table below.

Japan**M/s JSR Corporation (Producer/Exporter), M/s JTC Corporation (Exporter), M/s JSR Trading Co., Ltd., (Exporter) M/s Kato Sansho Co., Ltd., (Exporter) M/s Goko Trading Co., Ltd., (Domestic Seller) M/s JMF Synthetics India Pvt Ltd., (Importer) M/s Olmec Inventures (Importer) M/s Vista Business Ventures LLP(Importer)**

57. It is noted that M/s JSR Corporation ("JSR") is a Limited Liability Company and is registered under the Companies Act of Japan. JSR is a producer and exporter of subject goods from Japan.

JSR Corporation, Japan**Normal Value**

58. During the POI, JSR sold (*** MT) of the subject goods having invoice value (*** JYP) in the domestic market to related and unrelated parties. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit-making transactions are more than 80% then the Authority considers all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. In this case, based on the ordinary course of trade test, only profit-making domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80%.
59. JSR has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost, operational expense, freight insurance, miscellaneous expenses for sales and warehousing expenses, have been adjusted after desk verification for arriving at normal value. Accordingly, the normal value for JSR has been determined and is mentioned in the dumping margin table.

Zeon Corporation, (producer), Tokyo Zairyo Co., Ltd, Japan ("TZ"), Zeon Asia Pte Ltd, Singapore ("ZA"), Tokyo Zairyo India Pvt. Ltd ("TZIN")**Normal value**

60. Based on the data filed by the Zeon Corporation ("ZC"), the cooperating producer from Japan, it is noted that during the POI, domestic sales have been made to affiliated / unaffiliated customers directly or through affiliated trader i.e. Tokyo Zairyo Co., Ltd, Japan ("TZ"). The questionnaire response filed by ZC and its

related trader were examined and verified to the extent necessary and ZC's questionnaire response was considered for the purpose of determining the normal value. ZC has provided transaction wise details of sales made in home market in its Questionnaire Response. Detailed examination of the response was carried out on desk study basis.

61. The Authority notes that ZC sold ***MT of the PUC in the domestic market. The domestic sales are found to be in sufficient volumes when compared with exports to India.
62. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since the profit-making transactions were more than 80%, the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value.
63. ZC has claimed adjustments on account of inland freight, storage cost, packing cost, warehouse handling charges, credit cost and other expenses / adjustments, and the same have been allowed, after desk verification. The profitability of the related trader (TZ) was also examined with regard to domestic sales. The normal value at ex-factory level for ZC has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for Non-Cooperative exporters in Japan

64. The Authority notes that no other exporter/producer from Japan has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in Japan, the Authority determines the normal value on the basis of facts available. The normal value so determined is given in the dumping margin table below.

Russia

JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant

Normal value

65. From the data filed by the M/s JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant (JSC), the cooperating producer and exporter from Russia, it is noted that JSC has produced the subject goods and exported the subject goods to India through their related party, Sibur International GmbH. It is noted that JSC has sold *** MT of subject goods in the domestic market. The questionnaire response has been considered for the purpose of determining the normal value.
66. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since all the transactions are profit-making, the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value.
67. The producer has claimed adjustments on account of inland transportation, commission, and credit cost which have been considered. Accordingly, weighted average normal value for JSC has been determined. The Normal Value so determined is mentioned in the dumping margin Table below.

Normal Value for Non-Cooperative exporters in Russia

68. The Authority notes that no other exporter/producer from Russia has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in Russia, the Authority determines the normal value on the basis of facts available. The normal value so determined is given in the dumping margin table below.

Determination of normal value in China PR

Market Economy Status for Chinese Producers

69. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

70. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11th December, 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

71. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

Normal Value for all Producers in China PR

72. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

73. The Authority notes that the prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant or an interested party, nor is available with the Authority from any public source. The Authority notes that the Authority is required to select an appropriate country on the basis of information and evidence brought on record by interested parties. It is also noted that the interested parties have not

provided any verifiable information which could have been adopted by the Authority. Thus, the Authority is of the opinion that the only option available is to determine normal value considering price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. The normal value so determined is given below in dumping margin table.

G.5. Determination of export price

EU

Arlanxeo Emulsion Rubber France S.A.S., France and ARL - Plastrub SA

74. The Authority notes that Arlanxeo has exported a quantity of ***MT, directly to Indian customers and through a trader namely M/s Plastrub SA, Switzerland. The Authority notes that M/s Plastrub SA has not filed a separate questionnaire response, and accounts for exports of *** MT out of the total exports listed above. The Authority notes that the cooperating entities account for ***% of the total sales made by Arlanxeo to India, whereby the quantity reported by Arlanxeo has been adopted by the Authority as exports to India by Arlanxeo for determining the dumping and injury margin.
75. The Authority, while calculating the export price for the producer has considered desk verified data of Arlanxeo. Arlanxeo claimed adjustment on account of discounts, shipping cost, commission, credit cost, bank charges and the same have been allowed.
76. Accordingly, the export price for Arlanxeo has been determined based on the weighted average export price to India price of the all channels of exports to India i.e. cooperative as well as non-cooperative, and the same is shown in the dumping margin table below.

Non-cooperative Exporters from the EU

77. Export price in respect of any other exporters from the EU has been determined, pending further investigation, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S and the questionnaire response of the producer and exporters.

JSR Corporation, Japan, JSR Trading Co. Ltd., JTC Corporation, and Kato Sansho Co. Ltd.

78. JSR has exported subject goods to India through two traders namely M/s JTC Corporation, Japan (***MT) and M/s JSR Trading Co., Ltd., Japan (***MT). It is noted that M/s JTC Corporation, Japan, has exported (***MT) to unrelated parties in India and (***MT) to related importer in India namely M/s JMF Synthetics India Pvt Ltd. M/s JTC Corporation, Japan, has also exported (***MT) of subject goods to India through an unrelated exporter namely M/s Kato Sansho Co., Ltd.
79. JSR has exported (***MT) to India through an unrelated trader namely M/s Bando Trading Co., Ltd. M/s JSR Corporation, Japan, has filed the questionnaire response. Separate Questionnaire responses have been filed by its unrelated/related trading companies, namely M/s JTC Corporation, Japan, M/s Kato Sansho Co., Ltd., and M/s JSR Trading Co., Ltd., Japan. It is further noted M/s Bando Trading Co., Ltd., has not filed its questionnaire response with the Authority, hence for the M/s Bando Trading Co., Ltd., exports, the Authority has considered the best available information to arrive at ex-factory export price.
80. Since, the volume of exports by producer through its unrelated cooperating traders who have filed response before the Authority are considered substantial and are more than **%, the information submitted by producer and cooperating traders have been taken into account for arriving at the export price. Accordingly, the export price has been determined based on the weighted average export price of all channels of exports to India i.e. cooperative as well as non-cooperative, and the same is shown in the dumping margin table below
81. Adjustments have been allowed on account of inland freight, credit cost, operational expense, freight insurance, miscellaneous expenses for sales and warehousing expenses. The net export price after these adjustments is given in the dumping margin table.

Zeon Corporation, Japan, Tokyo Zairyo Co. Ltd., Japan and Zeon Asia Pte. Ltd., Japan

82. The Authority notes that during the POI, ZC has exported a quantity of ***MT through its related trader, TZ. TZ sold the PUC to India directly to its related importer, i.e., Tokyo Zairyo India Pvt. Ltd (“TZIN”) as well as through a related trader, Zeon Asia Pte Ltd, Singapore (“ZA”), who in turn sold the PUC to unaffiliated Indian customers and to the affiliated importer, TZIN. Additionally, ZA also sold the material to an unaffiliated trading entity INVICT (Singapore) Pte. Ltd, which has not filed its questionnaire response. The Authority notes that the cooperating entities account for over **% of the total sales made by ZC to India, and dumping margin has been determined taking into account information submitted by the cooperating producer and exporters, and desk verified to the extent feasible. For the quantity of exports to India where the chain of producers and

exporters of subject goods to Indian customers is not complete, the export price and landed value has been determined on the basis of facts available.

83. Adjustments on account of shipping cost, ocean insurance, port handling charges, inland freight, storage cost, packing cost, warehouse handling charges, bank charges and credit cost have been claimed and the same have been allowed. The Authority also examined the responses of the exporters and adjustments have also been made to the export price to incorporate the losses incurred by trading entities (wherever applicable).
84. Accordingly, the export price for ZC has been determined based on the weighted average export price of the all channels of exports to India i.e. cooperative as well as non-cooperative, and the same is shown in the dumping margin table below.

Non-cooperative Exporters from Japan

85. The export price in respect of any other exporters from Japan has been determined, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S and the questionnaire response of the producer and exporters.

JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant, Russia and SIBUR International GmbH

86. In the exporters' questionnaire response, it is noted that during the POI, JSC has exported ***MT to Indian customers. Out of this quantity, they have shipped ***MT from their warehouse and remaining ***MT directly from India. The Authority has allowed the adjustment as claimed by the exporter on account of ocean freight, inland freight, auto transport, other transportation expenses, warehousing charges, credit cost, loading and custom clearance charges after due verification. Accordingly, the export price determined is provided in the dumping margin Table below.

Non-cooperative Exporters from Russia

87. The export price for the non-responding producers/exporters from Russia has been determined as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S and the questionnaire response of the producer and exporters.

Export Price for China PR

88. None of the exporter/producer from China PR has filed questionnaire response. Therefore, the Authority considers that the producers/exporters from China PR have preferred non-cooperation. Export price for all the exporters from China PR has been determined based on the imports reported in the DGCI&S, after due adjustments. Accordingly, the export price determined is provided in the dumping margin Table below.

G.6 Determination of dumping margin

89. It is noted that in the subject investigation many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been the consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and, thus, to establish one single dumping margin for them. This is, in particular, because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of anti-dumping measures, thus, rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.
90. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters.
91. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject countries have been determined as follows:

Producer	NV/ CNV (US\$/MT)	NEP (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range %)
EU					
Arlanexo Emulsion Rubber France S.A.S.	***	***	***	***	110-120
Other producers/exporters from	***	***	***	***	160-170

EU					
Japan					
JSR Corporation	***	***	***	***	70-80
Zeon Corporation	***	***	***	***	110-120
Other producers/exporters from Japan	***	***	***	***	120-130
Russia					
JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant	***	***	***	***	50-60
Other producers/exporters from Russia	***	***	***	***	60-70
China PR					
All producers/exporters from China PR	***	***	***	***	40-50

H. INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions of the domestic industry

92. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:

- a. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the instant case. According to Annexure-II para (iii) of the AD Rules, where more than one country is being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports. The conditions required for the same are met in the instant case. The Authority is requested to assess injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries.
- b. Imports from Russia is required to be cumulatively assessed with other subject countries. The Russian imports are undercutting and underselling the prices of the domestic industry. The dumping margin for the Russian imports is also positive, which establishes injury to the domestic industry as a result of the Russian imports.
- c. Demand for the PUC increased till April 2018-June 2019 and declined in the POI due to slowdown in the auto industry. The demand has increased in the POI compared to the base year.
- d. The imports from the subject countries, in absolute terms as well as in relation to production and consumption, first declined and thereafter, increased significantly in the POI.
- e. Subject imports constitute 45% of the total imports in POI. The share declined in 2017-18 but increased in April 2018-June 2019 and further increased in the POI.
- f. Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry and are depressing the prices of the Domestic Industry. The weighted average import price is lower than the selling price of the Domestic Industry.
- g. The steep decline in the import prices of the PUC during the POI resulted in significant decline in the selling price of the domestic industry.
- h. Production and capacity utilization of the Domestic Industry increased till April 2018-June 2019 but declined significantly in the POI. The fall in demand could not have contributed to the same since the capacity of the domestic industry in the POI stood at 12,500 MT while the established demand was 42,000 MT during the same period.
- i. The capacity of the domestic industry increased till 2017-18 and remained same thereafter but declined during POI.
- j. The domestic sales of the domestic industry increased till April 2018-June 2019 but declined significantly thereafter in the POI.

- k. The market share of the domestic industry increased till April 2018-June 2019 but declined in the POI while the market share of subject imports has increased.
- l. The inventories of the domestic industry are piling up.
- m. Profitability, cash profits, PBIT and return on capital employed were all increasing till April 2018-June 2019 but declined significantly in the POI.
- n. Growth of the domestic industry has been negative in the POI in almost all macro injury parameters.
- o. The Applicant was not suffering injury and was earning reasonable returns on investments till 2018-19 since imports were made at a fair price. However, there was a decline in price of imports from Korea and Japan after imposition of ADD on them by China.
- p. Annualization of data for intervals which do not constitute 12-months makes an objective assessment of injury parameters possible. The same is consistent with the practice of the Authority. The findings of the Authority in “Digital Offset Printing Plates” from China PR, Japan, Korea RP, Taiwan and Vietnam are relied on where the same method was adopted.
- q. The imports from EU and China are competing in the Indian market and used by domestic customers interchangeably. Hence, it cannot be said that the conditions of competition are different.
- r. 61% of the imports from Japan are undercutting the prices of the domestic industry. Price undercutting should be determined only considering those import transactions whose landed price is below the selling price of the domestic industry. The concern of the domestic industry is against injurious imports and not against non-injurious imports. The CESTAT’s reference to the decision in Kothari Sugars & Chemicals Limited case in *Honest Enterprises Ltd. v. Designated Authority* is relied on.
- s. The decline in demand has already made the domestic industry vulnerable and the dumped imports have aggravated the already adverse situation of the domestic industry.
- t. Due to the inevitability of imports, the domestic industry is forced to set its prices considering the prices offered by foreign suppliers and disregard cost considerations.
- u. The production related issues raised by the other interested parties are true for all production facilities around the globe and not specific to the Applicant. The fact that the Applicant was earning reasonable profits till 2018-19 shows that the arguments raised by the opposing parties are false and baseless.
- v. There is no inefficiency in the production of the domestic industry.
- w. The import price is below the cost of domestic industry and had nothing to do with the prices of the raw materials.
- x. Non-continuation of ADD on imports from Korea by the central government does not mean dumping from the subject countries should be allowed to be continued and domestic industry cannot seek imposition of ADD on the same.
- y. The Ministry of Finance has not provided any reasoning for non-imposition of duties and no assumption on the same should be made. The POI and the subject country(ies) in both the cases are different.
- z. The import prices from the present subject countries were lower than the import price from Korea in a large number of instances in the POI. The volumes have related more or less the same in case of Korea, whereas the same for the subject countries have increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
- aa. The ADD were in existence throughout the POI against imports from Korea when the domestic industry claimed injury. This shows the injury to the DI is due to dumped imports from the subject countries.
- bb. The exporters themselves have accepted that NBR prices were declining whereas butadiene prices were increasing. The reason why the domestic industry’s NBR prices were not able to catch up with the butadiene prices is because of import prices of NBR.
- cc. The Applicant has no objection to a trend analysis of the domestic industry’s cost of goods sold and butadiene prices in the POI as the same will show their inability to move NBR prices in tandem with raw material prices due to imports.
- dd. No company will incur losses to outlast its competitor.

- ee. The Annual Report of the Applicant talks about dumping also and the opposing interested parties have relied on selective reading of the document.
- ff. The commissioning of the power plant was to ensure continued power supply.
- gg. The NBR capacity expansion is put on hold by the Board due to dumping. The public statements in the Annual Report does not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to the injury to the domestic industry.
- hh. Increase in fixed assets is due to increase in CPP (power plant).
- ii. The lockdown was in the last leg of the POI. In any case, the domestic industry is required to be seen as it is and not in ideal conditions.
- jj. The presumption of the opposing interested parties that dumping should be the sole factor causing injury to the domestic industry is legally incorrect.
- kk. The term “sources” in Article 9.2 of the ADA refers to individual exporters or producers and not a country as a whole. The Appellate Body report in EC – Fasteners (China) is relied on. Therefore, there is no discriminatory treatment against exporters in the subject countries.
- ll. The reliance of the opposing parties on US – Denial of MFN treatment is misplaced since it pertains to CVD investigations. Reliance is placed on Appellate Body report in EC – Fasteners.

H.2. Submissions of other interested parties

93. The following submissions have been made by the producer/ exporter/ other interested parties with regard to Injury and causal link are as follows
- a. The price decline is due to just a cyclical fluctuation and raw material decline. The upward trend of prices has begun from July-August 2020. Injury to the Applicant is due to a number of other factors, and not due to dumping. Other factors that have caused injury to the domestic industry includes butadiene price trends prices, imports from Korea, outdated technology, raw material storage issues, poor effluent treatment facilities, remote location of the plant, decline in demand for the product, increase in imports of other non-subject countries, recent crash of the oil prices, dependency on import sources for availability of major raw materials, slowdown in the auto sector, increase in latex production by the domestic industry, failure of the domestic industry to complete capacity expansion, lockdown and resultant logistical hurdles faced leading to increase in the inventories at the end of the POI, poor functioning of the NBR market and increase in captive consumption by the domestic industry.
 - b. Change in product mix of the domestic industry has resulted in decline in net realizable value.
 - c. Domestic industry has undergone restructuring by acquisition and its NBR business is unstable.
 - d. The quality and consistency of NBR manufactured in India is not up to international standards.
 - e. There is a significant improvement in performance of the domestic industry as evidenced by increase in sales, production, capacity utilization, market share, inventory (as no of days of production), capital employed and productivity, etc. Slight decreases in the performance of the Applicant (production, capacity utilisation, etc.) coincide with decrease in imports and share of Russian and EU products in Indian market. Export performance of the domestic industry has improved. There is no price suppression or depression. The decline in profitability is artificial based on short period of POI when the NBR price trend has not caught up with RM prices. A 12-month POI would show stable performance by the Applicant.
 - f. There is no relative increase in import volumes from the subject countries. Market share of subject countries increased mainly due to increase in Chinese imports.
 - g. The methodology proposed by the Applicant (i.e. considering only the positive price undercutting transactions) has been rejected by the Authority in the past investigations and should not be allowed.
 - h. Imposition of ADD will affect prices of auto parts, rice rollers and LPG tubes. Further, it will hamper user's ability to produce quality goods for both domestic and international markets.
 - i. The Applicant has limited capacity sufficient to meet only 30% domestic demand for NBR.
 - j. Values reported in the application and post-initiation submissions have been incorrectly indexed for April 2018-June 2019, April 2018-June 2019, and POI. It is not plausible for indexed values of POI and POI (A) to be the same when the duration of the two periods is different. The approach adopted by the domestic industry is incorrect and gives a misleading picture and prevent parties from making effective comments.

- k. Injury due to Korean imports is unaddressed and cannot be attributed to subject countries and Russia in particular. Recommendation/imposition of duties is discriminatory and unsustainable under Rule 19 of Customs Tariff Act and Article 9.2 of the ADA. Therefore, investigation should be terminated and the same would be a violation of India's MFN obligation. The WTO Panel in US – Denial of MFN treatment as to non-rubber footwear from Brazil held in the context of CVD investigation that Article I:1 of the GATT prohibits parties from providing an advantage to a product originating from one country and denying the same to like products originating from other countries. In EU – Footwear (China), it was held that rules and formalities applied in ADD investigation falls within the scope of Article I:1 of the GATT. The Second Report of the Group of Experts on anti-dumping and countervailing duties in 1960 also emphasized on the non-discriminatory application of ADD. The reference of the domestic industry to the polypropylene case is misleading. The Authority should consider how Korean imports are not causing injury if the present imports are causing injury.
- l. The Domestic Industry intentionally concealed the fact that the Central Government did not consider it a fit case to continue ADD, despite Korea being the major exporter of the subject goods to India.
- m. Zeon has fully cooperated and submitted questionnaires along with its exporters within timelines, and therefore, individual margin should be calculated for Zeon and its corresponding exporters, and lesser duty rule is to be applied to determine duty rate, if any.
- n. Interim duties are not liable to be imposed in present investigation since imports from subject countries have decreased over injury period and the Applicant has to demonstrate a link between its poor performance and subject imports.
- o. The domestic industry has concealed information regarding the production capacity and the reason behind the same needs to be investigated.
- p. There is no causal link between dumping of the product and injury to the domestic industry.
- q. Russian products differ from the products from the countries in question due to the counter directional trends in its supplies and, therefore, cumulative assessment should not be made.
- r. There is no price undercutting from Japan.
- s. There is no increase in Russian and EU imports.
- t. The conditions of competition between the imported products are not comparable and EU imports should not be cumulated with other countries. There is a substantial difference between EU and China with regard to volume and price. Price of EU imports is 13% higher than that of China and 10% higher than that of Russia. While volume of EU imports declined 18%, those of China increased 1153%. The Applicant has reported a significant difference in price undercutting by different countries. On a separate analysis, it is clear that EU imports could not have caused injury to the domestic industry.
- u. NBR prices in India moved with RM prices, namely butadiene. The price of Russian imports moved in accordance with butadiene price movement. Russian imports did not have any impact on the prices of the Applicant.
- v. The Applicants themselves have reported a positive performance in the media and admitted that losses incurred in the NBR segment are temporary (because of the arbitrage in the raw material prices in the European market and Indian market) and that the Company has done well in the last quarter of 2019. The Domestic Industry has also had plans to expand its capacity significantly. The company has launched a NBR carboxy latex plan in Q4 FY18. The company is now in the process of commissioning a captive power plant which is expected to save power cost at its NBR plant. The company is also working on a debottlenecking project which is expected to be completed in Q1 FY21 which will increase production capacity to about 20,000 metric tonne per annum and will further help reduce the operational costs.
- w. There exists anomaly in the data. There has been capacity addition in 2017-18. However, the net fixed assets declined in the same period, and depreciation and amortization expenses witnessed a significant increase of 60 indexed points. Further, during the POI, when there have been no capacity additions, the net fixed assets have more than doubled (i.e. from 97 indexed points in April 2018 to June 2019 (A) to 239 indexed points in the POI). Increase in fixed assets and capacity expansion has not resulted in increase in capacity, and must not be considered to allow ROCE while computing NIP.
- x. The Applicant also captively consumes the PUC for its downstream product portfolio. The Authority is requested to review and verify in detail the transfer price considered by the Applicant and appropriately allocate the costs and capital assets on a rational basis.

- y. Since multiple products are produced at Valia plant, the same is to be considered for determining NIP. The Applicant must not be allowed to excessively profit (at company level) while claiming injury on the PUC on account of imports from subject countries. The Authority must also examine: (i) whether the production line used by the Applicant is same for PUC and downstream products made by PVC; (ii) the volume of PUC and NPUC produced through the production line; and (iii) whether the Applicant is deliberately producing more non-PUC because of higher profitability.
- z. Domestic industry has been protected for 20 years. No injury can still be claimed due to imports.
- aa. The facts and circumstances in Digital Offset Printing Plates is completely different and the Authority had good reasons to ignore a specific quarter from the POI.

H.3. Examination by the Authority

- 94. The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
- 95. As regards the argument of imposition of ADD against subject countries and non imposition of ADD against imports from Korea is violation of India's MFN obligation, it is noted that the term "sources" in Article 9.2 of AD Agreement is referring to individual exporters or producers, and not to the country as a whole (Appellate body report in EC Fasteners). Therefore, there is no discriminating treatment against exporters in subject countries.
- 96. Annexure-II para (iii) of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. A cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products
- 97. The Authority notes that:
 - a. The subject good are being dumped into India from subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than de minimis limits prescribed under the Rules.
 - b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - c. Cumulative assessments of the effects of imports are appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted that the consumers who are buying from the domestic industry are also importing from amongst the subject countries.
- 98. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry.
- 99. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of all the interested parties with regard to injury to the Domestic Industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 100. The Authority notes that the decline in NBR price is far steeper than decline in cost of production and costs on account of raw materials. In fact, the argument of the interested parties themselves implies that the decline in price of the product was far steeper than the decline in raw material prices. The contention that the prices have started increasing from July-Aug 2020 is not relevant to decide the present investigation as the authority is required to consider the parameters prevailing during POI.
- 101. The interested parties have contended that there are a number of other factors which are responsible for causing injury to the domestic industry. A number of factors have been identified by the interested parties. The Authority has considered various factors identified by the interested parties and holds as follows.

- a. The Authority notes that the rule does not prescribe that the dumping of the product should be the sole cause of injury to the domestic industry. The domestic industry might be suffering injury even due to other factors. What is required to be examined is that if any other factors exist that could break the causal link between the dumped imports from subject countries and their contribution to injury to domestic industry.
- b. A number of factors identified by the Authority such as alleged outdated technology, raw material storage, poor effluent treatment facilities, remote location of the plant, dependency on import sources for availability of major raw materials, are those factors which were prevalent throughout the injury period. The Authority notes that none of the interested parties have quantified the impact of these factors, nor demonstrated that the domestic industry in fact suffers on these account. In any case, it is seen that the domestic industry was in a reasonably good profits situation over the injury period, with the sole exception of the POI. The domestic industry faced very significant decline in profits in POI, when the profitability of the domestic industry declined significantly. This decline in profits is not because of these other factors identified by the interested parties. The Authority considers that it is quite possible that the domestic industry is operating in a situation much different from foreign producers. However, as held by the CESTAT in the matter of M/s. Nippon Zeon Co. Ltd., Japan & Others v. Designated Authority relating to the very same product, the authority is required to consider the domestic industry as it exists and not in ideal condition. The Tribunal has taken the view that while imposing anti-dumping duty the position that has to be considered is not in the context of ideal conditions but in the specific circumstances of the domestic industry.
- c. Since the Authority has determined price suppression/depression and injury parameters considering actual butadiene price paid by the domestic industry, the Authority notes that the actual butadiene price trends of the domestic industry have been considered while determining injury to the domestic industry.
- d. As regards recent crash of oil prices, the Authority notes that the raw material involved in the production of PUC is acrylonitrile and butadiene and the costs on account of the same alone are relevant for the present purposes. These costs have been considered on the basis of records maintained by the domestic industry. While it is possible that the price of acrylonitrile and butadiene might be impacted due to oil prices, the Authority is required to consider the consumption price of acrylonitrile and butadiene and not the prevailing prices of crude oil. Thus, the crude oil price movements are not relevant to the present investigations.
- e. As regards slowdown in auto sector, the Authority notes that the performance of the domestic industry has shown significant decline in the POI when demand for PUC has shown a significant increase. While imports from subject countries increased by 67%, sale of the domestic industry declined 19% in a situation where demand has increased by 30%. Thus, the injury data considered for the POI is not impacted by possible decline in the demand for the product or possible recession in auto sector.
- f. As regards the failure of the domestic industry to complete capacity expansion, the Authority notes that the injury to the domestic industry has been determined on the basis of past injury period and therefore the same could not have been impacted by non-completion of future capacity expansion. In fact, the domestic industry contended that it has been forced to put its capacity expansion on hold because of dumping in the country. In any case, whereas the injury is based on past period, the expansion is based on future period.
- g. As regards possible poor functioning of the NBR market, it is noted that the performance of the domestic industry was largely improving till April 2018-June 2019 period and deteriorated significantly in the POI. However, demand for NBR in POI increased by 30%. It is thus not established how poor functioning of the NBR market is responsible for the present injury to the domestic industry.
- h. The Authority examined the captive consumption of the domestic industry. It is seen that captive consumption of the domestic industry has not shown so significant increase that the same leads to a conclusion that the sales of domestic industry declined because of increase in captive consumption. In fact, captive consumption of the domestic industry in the POI declined by 406 MT when compared to previous year. Further, captive consumption forms 10.45% of total sales of the domestic industry. Thus, in any case, this captive consumption could not have been responsible for the injury suffered by the domestic industry in the POI.
- i. As regards quality and consistency of NBR manufactured, it is noted that the domestic industry has been producing and selling same product over the injury period. However, whereas the volumes of the domestic industry were increasing till June, 2019m and its profitability was stable, while the ROI was increasing, sales and consequently production, capacity utilisation, declined significantly in POI with a very steep decline in profitability, cash profits and ROI. Thus, quality and consistency of NBR manufactured could not be a possible reason for the injury suffered by the domestic industry in the POI.

- j. Exports by the domestic industry constitutes only 1.97% of the total sales and therefore possible changes in export performance could not have been responsible for the injury found by the authority.
102. The interested parties have contended that change in product mix of the domestic industry has resulted in decline in net realizable value. The Authority, however, notes that change in product mix would equally impact cost and price of the product. It is seen that the selling price of the domestic industry declined far steeper than the decline in the costs in the POI as compared to preceding year. It is also noted that the interested parties have not established how the product mix of the domestic industry has changed over the period.
103. It is clarified that the Authority has not accepted the contention of the domestic industry with regard to determination of price undercutting by considering only transactions showing positive price undercutting. The price undercutting has been determined on the basis of weighted average prices.
104. The interested parties have contended that the price undercutting from Japan is negative. It is noted that while the average price undercutting in case of Japan is negative, the price undercutting in respect of exports made by JSR is significantly negative while price undercutting in case of Zeon is positive. The negative price undercutting in case of Japan is because of significantly higher prices at which JSR has exported the product to India. The domestic industry disputed the export price of JSR contending that there appears some compensatory arrangements, the company could not have sold the product at such high price and the imports would not have been made with full customs duties. The Authority has, however, considered it appropriate to accept the export price and determine the dumping margin and injury margin on the basis of export price claimed, and later desk verified by the Authority.
105. The Authority holds that once the Authority has decided to undertake cumulative assessment of injury, trends in import volumes from individual countries are of little relevance. Further, the requirement for undertaking cumulative assessment does not mandate a requirement that the volume of imports should show the same trend in respect of each subject country. In fact, varying share of imports of different countries shows presence of competition between different suppliers in the market.
106. With regard to the issue of anomaly in data as raised by the other interested parties, the Authority notes that NIP for the domestic industry has been determined on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended.
107. As regards a possible anomaly in capital employed figures, depreciation, etc., it is clarified that the Authority has adopted desk verified figures for the present purposes.
108. It is clarified that Authority has adopted the information after due verification. Therefore, the fact that the Applicant is producing different products in the same plant does not vitiate the conclusions drawn in the present final findings.
109. The Authority notes that the ADD was imposed on the product imported from a number of countries in the past. However, imports from Korea alone were subjected to ADD till 7th December, 2020. Further, the performance of the domestic industry did not show improvement in respect of volume and price parameters till June, 2019. However, the performance has shown significant deterioration in respect of a number of injury parameters in the POI. Thus, there seems to be no basis for the claim that if the product is attracting ADD on imports from some country, the domestic industry could not have been suffering injury in respect of import from other countries.
110. The Authority has made the present determination based on data relating to the PUC. The Authority has not based any determination on the basis of other investigations.
111. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

112. The Authority had earlier conducted a sunset review investigation in respect of imports from Korea. The Authority has recommended extension of ADD in respect of these imports. Therefore, imports from Korea have been reported separately in the injury analysis hereinbelow.
113. Since the POI is not of 12 months, in order to ensure that the actual/indexed figures are directly comparable with preceding years, the actual/indexed data has been “annualised” and mentioned in this final findings.

H.3.1 Volume effect of dumped imports on domestic industry

a. Assessment of demand / apparent consumption

114. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of Indian Producers and imports from all sources.

Demand in India	Unit	2016-17	2017-18	April 18- June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	129	159	159	128	128
Subject Countries	MT	12,950	10,917	10,912	8,729	10,952	14,603
Trend	Index	100	84	67	67	113	113
Korea	MT	15,288	18,427	12,997	10,398	12,153	16,204
Trend	Index	100	121	68	68	106	106
Imports from Other Countries	MT	3,266	5,450	2,553	2,042	1,742	2,322
Trend	Index	100	167	63	63	71	71
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	114	84	84	109	109

115. It is seen that the demand for the subject goods increased from the base year to 2017-18 and then there was a decline in April, 2018-June, 2019 and an increase in the POI. Demand on overall basis has shown an increase of more than 9%.

b. Import Volumes from the subject countries

116. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The factual position is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April 18-June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Imports Volume							
Subject Countries	MT	12,950	10,917	10,912	8,729	10,952	14,603
Trend	Index	100	84	67	67	113	113
China P RP	MT	271	622	2,418	1,934	2,547	3,396
Trend	Index	100	230	714	714	1,253	1,253
Japan	MT	2,943	3,305	3,311	2,649	3,832	5,110
Trend	Index	100	112	90	90	174	174
RUSSIA	MT	3,188	3,438	1,580	1,264	1,004	1,339
Trend	Index	100	108	40	40	42	42

EU	MT	6,548	3,552	3,603	2,882	3,568	4,758
Trend	Index	100	54	44	44	73	73
Korea	MT	15,288	18,427	12,997	10,398	12,153	16,204
Trend	Index	100	121	68	68	106	106
Other Countries	MT	3,266	5,450	2,553	2,042	1,742	2,322
Trend	Index	100	167	63	63	71	71
Total Imports Volume	MT	31,504	34,794	26,462	21,169	24,847	33,129
Trend	Index	100	110	67	67	105	105
Subject Country Imports in relation to							
Total Imports	%	41	31	41	41	44	44
Trend	Index	100	76	100	100	107	107
Production	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	63	40	40	81	81
Consumption	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	76	82	82	103	103

117. The following is observed:

- The volume of imports from subject countries declined till April 18 – June, 2019 and then increased significantly in the POI. The volume of imports from subject countries has increased in the POI as compared to base year (by 13%) as well as previous year (by 66%).
- The imports from subject countries in relation to total imports has increased in the POI as compared to the base year.
- The imports from subject countries in relation to Indian production declined till April 2018-June 2019, but increased significantly in the POI.
- The imports from subject countries in relation to consumption in India declined till April 2018-June 2019 and increased significantly thereafter in the POI.

H.3.2 Price effect of the dumped imports

118. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price undercutting

119. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the weighted average import price from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows-

Price Undercutting - China PR	Unit	2016-17	2017-18	April 18-June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Landed price	₹/MT	1,24,278	1,73,080	1,31,617	1,31,617	1,20,651	1,20,651
Trend	Index	100	139	106	106	97	97

Selling Price	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	119	127	127	98	98
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	(22)	277	277	105	105
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	(15)	262	262	109	109

Price Undercutting - Japan	Unit	2016-17	2017-18	April 18-June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Landed price	₹/MT	1,42,275	1,78,611	1,58,882	1,58,882	1,47,917	1,47,917
Trend	Index	100	126	112	112	104	104
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	119	127	127	98	98
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(11,544)	27,400	27,400	(10,308)	(10,308)
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(8,850)	23,583	23,583	(9,533)	(9,533)

Price Undercutting - Russia	Unit	2016-17	2017-18	April 18-June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Landed price	₹/MT	95,753	1,54,957	1,39,129	1,39,129	1,22,633	1,22,633
Trend	Index	100	162	145	145	128	128
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	119	127	127	98	98
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	31	91	91	36	36
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	19	62	62	28	28

Price Undercutting - EU	Unit	2016-17	2017-18	April 18-June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Landed price	₹/MT	1,10,179	1,59,712	1,49,085	1,49,085	1,38,030	1,38,030
Trend	Index	100	145	135	135	125	125
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	119	127	127	98	98
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	30	101	101	5	5
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	21	74	74	4	4

Price Undercutting – Subject Countries	Unit	2016-17	2017-18	April 18-June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Landed price	₹/MT	1,14,217	1,64,698	1,46,746	1,46,746	1,36,035	1,36,035
Trend	Index	100	144	128	128	119	119
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	119	127	127	98	98
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	16	123	123	13	13
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	11	96	96	11	11

120. It is seen that the imports from subject countries as a whole are entering at a price below the domestic selling price of the domestic industry, resulting in positive price undercutting. Further, it is seen that the imports from each of the subject countries except for Japan are entering at a price below the domestic selling price of the Domestic Industry, resulting in positive price undercutting. The price undercutting is negative in case of imports from Japan. For the other three subject countries price undercutting has reduced in the POI as compared to the base year.

b. Price suppression and depression

121. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined. Table below shows factual position:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April 2018- June 2019	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	120	130	121
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	119	127	98
Landed Price	₹/MT	1,14,217	1,64,698	1,46,746	1,36,035
Trend	Index	100	144	128	119

122. The following is observed:

- Whereas the cost of sales and selling price of the domestic industry increased till April, 2018-June, 2019, the same declined thereafter in the POI. However, whereas the landed price of imports increased till 2017-18, it declined thereafter.
- During the POI, the landed price of imports declined even below cost of sales in India. Resultantly, the decline in selling price of the domestic industry was far more than the decline in cost of sales.
- Whereas the domestic industry was able to increase its prices even more than the increase in cost of sales till April, 2018-June, 2019, the domestic industry was forced to reduce the prices far beyond the decline in the costs in the POI.
- The volume of subject imports declined till April, 2018-June, 2019, and the domestic industry was able to increase its prices in proportion to increase in the costs in this period, despite decline in the

import prices. In the POI, the selling price reduced to less than the cost of sales and the landed price was even lower than the selling price.

H.3.3 Economic parameters of the domestic industry

123. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below

124. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

125. The capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April 18- June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Capacity	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	114	114	114	114	114
Production of PUC	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	134	167	167	138	138
Production of NPUC	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	107	138	138	92	92
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	118	146	146	121	121
Sales including Captive	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	129	159	159	128	128

126. It is seen that:

- The installed capacity of the domestic industry increased in 2017-18 and remained the same thereafter.
- The production increased till April 2018-June 2019 but declined during the POI.
- The capacity utilization and domestic sales increased till April 2018-June 2019 and declined thereafter during the POI.

ii. Market share in Demand

127. Market share of the domestic industry is shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April 18-June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Share of Applicants	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	113	188	188	117	117
Share of Subject Countries	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	74	80	80	103	103
Korea	%	***	***	***	***	***	***

Trend	Index	100	106	81	81	97	97
Share of Other Countries	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	147	74	74	65	65
Total	%	100	100	100	100	100	100
Trend	Index	100	100	100	100	100	100

128. It is seen that the market share of the domestic industry increased till April 18-June 19 and declined thereafter during POI. The market share of the subject countries declined in 2017-18 and increased thereafter, with significant increase in the POI.

iii. Inventories

129. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April 18-June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Opening	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	56	58	58	85	85
Closing	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	104	152	152	218	218
Average	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	73	92	92	133	133

130. It is seen that the inventories with the domestic industry have increased since April 2018-June 2019.

iv. Profitability, cash profits and return on capital employed

131. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April 18-June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Profit/(Loss) per unit	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	112	107	107	(124)	(124)
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	149	176	176	(167)	(167)
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	151	177	177	(112)	(112)
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	141	176	176	(82)	(82)

132. The following is observed:

- The domestic industry had almost similar level of profitability between 2016-17 and April 2018-June 2019 period. The domestic industry however faced significant decline in profits in the POI to such an extent that the domestic industry suffered financial losses in the POI.
- Cash profits, PBIT and return on capital employed followed the same trend as that of profits. Cash profits, PBIT and return of investment increased till April 2018-June 2019 and declined to negative levels in the POI. The domestic industry suffered cash losses and negative ROI in the POI.

v. Employment, wages and productivity

133. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April 18-June 19		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	186	243	243	179	179
Employment	Nos.	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	96	98	98	98	98
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	139	171	171	141	141
Productivity per day	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	135	165	165	135	135

134. It is seen that:

- The wages paid has increased till April, 2018-June, 2019, after which there was a decline.
- The number of employees have declined from the base year to 2017-18 and then increased in April, 2018-June, 2019 and the POI;
- The productivity increased till April, 2018-June, 2019. There was a decline in the POI.

135. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

vi. Growth

136. The growth of the domestic industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as per given in the table below-

Growth Y to Y	Unit	2017-18	Apr 18 June19 (Annualised)	POI (Annualized)
Capacity	%	13.64	-	-
Production	%	34.45	24.06	-16.99
Domestic sales	%	32.61	23.57	-17.97
Profit/(loss) per unit	%	12.17	-4.26	-215.65
Cash profits	%	50.86	17.06	-163.68
Return on capital employed	%	40.88	25.16	-146.72

137. It is seen that the growth of the domestic industry was negative in all macro injury parameters in the POI.

vii. Magnitude of Dumping Margin

138. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the investigation period.

viii. Ability to raise capital investment

139. The domestic industry is suffering financial losses in the POI. With the competition being faced by the domestic industry because of the dumped imports, the operations of the industry have been impacted which has affected its ability to raise capital investment. The domestic industry submitted that it has planned further capacity addition, and the same was underway. However, the company has put the expansion plan on hold due to dumping of the product in the Country.

viii. Factors affecting domestic prices

140. It is seen that the import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. The landed value of the subject goods from the subject countries are below the cost and selling price of the domestic industry. Further, the domestic industry is unable to retain its prices in the market due to presence of dumped imports in the country. The prices of imports have depressed the prices of the domestic industry to a significant degree. The dumped imports are impacting the prices of the domestic industry. Hence, it is concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods.

ix. Magnitude of price underselling/injury margin

141. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
142. Landed price for the cooperating exporters has been determined from the CIF export price determined for the purpose of dumping margin determination. Applicable customs duties have been added to determine landed price of imports. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
143. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/ exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

Producer	NIP	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
	(US\$/MT)	(US\$/MT)	(US\$/MT)	(%)	(Range)
EU					
Arlanxo Emulsion Rubber France S.A.S.	***	***	***	***	0-10
Other producers/exporters from EU	***	***	***	***	10-20
Japan					
JSR Corporation	***	***	***	***	Negative
Zeon Corporation	***	***	***	***	0-10
Other producers/exporters from Japan	***	***	***	***	10-20
Russia					
JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant	***	***	***	***	20-30
Other producers/exporters from Russia	***	***	***	***	30-40
China					
All producers/exporters from China PR	***	***	***	***	20-30

x. Examination on injury

144. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased in both absolute and relative terms. The imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry and the price underselling/injury margin is positive from the subject countries. The imports from the subject countries are depressing the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the POI. The performance of the domestic industry has significantly

deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on investments in the POI.

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

145. The Authority examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.
146. The submissions have been raised by the interested parties that injury due to Korean imports are unaddressed and cannot be attributed to subject countries and Russia in particular, and recommendation/imposition of duties is discriminatory and unsustainable under Rule 19 of Customs Tariff Act and Article 9.2 of the ADA, and therefore, investigation should be terminated. In this regard, it is held that that there is no discriminatory approach that has been adopted in the present investigation.
147. Rule 19 clearly states that there should be no discrimination between various producers/exporters in a country while imposing duties. The Authority notes the Appellate Body Report in European Communities – Definitive Anti-dumping Measures on certain Iron or Steel Fasteners from China which interpreted Article 9.2 as under:
“338. We note that Article 9.2 of the Anti-Dumping Agreement requires that anti-dumping duties be collected on a non-discriminatory basis from "all sources" found to be dumped and causing injury, except from "those sources" from which price undertakings have been accepted. We agree with the Panel that the term "sources", which appears twice in the first sentence of Article 9.2, has the same meaning and refers to individual exporters or producers and not to the country as a whole. This is indicated by the fact that price undertakings mentioned in the first sentence of Article 9.2 are accepted, according to Article 8 of the Anti-Dumping Agreement, from individual exporters and not from countries. Therefore, the requirement under Article 9.2 that anti-dumping duties be collected in appropriate amounts in each case and from all sources relates to the individual exporters or producers subject to the investigation”.
148. The Appellate Body interpreted that the non-discriminatory basis from all sources under Article 9.2 of Anti-Dumping Agreement refers to individual exporters or producers and not to the country as a whole. Therefore, the contention of the interested parties is not correct.
149. As regard to contention that injury due to Korean imports is unaddressed and cannot be attributed to subject countries, the Authority notes that Paragraph v of Annexure II provides that the Authority is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. The Authority notes that imports from Korea RP are found to be dumped in the sunset review investigation concerning same product during the period January, 2019 to December 2019. The Authority also held in the SSR investigation that there is also likelihood of dumping of subject goods from Korea RP. In the present investigation, POI is July 2019 to March 2020 and 6 months are overlapping in both the investigation, and likelihood of dumping was also established in SSR investigation. In this background, the Authority notes from the previous findings that imports from Korea RP are largely dumped imports, and for the purpose of non-attribution analysis, injury on account of factors other than dumped import only are required to be segregated.
150. Imports beyond de-minimis limits have been reported from subject countries and Korea. Further, imports below de-minimis limits individually and collectively below 7% have been reported from Malaysia, Poland, Singapore, Switzerland, Thailand, UAE and USA. As far as imports from Korea are concerned, the Authority had earlier found the same as dumped and had recommended the extension of ADD. As regards imports from Malaysia and Singapore, the import price is much higher than import price from subject countries. As regards imports from Poland, Switzerland, Thailand, UAE and USA, even though import price is comparable or below the import price from subject countries, the volume of imports is below de-minimis limits both individually and collectively. The Authority, therefore, holds that imports from non-subject countries could not be responsible for the injury found by the authority in the present POI.

a) Volume and value of Imports not sold at dumped prices

151. As mentioned above, imports from other countries are either dumped imports or are at negligible levels. Thus, undumped imports have not caused injury to the domestic industry.

b) Contraction in demand

152. While overall demand has increased, the demand had declined in April 2018–June 2019 period. However, the volume of imports from subject countries declined in that period and the domestic industry was largely able to maintain its profitability. In the POI, while the demand increased, the subject imports increased far beyond the increase in demand and the domestic industry was faced with significant price depression in view of rising imports. Thus, possible contraction in demand has not caused the injury.

c) Changes in Pattern of consumption

153. There have been no material changes in the pattern of consumption of the PUC. Possible changes in the pattern of consumption are not the cause of injury considered by the Authority.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

154. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for injury considered by the Authority.

e) Developments in technology

155. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

f) Export performance of the domestic industry

156. Exports made by the domestic industry constitutes small portion of its production. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

g) Performance of other products

157. The domestic industry has provided the injury data of PUC performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the Applicant is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

Conclusion on Causal Link

158. The Authority concludes that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic industry is due to dumped subject imports:

- a. The volume of subject imports has increased significantly in absolute as well as relative terms.
- b. The imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- c. The imports have forced the Domestic Industry to sell the product at a price below its cost of production. The dumped subject imports have a price depressing effect on the selling price of the Domestic Industry.
- d. The price depression due to the subject imports have led the domestic industry into financial losses, cash losses and negative return on investments in the POI.

159. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods from the subject countries and injury to the domestic industry.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

160. Post disclosure submissions have been received from the interested parties. These are examined as follows.

J.1. Submissions by the domestic industry

161. The submissions made by the domestic industry is as follows:

- e. Right to fair comparison is not absolute and there exists an obligation to demonstrate a factor affecting price comparability. No such contention was made in the instant case.
- f. 94% of the exports of the Russian exporter are only one grade. Hence, PCN analysis wouldn't show a different result. AN content and mooney viscosity are used to distinguish grades. Since there is no universal nomenclature for grade, treatment of grade as PCN would defeat the purpose of PCN.

- g. 70% of the production of the DI were of N 745 and N 746 grades which have only a difference of Rs. 370/MT in the per unit cost of production.
- h. Even if PCN is to be adopted, the Authority should take low, medium, and high AN content NBR. Since price difference between medium grades is only 4% no further breakdown is justified. They constitute 95% of total exports to India.
- i. The price difference between the grade constituting 94% of Russian exports is 36%. The bigger price difference is due to time difference and not due to PCN difference.
- j. All previous investigations on the subject goods except two used weighted average basis for calculating dumping margin and injury margin. An exception cannot be used as precedence.
- k. The Authority should ensure that the responses filed by the producers account for whole quantity of exports to India. The obligation to ensure the same lies on the producer. If not 100% and no adequate reasoning present, the response should be rejected. The response should also be rejected if the share of exports of non-cooperative unrelated exporter of a producer is more than 30%.
- l. Export price of sales channel involving the non-cooperative unrelated exporter should be calculated based on sale price of producer to first exporter adjusted for ex-factory expenses.
- m. Price undercutting and injury margin should be determined only considering those import transactions whose landed price below selling price of the DI since concern of the DI is against injurious imports. WTO Report in EC – Anti-dumping duties on malleable cast iron tube or pipe fittings from Brazil is relied on which states there is no requirement under Article 3.2 of the ADA to establish one single margin of undercutting taking every transaction involving the PUC and the like article. Considering “overcutting” prices have the effect of concluding no price undercutting when, in fact, there might be considerable number of sales at undercutting prices. The number of sales at undercutting prices is important as it shows number of sales lost by the DI. The same principle applies to the calculation of injury margin. EU, which also follows the lesser duty rule, follows this methodology. The same has not been challenged in the WTO. The CESTAT order in Kothari Sugars & Chemicals Limited v. Designated Authority is relied on. The same was also referred by the tribunal in Honest Enterprises Ltd. v. Designated Authority.
- n. There is high participation from exporters even with their unrelated exporters while there is absence of significant participation from the importers/users.
- o. The imposition of ADD is in the interest of the domestic manufacturer, consumers, and public at large. Since a demand-supply gap exists, the imports of the PUC will not cease. The impact of the ADD on the consumer industry is miniscule. Analysis of the impact of potential anti-dumping duty on the consumers shall show that the impact of imposition of anti-dumping duty on the consumer industry shall be miniscule. Further the fact that only one user has opposed imposition of anti-dumping duty proves that the consumer industry is not concerned about imposition of anti-dumping duty.

Sl. No.	Sector		Impact of ADD		
			Minimum	Average	High
1	Automotive components	a. O ring	1.3%	1.0%	0.8%
		b. Dust seal	2.9%	2.7%	2.5%
		c. Air hose	3.3%	3.0%	2.7%
2	Rice Rolls		3.8%	3.3%	3.0%
3	Hoses		1.5%	0.9%	0.6%
4	LPG Tubing		2.7%	2.4%	2.2%
5	Insulation Foam		1.4%	1.0%	0.8%
5	Jointing sheet		2.0%	1.2%	1.0%
6	Cork sheet		0.8%	0.7%	0.6%
7	Cooker Gasket		2.5%	2.3%	2.1%

- p. The fact that only one user has opposed the imposition of ADD shows consumer industry is not concerned about the same. In light of widening trade deficit and declining foreign reserves, it is important to reduce import dependence.

J.2. Submissions by other interested parties

162. The submissions made by other interested parties are as follows:

- q. The finding in the Disclosure Statement that the exporters did not propose a PCN-wise analysis is wrong.
- r. EU imports should be decumulated as EU import volumes decreased in the POI and EU import prices increased significantly.
- s. Even if not proposed by the DI, the same cannot be a justification for the same. “Fair comparison” is a legation obligation of the Designated Authority. Irrespective of the stage at which it is proposed by the Authority, the Authority is mandated to apply it. Not to apply the same since it was not prescribed at the initial stage is not appropriate. The Authority has called for PCN-wise data post-initiation in many cases.
- t. Once the exporter has provided PCN-wise information, the DA is obliged to carry out grade wise analysis. Once a claim for PCN-wise/grade-wise injury margin is made, grade-wise dumping margin should be presumed. Normal value and export price should be re-examined on PCN-wise/grade-wise data. Injury margin and dumping margin without PCN-wise analysis will lead to incorrect and misleading conclusions.
- u. DGTR erred in observing that imposition of duties would not have significant adverse impact on consumers. It would adversely impact competition in domestic market and would be detrimental to the user/downstream industries.
- v. The non-discriminatory obligation arises from MFN obligation under Article I:1 of the GATT. Rules and formalities applied in AD investigations fall within the scope of the article as per Panel report in EU – Footwear (China). The Panel also established that differently treating WTO members in AD investigations covering same product violates MFN obligation.
- w. The Disclosure Statement does not provide analysis of other factors like increase in costs, increase in wages, increase in number of employees and decrease in productivity per employee. Under Article 3.5 of the ADA the obligation to analyze other known factors is on the authority and not on any interested parties as stated in the Disclosure Statement.
- x. The claim that the petitioner is overstating its production capacity has not been addressed.
- y. Contrary to the observations of DGTR, crude oil price movements are relevant to the present investigation. Furthermore, the import of raw materials by the Petitioner may have contributed to the poor performance of the Petitioner.
- z. DGTR has erroneously observed that the possible decline in the demand for the product or possible recession in auto sector does not impact the injury data considered for the POI. However, the Petitioner has itself admitted that the slowdown in auto sector has had a detrimental effect on the NBR volume sales. This may also be a contributing factor of injury to DI.
- aa. The reasons for the inability of the Petitioner to expand capacities must also be examined to assess whether it is due to the dumped imports or due to environmental clearances and other government approvals.
- bb. It must be examined whether the production line used by the Petitioner is same for PUC and PVC, the volume of PUC and NPUC produced through the production line, and if the Petitioner is deliberately producing more NPUC because of higher profitability.
- cc. Petitioner is commissioning a captive power plant to save power cost, is working on a debottlenecking project to increase production capacity and reduce operational costs, and has also made significant investments in and launched an NBR carboxy which has a high demand in Malaysia and Indonesia with an increasing demand in India due to the COVID-19 pandemic. DI is only creating a perception of injury and has not faced any actual injury from the subject imports.
- dd. DGTR failed to segregate the effects of dumping by Korea from the subject counties and erroneously included the same within the “dumped imports” in the present investigation.
- ee. NIP to be disclosed in narrow ranges (within 5% gap at maximum between the lower and higher range) in non-confidential form.

J.3. Examination by the Authority

163. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
164. With regard to submissions made by producer/exporter from Russia that Authority should determine grade-wise dumping margin as the said producer/exporter has provided information based on their internal product grading in the questionnaire response, the Authority notes that Domestic industry has not proposed any PCN-wise analysis in its application. The responding exporter has also not suggested any PCN, and has instead suggested grade-wise dumping margin. While suggesting grade wise dumping margin determination, the exporter has not established why grade wise comparison is important, having regard to factual matrix of the case and the data filed by the exporter itself. The Authority notes that a specific grade of an exporter cannot be treated as a PCN. The exporter has not suggested any PCN on the basis of scientific criteria which could be universally applied. The Authority has not prescribed PCN methodology in the notice of initiation or thereafter during the course of investigation. It is also noted that there are no universal known grades of the product. It is also noted that this product has been subject to anti-dumping investigations in the past and PCN methodology was not prescribed by the Authority in those investigations, and dumping margin was not determined based on PCN-wise analysis.
165. In the post disclosure comments, the JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant has submitted that the product has different grades, based on the Acrylonitrile content and Mooney viscosity, and each of the grade sold in the home market and exports market including Indian is unique to the customer requirement and therefore, weighted average comparison will not reflect the correct position., and demanded grade wise analysis. No such requests for PCN wise analysis was received from other cooperating producers and exporters from other subject countries. The Authority thereafter sent a communication to all other responding exporters to provide grade wise information. The Authority also asked JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant to provide details of their exports to third countries. None of the exporters apart from JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant has provided grade wise information, and have in fact stated that the grade wise comparison is not necessary in the factual matrix of the present case.
166. It is noted that NBR is a synthetic rubber, a copolymer of ACN and BD. Depending on the content of ACN and BD, the product is produced and sold by the producers in India and subject countries in a number of grades. Different grades have different AN content and Mooney Viscosity. In market parlance, depending on ACN content and Mooney Viscosity, the product is categorised into low, medium and high NBR. The domestic industry contended that majority of production (in the region of 85-95%) in India and globally is in the category of medium NBR. In the previous investigations as well, the Authority recognised that the product under consideration is categorised into low, medium and high NBR. But, majority of the production and sales is in medium NBR. It is noted from the verified information of the domestic industry that overwhelming quantity (***) of its sale is medium NBR with insignificant cost difference (of less than **%),. High NBR has higher cost but its share is insignificant (**%), and Low NBR also has insignificant **cost** difference (less than **%). Moreover, the Low NBR has higher costs. While examining the data of Sibur, it was noted most of exports made to India (more than 90%) are medium NBR only. Furthermore, though low NBR has lower costs, high NBR has costs which are lesser than medium NBR. In addition, it is also seen that the prices of inputs have changed significantly within the POI, and the exporter has not established whether and to what extent the difference in the cost of production of different grades is due to difference in the product characteristics and the extent to which the difference in the costs is due to time period. It is also noted that the other exporters from Japan, and EU did not provide grade wise costs, after an opportunity was provided to them.
167. In view of the same, the Authority has not considered it appropriate to undertake dumping margin determination on PCN/grade-wise analysis in the present investigation. It is further noticed that both the Domestic Industry and producer and exporter from Russia i.e. M/s Sibur have sold overwhelming quantity (more than **%) of subject goods in Medium category in India and therefore, injury margin calculation also does not require any grade /category wise analysis.
168. In view of the above the Authority has determined dumping margin and injury margin by comparing normal value and export price on the basis of weighted average for the product under consideration for all cooperating producers and exporters from subject countries.
169. The Authority has verified the information provided by the responding producers in their questionnaire responses and ensured that the data accounts for the whole exports of the producer of the subject goods into India. It is also noted that the share of the non-cooperative unrelated exporter in the total exports of the subject

goods by the producer to India is less than 30%. As noted previously in this finding, in case of sales channels involving a non-cooperative unrelated exporter, the export price has been determined on the basis of the best information available.

170. As regards argument of non-examination of employees, productivity and wages, the same is examined in the relevant paragraphs of the findings. The Authority finds that factors like increase in costs, increase in wages, increase in number of employees and decrease in productivity per employee does not break the causal link between the dumping of the subject goods from the subject countries and the injury suffered by the DI.
171. The Authority has verified the data provided by the domestic industry and finds that the claim of the interested parties regarding the overstatement of capacity of the DI is incorrect. It is noted that the Authority has considered verified information of the domestic industry for the purposes of the present investigation.
172. The disclosure of the NIP in the Disclosure Statement is consistent with the practice of the Authority.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

173. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
174. The Authority considered whether imposition of proposed ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the extension of the existing duty on imports of the product under investigation would be against the large public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and consumers of the product.
175. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchange ability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD, impact of repealing or maintaining the present duty. Barring one user that is Imperial Waterproofing Industries Pvt. Ltd, none of the users have filed prescribed questionnaire response. The user associations have filed submissions but have not provided any information on impact of proposed anti-dumping duty on the user industry. Further the said user has not provided sufficient information regarding impact of anti-dumping duty on its product. The interested parties have not demonstrated how these prices of NBR have impacted the consumers. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how imposition of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the users have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. Further the domestic industry has quantified the impact of the recommended anti-dumping duty on the consumer industry and submitted that the impact is miniscule on different segments of the consumer. The fact that there is only one Indian producer of the product under consideration and non-imposition of anti-dumping duty will adversely impact the indigenous production of the product concern and the fact that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.

L. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

176. After examining various submissions of the interested parties with regard to product under consideration, confidentiality, adequacy and accuracy of the application, questionnaire responses, selection of period of investigation, dumping margin determination, injury to the domestic industry, other factors allegedly causing injury to the domestic industry, the Authority notes that it has appropriately dealt with the issues raised in the relevant paragraphs of these findings. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- i. The Applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - ii. Since domestic industry is not manufacturing liquid NBR, liquid NBR is excluded from the scope of the PUC.
 - iii. the product produced by the domestic industry is like article to PUC imported from the subject countries.
 - iv. The Authority has calculated dumping margin on weighted average basis for all the responding exporters.
 - v. The claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties have been examined, and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality.
 - vi. the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation.
 - vii. The adoption of 9 months as POI is not inconsistent with the Rules.
 - viii. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject countries have been determined, and the margins are significant.
 - ix. The Domestic Industry has suffered material injury. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased in both absolute and relative terms. The imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry. The imports from the subject countries are depressing the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the POI. The performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on investments in the POI.
177. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority considers it necessary and recommends the imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
178. In terms of provision contained in Rule 4(d) of the Rules, the Authority recommends imposition of ADD equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Taking into account the factual matrix of the case, and having regard to information provided, and submissions made by interested parties, it is considered appropriate to recommend benchmark/reference form of anti-dumping duties. The Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties on import of subject goods originating in or exported from subject countries from the date of notification to be issued in this regard by the Central government, as the difference between the landed value of subject goods and the reference price indicated in column 7 of the table below, provided the landed value is less than the value indicated in column 7. No benchmark/reference price has been recommended for JSR Corporation, as injury margin for this producer is negative.
179. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

Sl. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	40025900	Acrylonitrile Butadiene Rubber*	EU	EU	Arlanxco Emulsion Rubber France S.A.S.	2,086.78	Per MT	US\$

2	-do-	-do-	EU	Any country including EU	Any other than provided in SN (1)	2,086.78	Per MT	US\$
3	-do-	-do-	Any country other than country attracting anti-dumping duty	EU	Any	2,086.78	Per MT	US\$
4	-do-	-do-	Japan	Japan	JSR Corporation	Not Applicable.	Per MT	US\$
5	-do-	-do-	Japan	Japan	Zeon Corporation	2,086.78	Per MT	US\$
6	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any other than provided in SN (4) and (5)	2,086.78	Per MT	US\$
7	-do-	-do-	Any country other than country attracting anti-dumping duty	Japan	Any	2,086.78	Per MT	US\$
8	-do-	-do-	Russia	Russia	JSC Krasnoyarsk Synthetic Rubber Plant	2,086.78	Per MT	US\$
9	-do-	-do-	Russia	Any country including Russia	Any other than provided in row (8)	2,086.78	Per MT	US\$
10	-do-	-do-	Any country other than country attracting anti-dumping duty	Russia	Any	2,086.78	Per MT	US\$

11	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any	2,086.78	Per MT	US\$
12	-do-	-do-	Any country other than country attracting anti-dumping duty	China PR	Any	2,086.78	Per MT	US\$

* The product under consideration (PUC) is “Acrylonitrile Butadiene Rubber” or “NBR”, specifically excluding liquid NBR, Latex NBR, Powder NBR and Carboxylated NBR.

M. FURTHER PROCEDURE

180. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority